

ISSN-0971-8400



योजना

सितंबर 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

नारी सशक्तीकरण

भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण
कमला भसीन

महिला सशक्तीकरण: सरकार का दृष्टिकोण
लीना नायर

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
इला आर भट्ट


फोकस

महिलाओं की भूमिकाएँ: सामाजिक ढांचे की आवश्यकता
देवकी जैन

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका
ज्योति अटवाल

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख महिला सेनानी: एक नजर में



महिला सशक्तीकरण पर प्रधानमंत्री के विचार



- सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और उनकी गरीबी दूर करने के लिए विशेष रूप से काम कर रही है।
- सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों में सहयोग के लिए समाज के सहयोग का आह्वान किया है।
- तीन करोड़ पचास लाख से भी अधिक परिवार मुद्रा योजना से लाभान्वित हुए। इसमें अधिकांश लोग ऐसे थे, जो बैंक के दरवाजे पर पहली बार आए थे। इसके अलावा, इनमें से लगभग 80 प्रतिशत लोग अज./अजजा./आदि श्रेणियों के थे। इतना ही नहीं इनमें से 80 प्रतिशत महिलाओं ने बैंकों, मुद्रा बैंक से ऋण प्राप्त किए।
- प्रगति की इस गाथा में जिन माताओं और बहनों ने भागीदारी कार्य की है, उन्हें बच्चे को जन्म देने के बाद अवकाश की जरूरत है। पहले अवकाश की अवधि कम थी किंतु अब हमने इसे बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दिया है, ताकि ऐसी माताएं अपने शिशु की देखभाल में समर्थ हों।
- हमारे बुनकरों और वस्त्र के क्षेत्र में कार्यरत धागा और धागे लपेटे तैयार करने वाले लोगों को मात्र 100 रुपये मिलते थे। धागा उत्पादन के काम में लगी माताओं और बहनों की आर्थिक मजबूती के लिए हमने इस धनराशि को बढ़ाकर 190 रुपये कर दिया है।
- हमारी माताएं, बहनें और रेशम के उत्पादन में लगे बुनकरों को अब प्रतिमीटर उत्पादन के लिए 50 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि 50 रुपये प्रति मीटर की यह धनराशि व्यापारी अथवा दलाल अथवा डीलर के पास नहीं जाएगी।
- इतना ही नहीं, 50 रुपये प्रति मीटर की यह धनराशि आधार के माध्यम से सीधा-सीधा उस बुनकर के खाते में जाएगी, जिन्होंने इसका उत्पादन किया है। इससे बुनकरों का सशक्तीकरण होगा। हमने इसी सोच के साथ योजनाएं शुरू की हैं और अब इसका असर दिखने लगा है।
- हमने लाखों परिवारों को सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल किया है जो बेटियों को उनके बड़े होने पर लाभान्वित होने की गारंटी देती है। हमने महिलाओं को लाभान्वित करने वाली बीमा योजनाओं को काफी महत्व दिया है। अब इसका लाभ पहुंचने वाला है।
- हमने इन्द्रधनुष टीकाकरण योजना शुरू की है, क्योंकि यदि हम अपने माताओं और बहनों के लिए ये दो बातें सुनिश्चित करते हैं, जैसे- आर्थिक सशक्तीकरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर उनका सशक्तीकरण तथा यदि हम उन्हें शिक्षित करें, तो हम इसे एक ऐसे आश्वासन के रूप में ले सकते हैं कि यदि परिवार में कम-से-कम एक महिला भी शिक्षित है, यदि वह शारीरिक तौर पर मजबूत और आर्थिक तौर पर स्वावलंबी है, तो उसके पास निर्धनतम परिवार को भी गरीबी से मुक्त करने की शक्ति है। इसीलिए गरीबी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में हम महिला सशक्तीकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य महिलाओं आर्थिक समृद्धि, महिलाओं की शारीरिक मजबूती पर जोर देते हुए काम कर रहे हैं।
- हमने गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का एक अभियान शुरू किया है। हमने उज्ज्वला योजना के अधीन एक सशक्त अभियान शुरू किया है ताकि अपनी गरीब माताओं के लिए चूल्हे से निकलने वाले धुएं से छुटकारा दिलाया जा सके। अगले तीन वर्षों में पांच करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



योजना

वर्ष: 60 • अंक 9 • सितंबर 2016 • भाद्रपद-आश्विन, शक संवत् 1938 • कुल पृष्ठ: 68

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

<http://www.facebook.com/eyojanahindi>

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण,
पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एंजेंसी आदि के
लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आ.
डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग'
के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53

भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के
लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर
भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	फिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट	695001	2330650
हैदराबाद	ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली	500001	24605383
बंगलुरु	फस्ट प्लॉर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	25537244
पटना	विहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	2683407
लखनऊ	हाल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	26588669
गुवाहाटी	के. के. वी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी	781003	2665090

इस अंक में

- | | | | |
|---|----|---|----|
| • संपादकीय | 7 | • भारत में महिला शिक्षा: समाज व सरकार की भूमिका
मुकुल कानिटकर..... | 37 |
| • भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण
कमला भसीन..... | 9 | • स्वस्थ बालिका ही बनेगी सशक्त बालिका
अनन्या अवस्थी..... | 41 |
| • महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
इला आर भट्ट..... | 13 | • नारी के विरुद्ध अपराध: पूरी दुनिया की आपवीती
माशा..... | 47 |
| • फोकस | 17 | • महिलाओं के विधिक-सामाजिक अधिकार: वर्तमान परिदृश्य
सुरेश के तिवारी..... | 51 |
| • महिलाओं की भूमिकाएँ: सामाजिक ढांचे की आवश्यकता
देवकी जैन..... | 21 | • आंकड़ों में उलझा स्त्री स्वतंत्रता का मिथक
रवि शंकर..... | 55 |
| • प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात,
मानसिकता और सरकार की नीति
मेरी ई जॉन..... | 25 | • भारतीय स्वाधीनता संग्राम में
महिलाओं की भूमिका
ज्योति अटवाल..... | 59 |
| • 'भारतीय स्वाधीनता संग्राम में
महिलाओं की भूमिका' | 29 | • क्या आप जानते हैं | 32 |
| • सामाजिक न्याय की धारणा और
महिला विधेयक
बिपिन कुमार तिवारी..... | 33 | • नारी संवेदी अवसरचनाएँ: समय
की मांग
रिप्पी कुमारी..... | 63 |

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विर्झ के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेख, कोंक्ण के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



आपकी राय



अच्छी जानकारियों से भरपूर अंक योजना

योजना जुलाई 2016 विशेषांक कुछ देरी से मिला। परंतु यह अच्छा अंक है। स्मिता पाण्डेय और धीप्रज्ञ द्विवेदी ने बहुउपयोगी और महती जानकारी अपने आलेख में दी है। अतीत में हमारे यहां समृद्ध जल संरक्षण की योजनाएं थीं। वेद-पुराण भी इसकी पुष्टि करते हैं। लातूर, महाराष्ट्र में जल संकट क्यों है, इसका वर्णन भी अरुण तिवारी जी ने किया है। सर्विधानिक प्रावधानों की जानकारी कृष्ण गोपाल व्यास जी ने दी है। इन सभी विद्वानों का आभार। नदी जोड़ योजना अच्छी है। सुंदर संयोजन आदि के लिए योजना से जुड़े सभी को प्रणाम!

अग्रम आकाश चंद्र, बीकानेर

जल पर निर्भर जीवन

जल पर कोंद्रित जुलाई, 2016 का अंक पढ़ा। अंक के समस्त आलेखों से अनमोल जल संसाधन के बारे में जानकारी मिली। मैं स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा हूं और विगत सात महीने से इस पत्रिका की नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका के अध्ययन से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के पत्र में विशेष सहायता मिलती हैं।

प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल को ही जीवन का मूल माना गया है। किसी भी देश के लिए जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। सिंचाई, पशुपालन तथा स्वच्छता

के अन्य उद्देश्यों के लिए जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के महत्व के बारे में महान आयुर्वेदाचार्य सुरपाल ने लिखा है कि 'दस कुएं एक तालाब के बराबर हैं, दस तालाब एक झील के बराबर हैं, दस झील एक वृक्ष के बराबर और दस वृक्ष एक पुत्र के बराबर हैं।'

जल के महत्व एवं उसकी गुणवत्ता संरक्षण की चर्चा बार-बार की गई है। जल के औषधीय गुणों की चर्चा आयुर्वेद के अतिरिक्त ऋग्वेद और अथर्वेद में भी की गई है। ऋग्वेद के अनुसार 'जीवन जल से ही निकलता है। सभ्यताओं की उत्पत्ति जल के कारण हुई है। हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है।' धरती पर जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण संसाधन है और मानव इस अमूल्य संसाधन को निर्दयता से नष्ट कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को जल का संरक्षण करना

चाहिए तभी हम जीवन को बचा सकेंगे।

**खुशबू कुमारी, राज नारायण
महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली, बिहार**

जल है तो कल है

योजना का 'अनमोल जल संसाधन' पर आधारित जुलाई, 2016 विशेषांक पढ़ा। अंक से जल के संदर्भ में विशेष जानकारी मिली। संपादकीय जल के ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ जल की कमी से सम्बंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालने वाला रहा। जल अमूल्य संसाधन है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के अनुसार, 'जीवन की उत्पत्ति जल के द्वारा ही हुई है। शुद्ध जल को शीतमय ठंडा होना; एशुचिरू (स्वच्छता) एशिवम् (उपयोगी खनिज एवम तत्त्वों से युक्त) तथा विमलम लहू षड्गुणम् (अम्लता का संतुलन) के गुणों के कारण दिव्यजल कहा गया है। जल

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453

ई-मेल: pdjucir@gmail.com

अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला एक प्रमुख घटक है। यह कृषि, उद्योग, परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन एवं पर्यावरण के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। वर्तमान में मानव के अवाञ्छित गतिविधियों ने इस अनमोल संसाधन को प्रदूषित करना शुरू कर दिया है, जिससे देश में पीने योग्य जल की लगातार कमी होती जा रही हैं। देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी हाल ही देश की कुछ हिस्सों को भयानक सूखा की स्थिति का सामना करना पड़ा है। एक विद्वान ने पीने योग्य जल में हो रही लगातार कमी का हवाला देकर कहा है कि 'यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो वह संभवतः जल के लिए ही होगा। यदि हमें जीवन को बचाना है तो जल की बर्बादी को रोक कर इसका कुशल प्रबंधन करना होगा। स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। हमें इस विचार से बाहर आने की जरूरत है कि 'जल तो भगवान की देन हैं, यह कभी खत्म नहीं होगा।' जल को संरक्षित करने के लिए लोगों की आंतरिक चेतना में जाग्रति लानी होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। अंत में, जल ही है जीवन,

जल के बिना सब सुन,
बिना जल धान-दौलत का,
नहीं है कोई मोल,
जल हैं तो कल हैं,
जल हैं अनमोल संसाधन,
मत करो इसे बर्बाद,
इसका करो कुशल प्रबंधन,
तभी होगा सुरक्षित भविष्य का प्रबंधन॥

**अमित कुमार गुप्ता, रामपुर नौसहन,
हाजीपुर, वैशाली, बिहार**

**जल संरक्षण से होगा समृद्ध भारत
का निर्माण**

जल संसाधन के विभिन्न आयामों पर केन्द्रित जुलाई 2016 का विशेषांक



निःसंदेह योजना के संग्रहणीय अंकों में एक रहा।

प्रस्तुत विशेषांक के संपादकीय में जल को अनमोल संसाधन बताते हुए जो सारगर्भित विश्लेषण किया गया है यह हमें जल के विभिन्न स्रोतों और उपयोग और अतिवेहन से आसन्न खतरे को भांपते हुए और उसके आर्थिकी पर प्रभावकारी विश्लेषण तथा नई समझ और चेतना विकसित करने में सफल रहा।

'नदी जोड़ की आवश्यकता और कुशल जल प्रबंधन', 'आर्थिक विकास में जल संसाधन प्रबंधन',

'भारत में जल संरक्षण परंपरा', 'समवर्ती सूची में पानी: औचित्य पर बहस', जल संरक्षण में संचार माध्यमों की भूमिका 'सहित अन्य पत्रिका में शामिल किए गए सभी आलेख अत्यधिक ज्ञानवर्धक रहे वहीं 'धरती के तापमान की बैरोमीटर है नदियाँ' और 'देवास के किसानों की मौन क्रांति' पर आलेख एक अलग ही पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक नजरिया विकसित करने में सफल रही।

योजना में प्रकाशित आलेख न सिर्फ अद्यतन और प्रामाणिक होते हैं बल्कि संघ और राज्य लोकसेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से संबद्ध परीक्षार्थियों को वर्तमान में प्रचलित मुद्दों पर नयी समझ, सोच और विस्तृत आयाम विकसित करने में लाभदायक सिद्ध होती है।

वर्तमान जलवायीय परिस्थिति और मानसून पर आधारित भारतीय कृषि के समक्ष नित नए खतरों तथा चुनौतियों से दो चार होना पर रहा है ऐसे में आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जल संसाधन को पूरी तरह से संरक्षित करें।

जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कई बार विभिन्न मंचों से जल संरक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए रेखांकित किया है।

यूं तो विश्व के कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4 फीसद भू-भाग और वैश्विक नवीकरणीय जल संसाधन का मात्र चार फीसद पर भारत की हिस्सेदारी है जबकि जनसंख्या में यह आंकड़ा बढ़कर 17.5 फीसदी है, जबकि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

जहां वर्ष 1950 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5.80 हजार घन मीटर थी, वहीं 2001 में यह घटकर 1.82 तथा 2025 में 1.34 हजार घन मीटर होने के प्रबल आसार है।

आज यह अत्यावश्क है कि हम अपने जल संसाधनों का समुचित रूप से संरक्षण करें यह हमारा संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य भी है और इसके लिए हम अपने परंपरागत और आधुनिक तकनीकों की सहायता लेने में कदाचि हिचकिचाना नहीं चाहिये।

जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों में हमें महारत हासिल है जरूरत महज इस बात की है कि हम जागरूक होकर इसे एक संकल्प के रूप में लें तथा जल संरक्षण के विभिन्न आयाम तथा इसके अनुप्रयोगों को संरक्षित तथा क्रियान्वित करें साथ ही जागरूक नागरिक होने का प्रमाण दें और भारत की सामाजिक, आर्थिक पहलू सहित गरिमामयी मानवीय जीवन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बरकरार रख कर सही मायने में भारत की समृद्धि सुनिश्चित करें।

इसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी क्योंकि अगर आज हम इस पर गैर नहीं करते तो यकीन मानिये हम अपने पीढ़ी में अवश्य ही 'पानी युद्ध/संघर्ष का सामना' करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को समर्पित 'सतत विकास' और 'संधारणीय और संपोषणीय विकास' तथा अन्य वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में अन्यथा विफल सिद्ध होंगे।

**भास्कर, गांधी विहार, मुखर्जी नगर,
दिल्ली**

**योजना
आगामी अंक
अक्टूबर 2016
वस्त्र उद्योग (विशेषांक)**



**Most trusted & renowned
institute among IAS aspirants**

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ✓ आई.ए.एस. प्रारंभिक परीक्षा 2016: व्याख्या सहित हल।
- ✓ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्वपूर्ण सामग्री।
- ✓ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये टू द पॉइंट सामग्री।
- ✓ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, द इकॉनॉमिस्ट, साइंस रिपोर्टर, द हिन्दू) के महत्वपूर्ण लेखों और समाचारों का सारांश।
- ✓ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ✓ एथिक्स पेपर के लिये हर महीने विशेष सामग्री।
- ✓ प्रत्येक महीने कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के साथ-साथ निबंध लेखन के लिये उपयोगी उद्धरणों का संकलन।

पत्रिका का निःशुल्क सैम्प्ल पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiiias.com पर विज़िट करें।



To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiiias.com, Email : info@drishtipublications.com

संपादकीय

महिला नीत विकास

‘वि

कास के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण से अधिक प्रभावी तरीका कुछ नहीं है'... इस बयान से अधिक सटीक तरीके से महिलाओं की क्षमता का परिचय और कोई नहीं हो सकता। भूमिका चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, बहुत कुछ नहीं है, जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकते हैं। मां के रूप में वे अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने-पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। बहनों, बेटियों और पत्नियों के रूप में उन्होंने कई तरह से पुरुषों का साथ दिया है। अधिक आधुनिक भूमिकाओं में वे शिक्षक, प्रबंधक, राजनेता आदि रही हैं। पिछले कुछ समय में तो उन्होंने लैंगिक बाधाएं भी लांघी हैं और पर्वतारोही, पायलट बनने के साथ सशस्त्र सेनाओं में लड़ती हुई भी नजर आई हैं।


किंतु महिलाओं के लिए स्थितियां हमेशा ऐसी नहीं थीं। अतीत में महिला को पुरुष के बगैर कुछ नहीं माना जाता था, वह केवल बेटी, पत्नी या मां ही हो सकती थी। वह नेतृत्व नहीं कर सकती थी, हमेशा अपने जीवन में मौजूद ‘पुरुष’ (चाहे पिता हो, बेटा या पति) की छाया तले रहती थी। निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। यह नजरिया पश्चिमी समाज में भी था, जहां महिलाओं को मताधिकार बहुत देर में हासिल हुआ। भारत में भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, मताधिकार और विवाह तथा रोजगार के मामले में समान नागरिक अधिकार सदी भर संघर्ष करने के बाद ही हासिल हो सके। भारत की आजादी के बाद सर्विधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। एक के बाद एक सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए। उन्हें अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता की भावना महसूस करने के लिए नए अवसर दिए गए। पिछले कुछ दशकों में संसद द्वारा बनाए गए कई कानूनों तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति प्रदान करने की दिशा में बहुत कुछ किया है।

शिक्षा ने महिलाओं को बहुत सशक्त बनाया है और महिलाएं जहां शिक्षित हुई हैं, वहां सबसे तेज गति से सशक्तीकरण हुआ है। इससे महिलाओं को विवाह, मातृत्व और करियर के बारे में फैसले लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। शिक्षा ने विवाह से इतर अवसरों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की है, स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता दी है और ‘उसके जीवन में मौजूद पुरुष’ (चाहे पिता हो या पति) पर उसकी निर्भरता भी कम की है। अब उसे घर पर घरेलू हिंसा अथवा मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता है। इससे उसे गर्भधारण करने के बारे में फैसला करने अथवा अनन्याही संतान की सूरत में गर्भपात करने का अधिकार भी मिल गया है।

स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाओं को कष्ट सहना पड़ता है। अधिकतर महिलाओं के पास सेहत की देखभाल करने का ना तो समय होता है, न सोच होती है और न ही सुविधाएं होती हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के पास तो घरों में शौचालय जैसी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं होतीं। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को सरकारी नीतियों में प्राथमिकता मिली है और सरकार बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम चला रही है।

अकेली महिलाओं चाहे विधवा हो, तलाकशुदा हो या अविवाहित हो उनसे जो सामाजिक लांछन जुड़ा होता था, वह भी भारत में महिलाओं के निचले दर्जे का एक कारण रहा है। अकेली महिला को हमेशा ताने दिए जाते हैं अथवा सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता है लेकिन धीरे ही सही, अब यह सब बदल रहा है। आज की महिला वास्तव में पुराने जमाने से काफी आगे निकल आई है। उसने कई क्षेत्रों में भेदभाव की बाधा लांघ ली है। सबसे शक्तिशाली लोगों में आज कई महिलाएं हैं, जिनमें इंद्रा नूरी, किरण मजूमदार शॉ और चंदा कोछड़ के नाम हैं। भावना कंठ, अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2015 के गणतंत्र दिवस पर सेना के तीनों अंगों, थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना, से पूरी तरह महिलाओं की टुकड़ी राजपथ पर निकली। महिलाएं अपनी शक्ति से यह हासिल कर सकती हैं। ये महिलाएं ‘महिला विकास’ से परे सोचने और ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर बढ़ने की प्रधानमंत्री की कल्पना को चरितर्थ कर रही हैं।

दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान माने जाने का अधिकार है। इस बात का महत्व इसी से रेखांकित होता है कि ‘महिला सशक्तीकरण’ को आठवें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानंद की उक्ति, ‘जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। यक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है’, परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्र और विश्व को भी नेतृत्व प्रदान करने की महिलाओं की क्षमता की सुंदरता से व्याख्या करती है।





40 Centres in 10 States - The 'DHYEYA' Truly All India



विगत 15 वर्षों से सर्वाधिक विश्वसनीय एवं सर्वोल्हृष्ट संस्थान जो
सामान्य अध्ययन के 50 से भी अधिक समर्पित एवं अनुभवी विशेषज्ञों
का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क

Vinay Singh, Founder & CEO

Q. H. Khan, Managing Director

ANNOUNCEMENT OF NEW BATCHES FOR SESSION 2016-17

हिन्दी माध्यम

North Delhi (Mukherjee Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

9th September
at
9:00 am

CRASH COURSE FOR MAINS 2016

अगस्त द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ...

वैकल्पिक
विषय

- हिन्दी साहित्य • भूगोल
- अगस्त 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ

Allahabad

सामान्य अध्ययन

FOUNDATION

9th September at 5:30 pm
23rd August at 8:00 am

MAINS BATCH

10th August
at
10:00 am

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

REGULAR BATCH
11th August at
2:30 pm & 5:30 pm

WEEKEND BATCH
13th August
at 4:00 pm

वैकल्पिक
विषय

- इतिहास • भूगोल • समाजशास्त्र • राजनीति विज्ञान
- लोक प्रशासन • समाज कार्य • रक्षा अध्ययन
- अगस्त 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ

FACE-TO-FACE CENTRES

- **NORTH DELHI** : 701, 1st Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph.: 011-47354625/26, 09540062643, 9205274741/42/43
- **EAST DELHI** : 1/53 IIrd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi Ph.: 011-43012556 / 09311969232
- **ALLAHABAD** : IIInd & IIIrd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001 Ph.: 0532-2260189/08853467068
- **LUCKNOW** : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow (UP) Ph.: 0522-4025825 / 09506256789

East Delhi (Laxmi Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

REGULAR BATCH

16th August
at
9:00 am

WEEKEND BATCH

27th August
at
11:00 am

PCS BATCH

22nd August at 7:30 am

Lucknow

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

9th September

at
6:00 pm

15th September

at
9:00 am

वैकल्पिक
विषय

- इतिहास • भूगोल • समाजशास्त्र
- अगस्त 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ

VSAT CENTRES

BIHAR: PATNA - 7549106424, **CHATISGARH:** BILASPUR - 9424124434, **DELHI & NCR:** FARIDABAD - 9582698964, LAXMINAGAR - 9311969232, **HARYANA:** SIRSA - 9255464644, KURUKSHETRA - 8607221300, **JHARKHAND:** DHANBAD - 9973401444, **MADHYA PRADESH:** JABALPUR - 9993681988, REWA - 9926207755, SINGRAULI - 9589913433, **PUNJAB:** AMRITSAR - 737828266, CHANDIGARH - 9872038899, PATIALA - 9041030070, **RAJASTHAN:** ALWAR - 9024610363, JODHPUR - 9782006311, SIKAR - 9672980807, **UTTAR PRADESH:** BAHRACH - 8874572542, BAREILLY - 7409878310, GORAKHPUR - 9236747474, JHANSI - 8874693999, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7570009004, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) - 7570009003, MORADABAD - 9927622221, SAHARANPUR - 9568859300, **WEST BENGAL:** KOLKATA - 8335054687

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYIAIAS.COM OR SEND 'DHY' AT 52424 OR CALL ON 9205274741/42/43



भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण

कमला भसीन



ज्यादातर देश आज

**महिला-पुरुष समानता और
नारी सशक्तीकरण को विकास
और साथ ही साथ परिवारों,
समुदायों और राष्ट्रों के कल्याण
के लिए अनिवार्य मानते हैं।
कोई भी राष्ट्र, समाज और
परिवार समृद्ध और खुशहाल
नहीं हो सकता, यदि उसकी
आबादी का 50 प्रतिशत, यानी
महिलाएं और लड़कियां सम्मान,
आज़ादी और खुशी से वंचित हैं**

के

वल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों की महिलाएं भेदभाव का शिकार होती आयी हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं, वंचित और अधिकार विहीन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहां संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। पितृसत्ता में महिलाओं पर हिंसा, व्यवस्था का अंग होती है। अर्थात् महिलाओं को हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से निर्यातित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा की शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है, और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं।

भारत में महिलाएं: निचले स्तर पर

भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताएं होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान लगाना, निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। उनका संबंध अलग-अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाएं पितृसत्तात्मक ढांचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हें महिला-पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया

का सबसे प्रतिकूल महिला-पुरुष अनुपात है। महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम है, महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएं अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं और उनका संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर विलेही स्वामित्व और/या नियंत्रण होता है। महिलाओं की प्रधानता वाले घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वे हमारे देश के निर्धनतम घरों में से हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही। उन्हें विधिक प्राधिकरण से बाहर रखा जाता है। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक नियमों के निरूपण में उनकी राय नहीं ली जाती और उन्हें अधीन रखा जाता है।

सभी जगह तो नहीं, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में लड़कियां असुविधाओं, बोझ और भय के डर तत्त्व जीवन बिताती हैं। वे उपेक्षा, भेदभाव का बोझ उठाती हैं, घरेलू कामकाज का बोझ उठाती है, भाई-बहनों की देखरेख का बोझ उठाती है, घर से बाहर काम करने का बोझ उठाती हैं। लड़कियां भय के साथ जीती हैं— कोख में ही खत्म कर दिए जाने का भय, जहर दिए जाने का भय, उपेक्षित होने और काल का ग्रास बनने दिए जाने का भय, भरपूर प्यार, देखभाल, पोषण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा न मिलने का भय। हमारी बेटियां छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म जैसे

लेखिका स्त्री, विकास, शिक्षा व मीडिया जैसे विषयों पर 1970 से सक्रिय हैं। संप्रति वह नारीवादी संगठन संगत की सलाहकार तथा महिला संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र जागोरी व जागोरी खरल चैरिटेबल ट्रस्ट की वैशिक अभियान वन बिलियन राइजिंग की दक्षिण एशिया समन्वयक भी हैं। विश्व खाद्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र जैसी वैशिक संस्थाओं के साथ लगभग तीन दशक तक काम कर चुकी हैं। ईमेल: kamla@sangatsauthasia.org, sangat.sangat@sagovi.org

यैन उत्पीड़न के भय के साथ भी जीती हैं। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी, जघन्य सामूहिक दुष्कर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह के बाद उन्हें अकेलेपन, अनमेलपन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भय का सामना करना पड़ता है।

यह स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है और इसकी भर्त्सना होने लगी है, निर्णय लेने वाले समस्त निकायों में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। महिलाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में सुधार हुए हैं, नीतिगत वक्तव्य महिलाओं के प्रति अब ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। सरकारी और गैर-सरकारी विकास एजेंसियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमारी सरकारों ने महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए महिला व्यूरो, आयोग, विभाग और/या मंत्रालय स्थापित किए हैं। इसके बावजूद, हमें महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सशक्तीकरण: गतिशील राजनीतिक प्रक्रिया

महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमें उन्हें यानी-महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, जो अधिकारों से वर्चित हैं। किसी को सशक्त बनाने के लिए हमें शक्ति को समझने की जरूरत है। शक्ति दूसरों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता या सामर्थ्य है। शक्ति का अभिप्राय स्वायत्ता, स्वतंत्रता, अपना विकल्प स्वयं चुनना, अपनी बात खेलने का अधिकार होना है।

मानव समाजों में शक्ति, संसाधनों और विचारधारा पर नियंत्रण से प्राप्त होती है। जिन लोगों का संसाधनों और विचारधारा (लोगों के चिंतन, विश्वास आदि) पर नियंत्रण होता है, वे परिवारों, समुदायों और देशों के लिए निर्णय लेने वाले और नियंत्रक बनते हैं। इसलिए, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, पितृसत्तात्मक चिंतन और ढांचों में बदलाव लाने, महिलाओं को संसाधनों (प्राकृतिक, मानव, बौद्धिक, वित्तीय, आंतरिक संसाधन) पर नियंत्रण प्रदान करने,

उन्हें निर्णय लेने की भूमिकाओं में लाने आदि की आवश्यकता होगी।

मेरा मानना है कि महिलाओं का सशक्तीकरण तभी हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, जब सत्ता का हमारा बोध, सत्ता के मौजूदा बोध से अलग होंगे। हमारे लिए सशक्तीकरण का आशय -दूसरों पर अधिकार स्थापित करना, अपने हिस्से से ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अस्तित्व का सामर्थ्य होना चाहिए, दूसरे के लालच, धनलोलुपता, हिंसा पर नियंत्रण का सामर्थ्य होना चाहिए, अन्य लोगों का विकास करने, उनकी पीड़ा मिटाने और उनकी देखरेख करने, न्याय, नीति, नैतिकता के लिए लड़ने, विवेक और करूणा का मार्ग प्रशस्त करने वाली आंतरिक प्रगति प्राप्त करने का सामर्थ्य

महिला आंदोलन और सरकारों तथा सामाजिक संगठनों की कार्रवाइयों से उपर्युक्त दबाव के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए वास्तव में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, उदाहरण के लिए-महिलाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की पराधीनता और सभी के द्वारा उसे चुनौती दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाने लगा है।

होना चाहिए।

महिलाओं का सशक्तीकरण सतत और गतिशील दोनों ही तरह की प्रक्रिया है और यह महिलाओं को पराधीन रखने वाले ढांचों और विचारधाराओं को बदलने की महिलाओं की योग्यता में वृद्धि करती है। यह प्रक्रिया उन्हें संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ज्यादा पहुंच और नियंत्रण कायम करने, अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण प्राप्त करने और ज्यादा स्वायत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को आत्मसम्मान और गरिमा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी आत्म छवि और सामाजिक छवि में सुधार होता है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया एक राजनीतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के वर्तमान संबंधों में बदलाव लाना है।

महिलाओं के सशक्तीकरण का लक्ष्य मात्र महिलाओं और पुरुषों के अनुक्रमात्मक संबंधों

में बदलाव लाने ही नहीं है और नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य समाज के समस्त अनुक्रमों यथा- वर्ग, जाति, श्रेणी, नस्ल तथा उत्तर-दक्षिण संबंधों में बदलाव होना चाहिए। महिला-पुरुष संबंध शून्य में नहीं संचालित होते, क्योंकि ये अन्य समस्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित और प्रभावित होते हैं, इसलिए कोई भी अन्य व्यवस्थाओं और अनुक्रमों में बदलाव लाए बिना, महिला-पुरुष अनुक्रमों में बदलाव नहीं ला सकता।

महिलाओं का सशक्तीकरण, सशक्तीकरण की प्रकृति, समस्त वर्चित लोगों और देशों के सशक्तीकरण से अलग नहीं है और न ही अलग किया जा सकता है। इसलिए समान स्वन्ध के अलग-अलग खण्ड हैं, इसलिए उनके बीच मजबूत संपर्क और गठजोड़ बनाने की जरूरत है।

मेरा मानना है कि महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते समय, हमें महिलावादी चिंतन और विचारधारा, समानता, न्याय, लोकतंत्र और निरंतरता के सिद्धांतों के सशक्तीकरण के बारे में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। इसका आशय है कि हमें इस बात की परिवाह किए बौगर सभी महिलाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए कि वे किसके लिए उठ खड़ी हुई हैं। हमें महिला तानाशाहों, महिला पितृसत्तात्मकों, जाति और पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली महिलाओं को महज इस बात के लिए सशक्त नहीं बनाना है कि वे महिलाएं हैं। हम स्वीकार करते हैं कि महिलाएं भी पितृसत्तात्मक और प्रभुत्व जमाने वाली हो सकती हैं और कुछ पुरुष पितृसत्ता और अन्य अनुक्रम व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष में हमारे भागीदार हो सकते हैं। हमारा संघर्ष कुछ विशेष सिद्धांतों और एक ऐसे समाज के लिए है, जहां सभी महिलाओं और पुरुषों के पास जीने, आगे बढ़ने और भागीदारी के समान अवसर हैं।

केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों को भी सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं महज एक पृथक वर्ग भर नहीं हैं। प्रत्येक विषय पर -चाहे वह सैन्यीकरण हो, मानवाधिकार हों या सतत विकास हो, महिलाओं की चिंताएं, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण आवश्यक हैं। प्रत्येक विषय महिलाओं का विषय है।

महिलाओं का सशक्तीकरण यदि मजबूत

और व्यापक बनाना है और कोई बदलाव लाना है, तो ऐसा सभी स्तरों पर और सभी वर्गों में किया जाना चाहिए। बुनियादी स्तर की महिला कार्यकर्ताओं, माध्यमिक स्तर की महिला कार्यकर्ताओं और सरकार में मौजूद महिलाओं, मीडिया में मौजूद महिलाओं, महिला राजनीतिज्ञों, महिला शिक्षाविदों, महिला कलाकारों, महिला उद्यमियों आदि के बीच प्रभावी नेटवर्किंग की आवश्यकता है। हमें सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने वालों और व्यापक स्तर पर काम करने वालों के बीच नेटवर्किंग की आवश्यकता है। हमें सभी स्तरों पर दयालु पुरुषों की भी आवश्यकता है।

महिलाओं का सशक्तीकरण एकतरफा प्रक्रिया नहीं है—जिसमें कुछ कार्यकर्ता जाकर अन्य को सशक्त कर सकते हो। यह दोतरफा प्रक्रिया है, जिसमें हम सशक्त बनाते हैं और सशक्त होते हैं। यह हम सभी के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी सशक्त नहीं बन सकता और उसके बाद अन्य लोगों को सशक्त नहीं बना सकता।

महिलाओं का सशक्तीकरण बहुआयामी और संपूर्ण होना चाहिए। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कुछ या सभी को शामिल किया जा सकता है:

- महिलाओं के योगदान को समाज में जाहिर करना, यानी यह दर्शाना कि महिलाएं बच्चों को जन्म देने और घर-गृहस्थी संभालने के साथ-साथ किसान, श्रमिक, कारीगर, व्यवसायी आदि भी हैं, वे सदैव उत्पादन में लगी रहती हैं और जीड़ीपी में उनका योगदान हमेशा ज्यादा रहा है। वे जीवन की उत्पादक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधक आदि हैं।
- महिलाओं और समाज को, महिलाओं में पहले मौजूद रहीं और अब तक मौजूद विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी, क्षमता और कौशलों की पहचान करना।
- महिलाओं को आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास प्रदान करने वाला सामाजिक वातावरण तैयार करना।
- महिलाओं और लड़कियों को उनके पूरे सामर्थ्य का अहसास करने के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कुछ गिनी-चुनी परंपरागत भूमिकाओं और व्यवसायों में धकेलने की जगह और विकल्प प्रदान

करना। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करना, जो उन्हें घरेलू बनाने की जगह सशक्त बनाए।

- महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाना, वे कब और किससे शादी करेंगी, क्या वे बच्चों को जन्म देंगी और कब देंगी, वे क्या पढ़ेंगी और कब पढ़ेंगी। परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय मामलों पर भी निर्णय लेना। सभी स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं और लड़कियों की वास्तविक आवश्यकताओं, परिवार के भीतर और बाहर उनके दर्जे, उनके अधिकारों और उत्तराधिकारों के बारे में महिलाओं और पुरुषों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं की भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशेष जरूरते पूरी करने के लिए उनको सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना।

महिलाओं के संघर्षों और आंदोलनों को शांति आंदोलनों, पारिस्थितिकी आंदोलनों, श्रमिकों और किसानों के आंदोलनों, मानवाधिकार आंदोलनों तथा समाज के प्रजातंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए होने वाले आंदोलनों से करीब से जोड़ने की आवश्यकता है। ये आंदोलन समान संघर्ष के अलग-अलग पहलू हैं।

- महिलाओं को उत्पादन के साधनों तक पहुंच और नियंत्रण, संपत्ति और अन्य संसाधनों तथा आमदनी पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करना।

विशेष ध्यान बिंदु

कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत अहम हों, लेकिन अतीत में उन पर पर्याप्त ध्यान न दिया गया हो। इन क्षेत्रों पर बहुत सावधानी से गैर किये जाने की आवश्यकता है और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए।

संपत्ति और अन्य उत्पादक संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण का अभाव उनके अधीनता के दर्जे का महत्वपूर्ण कारण है।

इसी वजह से महिलाएं हर समय असुरक्षित महसूस करती हैं। बीना अग्रवाल ने अपनी पुस्तक अ फील्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया में बहुत पुख्ता दलील दी है कि महिलाओं और पुरुषों में अंतर का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण है, जो महिलाओं के कल्याण, सामाजिक हैसियत और सशक्तीकरण को प्रभावित करता है। इस मामले को सभी स्तरों पर तत्काल हल किया जाना चाहिए।

लाभप्रद रोजगार तक पहुंच में कमी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। जहां नकदी लाने पर ज्यादा बल दिया जाता है, वहां महिलाओं को नकदी लाने के लिए कौशल सीखने और उनका विकास करने तथा लाभप्रद रोजगार के अवसरों से वर्चित रखा जाता है। महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन नहीं किया जाता और यदि वे नकदी नहीं अर्जित कर पातीं, तो उनकी अहमियत कम करके आंकी जाती है, उन्हें बोझ और जिम्मेदारी समझा जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर ज्यां द्रेज द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि बाहरी कार्य और वेतनभोगी रोजगार से अंतः परिवार वितरण में महिला-विरोधी पक्षपात कम होता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि 'लाभप्रद' आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी दुनिया के बहुत से हिस्सों में महिलाओं को होने वाली की विशेष प्रकार हानियों से निपटने का महत्वपूर्ण कारक है। भारत में हमने महिलाओं के लिए आमदनी सृजित करने वाली गतिविधियों के बारे में काफी चर्चा की है, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाओं की सहायता करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने महिलाओं की आमदनी में ज्यादा वृद्धि किए बागेर उनके काम के बोझ को बढ़ा दिया है। इस मामले पर सावधानीपूर्वक गैर करने की आवश्यकता है।

घरेलू कामकाज और बच्चों की देखरेख के कार्य को साझा करना एक अन्य क्षेत्र है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की सबसे ज्यादा अधीनता यहीं पर देखी गयी है। महिलाएं हर वक्त कड़ा परिश्रम करती हैं, उनके पास कोई मनबहलाव का समय नहीं होता, पढ़ाई करने, आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते। महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण की राह में यह एक बड़ी रुकावट है। यदि परिवार हाथ बटाएं, तो

महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी लाई जा सकती है। लड़कों और पुरुषों को बच्चों की देखरेख, लालन-पालन संबंधी गतिविधियों में हाथ बंटाना चाहिए, ताकि महिलाओं को आराम करने का समय मिल सके, स्वयं के लिए समय मिल सके, अन्य रुचियां विकसित करने का समय मिल सके।

महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण एक अन्य क्षेत्र है, जिसका अध्ययन करने, समझने और जिसका समाधान किए जाने की जरूरत है। कम उम्र में शादी, पर्दा, महिलाओं के आने-जाने पर रोक-टोक, ये सभी महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के तौर-तरीके हैं, जिनके लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के लिए व्यापक निहितार्थ हैं।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, वह है विचारधारा, जो पितृसत्ता के ढांचों, पद्धतियों और व्यवहार के तौर-तरीकों को उचित ठहराती है और बनाए रखती है। मीडिया विचारधारा के सशक्त रचयिता हैं और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर मीडिया कितना महिला-पुरुषों में भेदभाव करने वाला और महिला विरोधी रहा है और है। मीडिया में महिलाओं की छवि बदलने की दिशा में काफी काम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थितियां और खराब होती चली गयीं।

धर्म भी पितृसत्तात्मक विचारधारा का रचनाकार है। धार्मिक ग्रंथ और पुराण, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, जो पुरुषों की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाते और उसे उचित ठहराते हैं, उन्हें भी पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर चुनौती दिए जाने की आवश्यकता है। यह वस्तुतः ऐसा क्षेत्र है, जिससे सावधानीपूर्वक पार पाना चाहिए, लेकिन ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो रातों-रात नहीं बदलेगा, लेकिन यदि हम खामोश रहे, तो यह कभी नहीं बदलेगा। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग अनुक्रम को उचित ठहराते हैं, जिसे वर्तमान में अविवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नारी सशक्तीकरण व शिक्षा

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप है, बशर्ते इस शिक्षा की विषय-वस्तु और कार्य पद्धति दोनों ही महिलाओं के पक्ष में हों।

हमें उन प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और बढ़ाने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को शिक्षित बनाने, जानकारी और ज्ञान देने के किए जा रहे हैं, जो उन्हें पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो केवल शब्द पढ़ने और समझने में ही महिलाओं की मदद न करे, बल्कि हमारी दुनिया को पढ़ने, समझने और नियंत्रित करने में उनकी सहायता करे, जो महिलाओं को केवल शिक्षा के तीन बुनियादी सिद्धांतों में ही महारत न दिलाएं, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के जीवन में भी महारत दिलाएं और अपना

धार्मिक कानून और पद्धतियां
जो हमारे सविधान के विरुद्ध हों, जो महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हों, उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। हम इस संवेदनशील विषय पर क्या और कैसे करेंगे, चर्चा की जानी चाहिए और सावधानीपूर्वक योजना बनायी जानी चाहिए ताकि इस बारे में भावनाएं आहत करने और प्रतिक्रिया होने को टाला जा सके।

भाग्यनिर्माता बनने में मदद करे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करे, जो उन्हें अपमानपूर्ण और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करे। यदि हम महिलाओं की साक्षरता के साथ जुड़ेंगे, तो महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं जागृति का केंद्र बन जाएंगी। वे महिलाओं को सशक्त समूह बनाने में सहायता करेंगी, ताकि वे अपने जीवन पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकें, उनकी चुप्पी तोड़ने में मदद कर सकें, उन्हें जाहिर कर सकें। इन कक्षाओं में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए, जो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आजादी दे, जो उन्हें अपने पूर्ण मानवीय सामर्थ्य को महसूस करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करे। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्रवाई और चिंतन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हमें शैक्षणिक प्रयास महिलाओं की मौजूद जानकारी और कौशल पर आधारित होने चाहिए। वे पुख्ता होने चाहिए, उनमें प्रत्येक में

मौजूद अच्छाइयों को उजागर करने वाले होने चाहिए।

महिलाओं की शिक्षा की कार्य पद्धति पितृसत्तात्मक और गैर-अनुक्रमात्मक होनी चाहिए। महिलाओं को उनके स्वयं के एंजेंडा और प्राथमिकताओं के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। शैक्षणिक प्रक्रिया उन्हें स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराने वाली, उनमें विश्वास और आत्म-सम्मान जगाने वाली, उनकी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने वाली, उन्हें ऊर्जा से भरपूर और प्रसन्न महसूस कराने वाली और एक शब्द में कहें तो-उन्हें सशक्त बनाने वाली होनी चाहिए।

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो न केवल नए कौशलों और ज्ञान को तलाशने और प्राप्त करने में सहायता करे, बल्कि प्रतिभागियों को न्याय, समानता, ईमानदारी, सच्चाई और शोषित वर्गों के बीच एकजुटता जैसे सशक्त बनाने वाले मूल्यों को प्राप्त करने में भी मदद करे। यह महिलाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने और जारी करने वाली होनी चाहिए ताकि वे विभिन्न स्तरों पर विविध प्रकार के अपने संघर्षों में दृढ़ विश्वास और साहस के साथ डटी रह सकें।

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो ज्यादा प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की ओर न ले जाए, बल्कि महिलाओं के बीच विश्वास और एकजुटता उत्पन्न करे। यह उन्हें विभिन्न स्तरों पर संगठन और नेटवर्क बनाने में सहायता करने वाली होनी चाहिए। इसे महिलाओं को विश्लेषण करने वाला और प्रश्न पूछने वाला दिमाग और अपने आसपास की वास्तविकताओं को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। वह उन्हें सूक्ष्म और व्यापक वास्तविकताओं के बीच, सूक्ष्म वास्तविकताओं और व्यापक नीतियों के बीच, स्थानीय और वैश्विक के बीच संपर्क देखने में सहायता करें।

एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ मानवीय मूल्यों का सशक्तीकरण भी होना चाहिए। केवल तभी हमारे चारों ओर समानता, न्याय और शांति होगी। महिलाओं का सशक्तीकरण केवल तभी त्वरित गति से संभव हो सकेगा, जब पुरुष इस बात को समझेंगे कि यह उनके लिए भी अच्छा होगा और यह परिवारों और राष्ट्रों के लिए भी अच्छा होगा। याद रहे कि उत्तम पुरुष समानता से भयभीत नहीं होते। □



महिला सशक्तीकरण: सरकार का दृष्टिकोण

लीना नायर



**लैंगिक समानता का सिद्धांत
भारतीय संविधान की प्रस्तावना,
मौलिक अधिकार, मौलिक
कर्तव्यों और नीति निदेशक
सिद्धांतों में निहित है। संविधान
न केवल महिलाओं को समानता
प्रदान करता है बल्कि राज्यों
को इस बात का अधिकार देता
है कि वे महिलाओं का पक्ष लें।
समानता और समावेशी विकास
के इस सिद्धांत को ध्यान
में रखते हुए महिलाओं को
सशक्त करने और बच्चों का
लालन-पालन करने, (जोकि
देश की कुल जनसंख्या का
70 प्रतिशत हैं) का हर संभव
प्रयास किया जाता है**

लेखिका तमिलनाडु काडर की आईएस अधिकारी हैं और संप्रति भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव है तथा महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में सुधार से जुड़े विविध कानूनों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। वह ह्यूर्बट-हम्फ्री फेलो (1999-2000) भी वही हैं। ईमेल: secy.wed@nic.in

ऐ

से विभिन्न कानून समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए और संशोधित किए जाते हैं तथा योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रतिपादित किया जाता है जिनके मूर्त परिणाम दृष्टिगत हों और महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पढ़े। बेशक, महिला सशक्तीकरण एक जटिल मुद्दा है जिसके असंख्य संकेतक हैं। मौजूदा पेपर महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक कायाकल्प के उद्देश्य से सरकार द्वारा की जाने वाली पहल पर केंद्रित है। सशक्तीकरण एक समर्थकारी प्रक्रिया है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय सहित अन्य प्रकार की सुरक्षा के मामले में महिलाओं की हालत में सुधार होगा, तभी उन्हें सशक्त माना जाएगा।

स्वास्थ्य

भारतीय जनता, विशेष रूप से गरीबों और वर्चितों को उत्तम और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना भारत सरकार के लिए एक दुर्जय कार्य है। वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है, ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बेहतर बुनियादी ढांचे, दवाओं और उपकरणों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सुधार किया है।

स्वास्थ्य उत्तरजीविता के संकेतकों में सुधार की पूर्व शर्त है। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच को बढ़ाना रहा है। महिलाओं में पोषण की कमी देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे यहां एक तिहाई (35.6

प्रतिशत) महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) बहुत कम है। इसी तरह देश की अधिकतर महिलाओं में कुपोषण का भी बुरा असर होता है। हमारे देश की हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला में खून की कमी है। मातृ एवं शिशु कुपोषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीटीएस) योजना को सार्वभौमिक और सशक्त बनाया गया। आईसीटीएस बाल्यावस्था में देखभाल और विकास का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा आउटरीच कार्यक्रम है। इसमें 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिये देश के सभी जिलों और ब्लॉकों को कवर किया गया। यह इस बात का प्रतीक है कि देश 1.9 करोड़ गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं और छह वर्ष से छोटे 8.4 करोड़ बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आउटरीच गतिविधि के रूप में आयोजित किए जाते हैं।

मातृ मृत्यु दर अनुपात (एमएमआर) को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए। इनमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं के सीजेरियन सहित मुफ्त एवं सस्ते प्रसव के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), माताओं और बच्चों से संबंधित जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड, प्रसव पूर्व, प्रसव एवं प्रसव उपरांत देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए जच्चा-बच्चा निगरानी प्रणाली, साथ ही उपयुक्त स्तर पर कार्वाई करने एवं

प्रसूति देखभाल की स्थिति में सुधार करने के लिए टीकाकरण सेवा तथा मातृत्व मृत्यु समीक्षा (एमडीआर) शामिल है। ऐसे सभी प्रयासों के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रगति हुई है और भारतीय रजिस्ट्रार जनरल, नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई-एसआरएस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर 2007-09 और 2010-12 के दौरान एक लाख जीवित प्रसव पर क्रमशः 212 और 178 हो गया है।

पिछले एक दशक में अधिक से अधिक महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए जा रही हैं और कुछ राज्यों में यह संभवा दोगुनी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 मसौदा भी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को लक्षित करती है।

13 राज्यों के लिए एनएफएचएस-4 (2015-16) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह कहा गया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार हुआ है। इसमें पुरुष नसबंदी और गर्भनिरोधकों के उपयोग को बढ़ाने के लक्ष्य का भी उल्लेख है।

शिक्षा

महिलाओं की स्थिति में शिक्षा का बहुत महत्व है लेकिन शिक्षा के लाभों पर अब तक पर्याप्त बल नहीं दिया जा सका है। उत्तम शिक्षा और दक्षता प्रदान करने के लिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं। सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किया गया और इसके तहत एक प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) चलाया गया ताकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का काम शुरू किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में

लड़कियों के दाखिलों में वृद्धि हुई और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई। डीआईएसई 2012-13 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लिंग समानता सूचकांक प्राथमिक स्तर पर 1.0 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.95 है जबकि सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मदद मिली है, वहीं उत्तम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी उपकार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है पढ़े भारत, बढ़े भारत। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा एक और दो के बच्चों का पढ़ने, किसी भाषा में अनुच्छेद लिखने और गणित का स्तर विश्वस्तरीय हो। यह अभियान सुनिश्चित करता है कि हर स्कूल में 800 शिक्षण घंटों के साथ 200 स्कूली दिवस अवश्य हों। देश भर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एसएसए के तहत विद्याजंलि (स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम) भी चलाया जाता है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना यह सोचकर की गई है कि लोग उन स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान करें जिन्हें सचमुच उनकी जरूरत है।

यह दर 2001 में 65.38 थी जोकि 2011 में 74.04 हो गई। सीबीएसई ने भी लड़कियों की शिक्षा के लिए उड़ान जैसा कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक मेंटरिंग और स्कॉलरशिप योजना है जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के दाखिलों को बढ़ाना और सभी को मुफ्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देना है।

एक ओर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए लागू किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत एक नया वेब आधारित पोर्टल विद्या लक्ष्मी (www.vidyalakshmi.co.in) शुरू किया है। विद्या लक्ष्मी पहला और अपने आप में ऐसा अनूठा सिंगल विंडो मंच है जहां से विद्यार्थी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं और बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने

वाले शिक्षा ऋण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

हालांकि भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पद हासिल किए हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं लेकिन लिंग भेद अब भी मौजूद है। युवाओं को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाने और सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का सृजन करने के लिए, जो लड़कियों और उनके अधिकारों का मूल्य समझें, देश भर के कॉलेजों में जेंडर चैरियर्स को संलग्न करने के प्रावधान किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कुलपतियों को इस संबंध में अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बचाव और सुरक्षा

यह हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है कि समावेशी समाज और विकास को पुष्ट किया जाए। लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करना उसी का अहम हिस्सा है। सरकार महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कानून बनाए जा रहे हैं। पीड़िताओं को सहयोग देना और यह सुनिश्चित करना कि पुलिस और अन्य एजेंसियां हिंसा के शिकार महिलाओं की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। बलात्कार और यौन हिंसा के संबंध में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं की बात

सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ी है। 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) लागू किया जा रहा है। देश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि से यह साफ नजर आता है।

सुनी जाए और उन्हें न्याय मिले।

महिलाओं को काम करने तथा अपनी

पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए लिंग आधारित हिंसा से निपटने हेतु हाल ही कई कानून बनाए गए हैं। ये हैं—आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 जिसे बलात्कार जैसे अपराधों के लिए सजा को और कठोर बनाने के लिए अमल में लाया जा रहा है। इसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। एसिड हमले, यौन उत्पीड़न, छिपकर देखने और पीछा करने, महिला को निवंत्र करने जैसे नए अपराधों को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। अधिनियम में हिंसा से प्रभावित महिला को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित सरकारी अधिकारियों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाया गया है। कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थलों पर काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान

मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक,
2016 को राज्यसभा में पारित किया गया है जिसके तहत कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्तों की बजाय 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और इससे निश्चित रूप से भारत में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़ेगी।

करना है।

ये विधान अन्य मौजूदा कानूनों के पूरक हैं, जैसे परिवार के भीतर किसी भी तरह की हिंसा की शिकार महिला की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012, गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी), 1994। इसी प्रकार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाकर किशोरों के विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए उनकी उचित

देखभाल, संरक्षण और बच्चों के उपचार का प्रावधान किया गया है।

रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक निर्भया फंड की स्थापना की है जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और अब तक दो हजार करोड़ रुपए के लगभग 15 प्रस्ताव सुझाए जा चुके हैं। इनमें मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर, कानूनी परामर्श/अदालती मामलों को प्रबंधित करना, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अस्थायी आश्रय देना, आपातकालीन या गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया देने के लिए 24 घंटे की महिला हेल्पलाइन, देश के सभी जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए जांच इकाइयां (आईयूसीएडब्ल्यू), रेलवे कोचों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना, नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ), महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) और अन्य शामिल हैं।

बहु-क्षेत्रीय बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं पहल भी भारत में बालिकाओं के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने को लक्षित है और इसका एक उद्देश्य लिंग अनुपात (सीएसआर) को कम करना तथा जीवनपर्यन्त महिलाओं की अशक्तता जैसे मुद्दों का समाधान करना है। बीबीबीपी कार्यक्रम बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर अभिनव पहल करता है। उत्साहजनक परिणाम और परिवर्तनकारी क्षमता के कारण कार्यक्रम को प्रारंभिक 100 जिलों में सबसे कम सीएसआर वाले 61

पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शन के मूल्यांकन, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस थानों के माध्यम से पुलिस बल में लिंग संवेदनशीलता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

जिलों में लागू किया गया है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहयोग और राहत प्रदान करने के अन्य कार्यक्रमों में पीड़ित राहत योजना तथा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं, विशेषकर बलात्कार पीड़िताओं को राहत व पुनर्वास देने के लिए स्वाधार और शॉर्ट स्टे

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)

जो विशेष रूप से गरीब महिलाओं के लिए काम कर रहा है। यह कोष महिलाओं को नियमित रूप से धन प्रदान कर रहा है और उन्हें बाजारों से जोड़ रहा है। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए आरएमके द्वारा महिला ई-हाट शुरू किया गया है जिससे महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा किया जा सके।

होम जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इतना ही नहीं, नारी संवेदी पुलिस सेवा और नीतियों, प्रोटोकॉल और संचालन प्रक्रियाओं में नारी संबंधी मुद्दों को एकीकृत करने के लिए एक नई योजना को पायलट आधार पर शुरू किया गया है। जमीनी स्तर पर महिलाओं और पुलिस के बीच एक कड़ी बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीवी) की भर्ती की जा रही है। एमपीवी का उद्देश्य आस-पास के इलाकों में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों की रिपोर्ट करना है।

वित्तीय सुरक्षा

इन चुनौतियों के बावजूद देश की लाखों महिलाएं बाधाओं को पार करते हुए अपना भविष्य बदल रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरिमी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने जहां एक ओर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराई है, वहां उन्हें अर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सशक्त बनाया है। साथ ही साथ ग्रामीण परिसंपत्ति का सृजन भी किया गया है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने वाला एक कार्यक्रम और है। डिजिटल इंडिया के तहत वेब आधारित विपणन वैश्विक बाजार तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाएगा और व्यापार

समुदाय एवं महिला उद्यमियों के बीच संबंधों के विकास को बढ़ावा देगा। वित्तीय समावेशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पहली बार लाखों महिलाओं का बैंक खाता खोला गया जिससे उनमें आत्मविश्वास आया है और उन्हें गरीबी एवं कर्ज के दुष्क्रो को मुक्त होने का मौका मिला है। गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए तीसरे वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में 47 प्रतिशत महिलाओं का एक पीएमजेडीवाई बैंक खाता है। इसके अलावा महिलाओं में कौशल और रोजगारपरकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई) के तहत महिलाओं को अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस प्रकार महिलाओं को अच्छा रोजगार प्रदान करते हुए उन्हें गरीबी के दलदल से निकालना सरल होगा। बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के तहत एक छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जून 2016 तक देश भर में 87 लाख बैंक खोले गए हैं।

निष्कर्ष

उपरिलिखित प्रयास भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र में निस्संदेह महत्वपूर्ण कदम कहे जा सकते हैं। फिर भी पिंतुसत्तात्मक मानसिकता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पोषण, शिक्षा और रोजगार से हक से महसूस करना और उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग करना अब भी एक चुनौती है। प्रक्रियाओं को समेकित करने की दिशा में प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है जिसे महिलाओं के लिए नई राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित किया गया है। मसौदा नीति में प्राथमिकता वाले सात क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं निर्णय निर्धारण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में वातावरण को सक्षम बनाना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, मास मीडिया एवं खेल, सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। सरकार महिलाओं के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित करने, अवैतनिक सेवाओं को कम करने के लिए लैंगिक भूमिकाओं का पुनर्वितरण, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निजी और परंपरागत कानूनों की समीक्षा कम करने, कृत्रिम प्रजनन तकनीक अपनाने के महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने, सिंगल वूमेन की जरूरतों को स्वीकार करने और उद्यमशील गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं हेतु अनुकूल माहौल बनाने जैसे उभरते हुए एवं नए विषयों को मान्यता दे रही है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि भारत एसडीजी की दिशा में कार्य कर रहा है, 2015 के बाद की समावेशी, समतामूलक, जन केंद्रित और परिवर्तनकारी विकास कार्यसूची के उद्देश्यों को लैंगिक परिदृश्य में समझना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित सभी भागीदारों के समन्वित प्रयासों और योगदान की आवश्यकता है।



www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरने
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

आई.ए.एस. की परीक्षा में सफल होने के लिए

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

‘आप IAS
कैसे बनेंगे’

आप
IAS
कैसे
बनेंगे

डॉ. विजय अग्रवाल

₹195/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
‘चलता-फिरता कोचिंग संस्थान’ है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध



महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

इला आर भट्ट



महिलाओं के रास्ते में लक्ष्य होते हैं, लेकिन मूल्य भी होते हैं, विकास की प्रक्रिया होती है तथा उस प्रक्रिया से सीखना होता है। यह प्रक्रिया स्वयं में सशक्तीकरण है। इसमें समय का अलग अर्थ होता है। काम के लिए जितना चाहे समय दिया जा सकता है। सेवा ने 10 लाख लोगों तक पहुंचने में 30 वर्ष लिए हैं। महिलाएं पूरे समुदाय की ओर देखती हैं और सभी को शामिल करने का प्रयास करती हैं, जो छूट गए उनकी प्रतीक्षा करती हैं चाहे उसके लिए समूह या प्रक्रिया में देर ही क्यों न हो जाए। उनका लक्ष्य प्रभुत्व के बजाय समावेश, अंतिम उद्देश्य के बजाय प्रक्रिया, व्यक्ति के बजाय समूह, अलगाव के स्थान पर एकीकरण होता है

तेखिका मैपसैसे अचार्डी एवं सुपसिद्ध गांधीवादी व राज्यसभा की पूर्व सदस्य हैं। जपीनी स्तर पर विकास के प्रयासों के लिए विश्व के अंगणी प्रणेताओं व उद्यमियों में गिनी जाती हैं। वह सेल्फ इंप्लॉयड वूमन एसोसिएशन (सेवा) तथा सेवा सहकारी बैंक की संस्थापक भी हैं। उन्होंने वूमेंस वर्ल्ड बैंकिंग, द इंटरनेशनल एलायर्स फॉर होम बेस्ट बर्कर्स, (होमनेट) इंटरनेशनल एलायर्स फॉर स्ट्रीट वैंडर्स (स्ट्रीटनेट) तथा वूमेन इन इनफॉर्मल इम्प्लॉयमेंट: ग्लोबलाइसिंग, ऑर्गेनाइजिंग (विगो) की भी स्थापना की। ईमेल: bhattela@sewa.org

ज

ब मैं बड़ी हो रही थी तो भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था और आज़ाद राष्ट्र बन रहा था। युवावस्था में हमने राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, अपने जीवन के पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा की थी ताकि प्रत्येक भारतीय आज़ादी का आनंद उठा सके। महात्मा गांधीजी हमें रास्ता दिखा चुके थे। वह व्यक्तिगत स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्रता के बराबर ही मानते थे। उनके लिए शौचालयों और गांवों के तालाबों की स्वच्छता भी आत्मा की मुक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण थी। हम अर्थव्यवस्था को जनता के दृष्टिकोण से देखना सीख चुके थे। उनके विचार मेरे लिए और सेवा के लिए मार्गदर्शक रहे हैं।

पहला विचार है सरलता क्योंकि हम समझ गए कि प्रगति का मतलब जटिलता बढ़ाना नहीं है। दूसरा है अहिंसा हिंसा मूल रूप से ही आज़ादी के साथ नहीं चल सकती। तीसरा है श्रम की गरिमा, श्रम की शुद्धता। श्रम प्रकृति का नियम है और इसका उल्लंघन ही वर्तमान आर्थिक दुरावस्था का मुख्य कारण है। चौथा है मानवीय मूल्य-व्यक्ति की मानवता का क्षरण करने वाला कुछ भी स्वीकार्य नहीं...। सरलता, अहिंसा, श्रम की शुद्धता और मानव मूल्यों के इन चार स्तंभों पर ही हमें भारत की अर्थव्यवस्था गढ़ने का निर्देश मिला।

चूंकि विचारों में मनुष्य ही केंद्रीय तत्व है, इसीलिए सेवा में हमने धीरे-धीरे विकास के विचार को सर्वांगीण एवं अखंड रूप में समझा। विकास, (जिसे हम रचनात्मक कार्य कहते हैं), को समझकर हम अपनी प्रत्येक गतिविधि को स्वयं पर, समाज पर और विश्व

पर पड़ने वाले प्रभाव से जोड़ते हैं और इस प्रकार जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बन जाते हैं। यही संबंध हमारे सेवा और सेवा आंदोलन का आधार रहा है।

किंतु मेरे हृदय के सबसे करीब है कार्य मैं कार्य अर्थात् 'कर्म' को मनुष्य के जीवन के केंद्र में मानूँगी। कार्य, रचनात्मक कार्य से ही विकास और वृद्धि होती है। गरीब महिलाओं के साथ कार्य करते हुए हमने देखा है कि वह कार्य उनके जीवन के केंद्र में होता है। कार्य ही उनके जीवन को अर्थ प्रदान करता है। कार्य व्यक्ति की पहचान बनाता है। कार्य आजीविका प्रदान करता है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद होता है और इस प्रकार समाज बनता है, राष्ट्र निर्माण होता है। किंतु गरीबी संतुलन बिगड़ देती है। हम प्रत्येक चरण में शोषण देखते हैं: व्यक्ति का शोषण, समुदाय का शोषण और पर्यावरण, प्रकृति का शोषण।

हम मानते हैं कि गरीबी में प्रत्येक चरण पर भेदभाव होता है, जिसका कारण वर्ग, जाति, रंग, धर्म, भूस्वामित्व, लिंग, भाषा आदि कुछ भी हो सकता है। परिणामस्वरूप सभी प्रकार का जोखिम होता है: आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आत्मिक। लोग अपनी आस्था खो बैठते हैं और वे भ्रामक आस्था से जुड़ जाते हैं। गरीबी एक प्रकार की हिंसा है, जो समाज की सहमति से होती है। गरीबी और स्वतंत्रता का हनन अलग-अलग नहीं हैं। कोई भी देश अपनी आज़ादी का उतना ही आनंद उठा सकता है, जितना उसका नागरिक अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यह निष्कर्ष गरीब महिलाओं के साथ

काम करने के मेरे अनुभवों पर आधारित है। इसलिए महिलाओं के नेतृत्व में ही सफलता निहित है। सेवा में जिन महिलाओं के साथ हम काम करते हैं, वे सबसे अधिक जोखिम में हो सकती हैं, लेकिन समूह की ताकत उन्हें मजबूत बनाती है।

हम काम के कारण मिलते हैं और नेटवर्क तैयार करते हैं। हम अपने काम से जुड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए, व्यापारियों, ठेकेदारों, अपनी सरकारों, वैश्विक समुदाय तथा 'व्यवस्था' और 'ढांचों' द्वारा आर्थिक शोषण रोकने के लिए यूनियन बनाते हैं। सेवा में हमने अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए - बचत करने के लिए, कर्ज लेने के लिए, कर्ज देने के लिए, संपत्तियां तैयार करने के लिए, संसाधन इकट्ठे करने के लिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एक बैंक तैयार किया है। हमने एक जुट होकर सहकारी संघ तैयार किए हैं ताकि हम अपने देश की उत्पादन की प्रक्रिया में स्वयं को जोड़ सकें। हम अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने काम स्वयं संभालने तथा बाहरी दुनिया पर असर डालने के लिए स्कूल बनाते हैं।

सेवा कोई परियोजना नहीं है। यह कोई संस्था भी नहीं है। यह अर्थव्यवस्था अथवा धन से भी नहीं जुड़ी है। यह उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के बीच संतुलन बहाल करने जैसा है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक वित्तीय आत्मावलंबन तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से निर्णय लेने का मामला है। यही सशक्तीकरण का मार्ग है।

वैश्विक स्तर पर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में मेरा विचार यही है कि अधिकतर समुदायों के लिए दृष्टि के मामले में नहीं बल्कि संचार के मामले में यह अजनबी जैसे हैं। विकास की भाषा के संदर्भ में मुझे लगता है कि यदि हम लोगों को इन विकास लक्ष्यों से जोड़ना चाहते हैं तो हमें अलग किस्म की भाषा की जरूरत है। सत्ता की भाषा शक्तिहीनता की बात ही नहीं करती। गरीबी भी एक प्रकार की शक्तिहीनता ही है। यह उन लोगों की लक्षण है, जिनका निर्णय प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता अथवा संसाधनों तक जितनी पहुंच नहीं होती। प्रतिभागिता अथवा परामर्श से गरीबी की अशक्तता पर मामूली प्रभाव ही पड़ता है।

जीवन के निर्णयों पर वास्तविक नियंत्रण से ही गरीबी कम होती है। जब गरीबी को अशक्तता का रूप बताया जाता है तो हमें वह तरीका भी दिख जाता है, जिससे इसका हल निकल सकता है। अपने काम, आजीविका, स्वस्थ्य, शिक्षा, शाहीरकरण, विस्थापितों, शांति तथा भविष्य के बारे में उन्हें ही निर्णय करने दिया जाए। राष्ट्रों के ऐसे घोषणापत्र में समुदाय शब्द ही गयब है। अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था लोगों के पास होने चाहिए अन्यथा विकास एवं आजीविका जीवन के समांतर एवं विरोधाभासी प्रारूप बन जाएंगे।

मेरा आग्रह है:

पहला, किसी भी आर्थिक सुधार विशेषकर मूलभूत रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों जैसे खाद्य, जल, वस्त्र, आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं प्राथमिक बैंकों में होने वाले सुधारों के केंद्र में गरीब महिलाओं को रखा जाए।

दूसरा, गरीबी का समाधान करने वाले किसी भी सुधार के केंद्र में 'कार्य' को रखा जाए।

हम अपनी सभी मातृत्व संबंधी जरूरतों, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा के लिए सामाजिक सुरक्षा का नेटवर्क बनाते हैं। हम दुनिया भर की महिला किसानों तथा शिल्पियों के व्यापार सुविधा नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के बीच का अंतर पाठने का प्रयास करते रहे हैं।

तीसरा, गरीबों के उन कार्यक्रमों में जमकर निवेश किया जाए, जो कार्यक्रम विशाल और व्यावहारिक स्तर पर चलाए जा सकते हैं।

चौथा, कामकाजी गरीबों के लिए सर्वांगीण सामाजिक सुरक्षा कवर तैयार किया जाए और प्रसारित किया जाए। हमें यह समझना होगा कि हर मामले में अर्थिक ढांचा सामाजिक ढांचे के साथ करीब से जुड़ा है।

पांचवां, जमीनी स्तर पर स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं की क्षमता को इतना बढ़ाया जाए कि वह स्थानीय तथा वैश्विक स्तर मुख्यधारा के बाजारों में प्रवेश कर जाए। मेरा आग्रह है कि अर्थव्यवस्था नरमी भरी रहे तथा संवर्द्धन वाली अर्थव्यवस्था हो। जो व्यक्ति का विकास करे, उसके समुदाय का विकास करे और ब्रह्मांड का संवर्द्धन करे।

लेकिन करेगा कौन?

मेरा अनुभव है कि महिलाएं ही सामुदायिक पुनर्निर्माण की कुंजी हैं। महिलाओं पर ध्यान दीजिए और आपको ऐसे सहयोगी मिल जाएंगे, जो स्थिर समुदाय की इच्छा रखते हैं। महिला अपने परिवार के लिए जड़ चाहती है। महिला में आपको कामगार मिलेंगे, सब कुछ देने वाली मिलेंगी, सेवा करने वाली मिलेंगी, शिक्षा देने वाली मिलेंगी और नेटवर्क तैयार करने वाली भी मिलेंगी। वह रिश्ते बनाती हैं- उनमें आपको सर्जक भी मिलेंगे और पालक भी मिलेंगे। मेरे विचार से हमारी शांति प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व अखंड है। महिलाएं रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सतत समाधान प्रस्तुत करेंगी।

इसके अलावा यदि महिलाएं केंद्र में होती हैं तो उनका रचनात्मक कार्य ही वह धारा होता है, जो समाज को एक दूसरे के साथ पिरोता है। जब आपके पास काम होता है तो स्थिर समाज तैयार करने का प्रोत्साहन होता है। आप भविष्य के बारे में केवल सोचते नहीं हैं बल्कि उसके लिए योजना भी बनाते हैं। आप अपना संकट कम करने लायक संपत्तियां तैयार कर सकते हैं। जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व बचाना नहीं होता बल्कि बेहतर भविष्य में निवेश करना भी जीवन है। काम से शांति निर्माण होता है क्योंकि वह लोगों को जड़ से जकड़ लेता है, समुदाय बनाता है और इससे किसी के भी जीवन को अर्थ एवं गरिमा प्राप्त होते हैं।

जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं कार्य पर ही जोर दूँगी। कार्य से हमारा मतलब कारखानों की नौकरी नहीं है, मिठाई की दुकानों काम करना या खराब सस्ती मजदूरी करना नहीं है, जो किसी व्यक्ति को उद्योग के प्रबंधक का गुलाम बना देती है और जो एक अलग तरह का शोषण ही है। कार्य या काम से हमारा मतलब है खाद्य का उत्पादन और जल की उपलब्धता। इसका अर्थ है लोगों के पास हजारों वर्षों से मौजूद वर्तमान एवं पारंपरिक कौशलों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, घर का निर्माण, कपड़ा एवं परिधान आदि का उन्नयन। इस काम से लोगों की रोजी-रोटी चलती है और व्यक्ति का स्वयं से तथा दूसरे व्यक्तियों से, पृथक्

से और पर्यावरण से तथा हमारा सृजन करने वाली महाशक्ति से संबंध पुनः स्थापित होता है।

आज हमारे सामने अनजानी संपदाओं में कारोबारी मौके ढूँढ़ने की चुनौती है। आइए, जंगलों को काटने के बजाय वृक्षारोपण को ज्यादा मुनाफे भरा बनाते हैं और नए विनिर्माण के बजाय पुनर्वर्कश्रृंखला यानी पुराने को दोबारा नया जैसा बनाने में ज्यादा लाभ तलाशते हैं। निजी संपत्तियां तैयार करने के साथ-साथ संपत्तियों के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दें। सहयोग की भावना को सही अवसर दिया जाए तो वह हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के समान ही लाभ दिला सकती है। अपने विचारों में परिवर्तन के साथ ही हमें शब्दावली में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सेवा बैंक बड़ी संपदाओं वाला सरकारी बैंक बनकर जितना सफल होता, अपने लक्ष्य में उससे अधिक सफल वह जिता स्तर का बैंक बनकर और हजारों लघु बचत तथा स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच रहा है।

मैं महिलाओं को अहम उपलब्धि हासिल करते देखती हूं। महिलाओं के नेतृत्व को विश्वास, प्रोत्साहन की आवश्यकता है क्योंकि यदि समावेशी न्यायपूर्ण समाज तथा

महिलाओं को लंबे समय से आसानी से उपलब्ध और सदैव उपलब्ध संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन, दुनिया को यह समझना होगा कि महिलाएं पूरे विश्व के लिए संपदा हैं। महिलाएं अच्छे-बुरे समय में तकलीफ झेलने के लिए नहीं हैं। महिलाओं को कष्ट झेलने वाला नहीं बल्कि साथी माना जाना चाहिए।

टिकाऊ पर्यावरण तैयार करने हैं तो यही इकलौती उम्मीद है।

महिलाओं के रस्ते में लक्ष्य होते हैं, लेकिन मूल्य भी होते हैं, विकास की प्रक्रिया होती है तथा उस प्रक्रिया से सीखना होता है। यह प्रक्रिया स्वयं में सशक्तीकरण है। महिलाओं के लिए समय का अलग अर्थ होता है। काम के

लिए जितना चाहे समय दिया जा सकता है। सेवा ने 10 लाख लोगों तक पहुंचने में 30 वर्ष लिए हैं। महिलाएं पूरे समूह अथवा समुदाय की ओर देखती हैं और सभी को शामिल करने का प्रयास करती हैं, जो छूट गए उनकी प्रतीक्षा करती हैं चाहे उसके लिए समूह या प्रक्रिया में देर ही क्यों न हो जाए। महिलाओं का लक्ष्य प्रभुत्व के बजाय समावेश, अतिम उद्देश्य के बजाय प्रक्रिया, व्यक्ति के बजाय समूह, अलगाव के स्थान पर एकीकरण होता है। मैं वह बताती हूं, जो मैंने सेवा बहनों के साथ अपने अनुभव से समझा है।

आज यह प्रासांगिक क्यों है?

दुनिया को आज महिलाओं के अधिक नेतृत्व की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने युग के कायाकल्प के सबसे चुनौतीपूर्ण कामों से जूझ रहे हैं। नारीत्व की आवश्यकता अधिक महिला नेतृत्व के रूप में ही नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि पुरुष अपने साथ की महिलाओं का सम्मान करें। □



SYNERGY

AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION

RANK-1 IN SUCCESSIVE 3 YEARS

RANK 1	
GAURAV AGGARWAL (RANK-1) CSE-2013	
	
HARITHA V. KUMAR (RANK-1) CSE-2012	SHENA AGGARWAL (RANK-1) CSE-2011

INDIA'S NO. 1 TEST SERIES FOR MAINS 2016

STARTING IN AUGUST

BOOK YOUR SEAT IN ADVANCE

ONLINE / OFFLINE

ALL INDIA OPTIONAL PAPER TEST SERIES-2016

SUBJECTS OFFERED

- ★ PUBLIC ADMINISTRATION ★ GEOGRAPHY ★ HISTORY
- ★ POLITICAL SCIENCE ★ SOCIOLOGY ★ PHILOSOPHY

STARTING FROM 18TH AUGUST

ETHICS MAINS TEST SERIES-2016

FEATURES:-

- BOTH हिन्दी / ENGLISH MEDIUM
- ★ LIVE STREAMING & RECORDED VIDEOS OF TEST DISCUSSIONS.
- ★ ELABORATE MODEL ANSWERS.
- ★ ALL INDIA RANKING
- ★ TIMELY EVALUATION OF ANSWER SHEETS.

STARTING FROM 18TH AUGUST

G.S. MAINS TEST SERIES-2016

FEATURES:-

BOTH हिन्दी/ ENGLISH MEDIUM

- ★ LIVE STREAMING & RECORDED VIDEOS OF TEST DISCUSSIONS.
- ELABORATE MODEL ANSWERS.
- ★ ALL INDIA RANKING
- TIMELY EVALUATION OF ANSWER SHEETS.

STARTING FROM 18TH AUGUST

* POSTAL FACILITY ALSO AVAILABLE

★ HYDERABAD ★ BANGALORE ★ BHUBANESWAR ★ LUCKNOW

★ JAIPUR ★ TRIVANDRUM ★ GUWAHATI ★ JODHPUR ★ AHMEDABAD

PARAMOUNT MISSION

for IAS

Powered by Paramount League

सामान्य अध्ययन

भारत एवं विश्व
का भूगोल
राजीव सौमित्र,
संजीव श्रीवास्तव
एवं शमीम अनवर

भारतीय
राजव्यवस्था
वी.के. त्रिपाठी

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा
एवं अभिरुचि
अमित कुमार सिंह,
राजीव रंजन सिंह
एवं संजीव त्रिपाठी

इतिहास एवं
संस्कृति
एस.एन. दुबे
एवं
कैश आलम

भारतीय
अर्थव्यवस्था
एस.के. झा, मनीष सिंह,
अरुण अरोड़ा एवं उपेंद्र अनमोल

विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी
उपेन्द्र अनमोल

आंतरिक
सुरक्षा
आमोद कुमार कंठ (Retd. IPS)
एवं
डॉ. एस.एम. आजाद

अंतर्राष्ट्रीय
संबंध
नवाब सिंह
सोमवंशी

शासन
व्यवस्था
राजीव रंजन सिंह

भारतीय
समाज
डॉ. सुरेंद्र सिंह

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
तथा सामान्य विज्ञान
डॉ. रवि अग्रहरि, के.पी. द्विवेदी,
(वैज्ञानिक IIT Delhi),
कुलदीप सिंह एवं अजीत सिंह

सामाजिक
व्याय
मनीष सिंह

Course Director: Kunvar Digvijay Singh

commencing shortly

Head Office: 872, Ground Floor (Near Batra Cinema), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

FOR ENQUIRY CONTACT US: 7900000111, 7900000222, 7900000333

•www.paramountcoaching.in •enquiry@paramountcoaching.in



महिलाओं की भूमिकाएँ: सामाजिक ढांचे की आवश्यकता

देवकी जैन



इस आलेख में हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन नीतियों को सामाजिक माना जाता है या जो स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की अन्य जरूरतों के संदर्भ में सामाजिक सहयोग प्रदान करने वाली समझी जाती हैं, उन्हें गरीब महिलाओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनके अच्छे नतीजे प्राप्त हों। इस प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में सभी प्रकार के लाभों से वचित और आर्थिक तंगी से बेहाल महिलाओं को उत्पादक तथा परिवार एवं पर्यावरण की धुरी मानने से ही उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा

लेखिका पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गांधीवादी, नारीवादी, अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री हैं। सामाजिक मुद्रों, खासकर, गरीबी उम्मूलन पर लिखती रहती हैं। तीसरी दुनिया के देशों के महिला समाजशास्त्रियों के नेटवर्क डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर वूमन फॉर ए न्यू एरा तथा शोध केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की संस्थापक सदस्य रही हैं। नारी तथा विकास पर केन्द्रित अनेकानेक आलेख व पुस्तकें प्रकाशित। ईमेल: devakijain@gmail.com

परिवार और समुदाय के पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपनी और दूसरों की जिंदगी में अधिक परिवर्तन लाती हैं। इस बात को मान्यता देना सामाजिक नीति का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। सामाजिक नीतियां अक्सर इस अनुमान पर आधारित होती हैं कि महिलाएं कुछ मायनों में कमज़ोर होती हैं और उन्हें समर्थन की अधिक जरूरत होती है। वे खुद का बचाव नहीं कर सकतीं और पुरुषों और बाहरी दुनिया से कमतर होती हैं। लेकिन वास्तविकता में इसका एकदम उलट है—खासकर जब हम उन परिवारों या घरों की तरफ देखते हैं जहां गरीबी बहुत अधिक है।

ऐसे परिवारों की बुनियादी जरूरतों जैसे पानी, ईंधन, खाना और देखभाल का इंतजाम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अधिकतर घरों में महिलाएं ही सभी वस्तुएं जुटाती हैं— चाहे वह धन हो या कोई वस्तु। अकाल जैसी स्थितियों में जब खेत-खलिहान सूख जाते हैं और परिवारों को अन्न उपलब्ध नहीं होता तो अक्सर महिलाएं ही परिवार का पेट भरने के लिए जुगत लगाती हैं— कंदमूल खोदती हैं, फल तोड़कर लाती हैं।

परिवारों, समुदायों और समाज के जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके आधार पर सामाजिक सहयोग की नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है: ‘हमें मानव जाति को रोगी नहीं, ऐसा माध्यम समझना चाहिए जिनके जरिये प्रभावी कार्य

संभव है: व्यक्तिगत और संयुक्त, दोनों रूपों से। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी भूमिका मात्र उपभोक्ता या जरूरतमंद व्यक्तियों की है। इससे आगे बढ़ते हुए हमें व्यापक स्तर पर सोचना चाहिए कि वे परिवर्तन के वाहक हैं जो अगर अवसर मिले तो सोच-समझकर, आकलन और मूल्यांकन करके, हल निकालकर, प्रेरक बनकर, उत्तेजित होकर और इन साधनों का उपयोग करते हुए दुनिया का रूप बदल सकते हैं।’

महिलाओं को सामाजिक विकास नीतियों द्वारा सहयोग या समर्थन देने के मार्ग में अनेक बाधाएं रही हैं। सबसे पहली बाधा तो इन नीतियों को समझने के तरीके से उत्पन्न होती है। परिवारों पर 1970 के दशक की शुरुआत में, किए गए सर्वेक्षणों, जो आंकड़े एकत्र करते थे और नीतियों के निर्माण में मदद करते थे, को इस तरह बनाया गया कि इसमें महिलाओं को कम सक्षम लोगों, जैसे विधवा, निराश्रित आदि की श्रेणी में रखा गया। ऐसा माना गया कि महिलाओं को बुनियादी तौर से सामाजिक कल्याण सेवाओं की जरूरत है। कई दशकों तक चले महिला आंदोलनों ने लोगों की सोच बदली। उन्हें समझाया कि महिलाएं किसी भी समुदाय या अर्थव्यवस्था में निर्णायक आर्थिक आधार होती हैं इसलिए उनके साथ सिर्फ यह सोचकर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि समाज को उनका कल्याण करना है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके काम के बेहतर परिणाम प्राप्त हों, इसके लिए उनकी भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्हें

मौद्रिक पुरस्कार मिलना चाहिए तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए।

वर्तमान में विश्व स्तर पर यह मांग
उठ रही है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली बच्चों और बृद्धों की देखभाल और घर काम को न सिर्फ मान्यता दी जाए बल्कि उसका मौद्रिक प्रतिदान भी दिया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन कामों में लगने वाले समय, जोकि अक्सर पूरा समय ही होता है, का आर्थिक मूल्यांकन होगा।

सच्चाई यह है कि पूरे दिन इस तरह के काम को करने के कारण महिलाओं को बाहर निकलने और पुरुषों के समान कमाई करने के अवसरों से बंचित होना पड़ता है इसलिए इस बात को मान्यता देना महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को मान्यता देना या काम की परिभाषा को व्यापक बनाना, जिससे महिलाओं के काम को समझा जा सके, उसे परिगणित किया जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके, उन कुछ कदमों में से एक है जिससे महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन प्राप्त हो सकता है।

व्यक्तिगत और परिवारिक स्तर पर आंकड़े एकत्र करने के प्रयासों में भी सुधार की जरूरत है। सर्वेक्षणों में अक्सर पुरुषों को अपने परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य बताया जाता है जबकि महिलाओं को उनके बाद जगह मिलती है। वे पुरुष सदस्यों की सहायक मानी जाती हैं या फिर उनकी आश्रिता। हालांकि भारत और विदेशों में किए गए अध्ययनों में महिलाओं द्वारा दिए गए समय और आर्थिक योगदान, दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद कि उनका मौद्रिक प्रतिफल नहीं निकाला जाता, फिर भी महिलाएं- खास तौर से गरीब और भूमिहीन परिवारों में- पुरुषों के समान ही आर्थिक और सामाजिक योगदान देती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए नीति निर्माण करने के लिए सर्वेक्षणों में सुधार की जरूरत है।

अधिकतर रोजगार संबंधी मानक प्रश्नावलियों में, खास तौर से भारत की प्रश्नावलियों में परिवार के प्रत्येक सदस्य की

गतिविधि को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है कि महिलाएं घरेलू गतिविधियों तक सीमित और आर्थिक गतिविधियों के दायरे से बाहर हो जाती हैं। इसके बावजूद कि वह पार्ट टाइम उत्पादक कार्य करती हैं।

अपने अध्ययनों में रेनाना झबवाला भी यही कहती हैं- ‘महिलाएं अक्सर अदृश्य होती हैं और श्रमिक के रूप में उन्हें मान्यता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो वे औरतें होती हैं और दूसरा यह कि वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं जो अधिकतर दबी-छिपी होती है। अर्थव्यवस्था में उनके काम और योगदान को, परिवार और समुदाय में उनके योगदान को कम करके आंका जाता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि वे घरों में काम करती हैं, घरेलू कामगार या नौकर होती हैं, परिवार के कारोबार या खेतों में बिना वेतन के हाथ बंटाती हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) की तैयारी के दौरान योजना आयोग ने महिला अर्थशास्त्रियों के एक समूह वर्किंग ग्रुप ऑफ फेमिनिस्ट्स इकोनॉमिस्ट्स (डब्ल्यूजीएफई) का गठन किया जिसका कार्य न केवल विमेन एंड डेवलपमेंट के अध्याय का मसौदा तैयार करना था (जोकि एक परंपरागत प्रक्रिया थी) बल्कि बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि आदि से संबंधित अध्यायों का भी विश्लेषण करना था। जब इन अध्यायों का विश्लेषण किया गया तो समूह ने सुझाव दिया कि बुनियादी ढांचे वाले अध्याय में, जो बजट आवंटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, सामाजिक बुनियादी ढांचे या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कुछ होना चाहिए।

सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसी सहयोगी सेवाओं से है जो निर्धनतम महिलाओं को समुदाय और अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए एक विचार यह हो सकता है कि एक भवन परिसर में पानी का स्रोत, क्रेंच, बालवाड़ी, शौचालय, नहाने और धुलाई का स्थान, किचन वैग्रह सब कुछ हो। इस परिसर को मौजूदा धन से इस उद्देश्य से बनाया जाए कि हमें महिलाओं को सुविधाएं देनी ही हैं। इस कार्य को बुनियादी ढांचे के तहत रखा जा सकता है क्योंकि इसमें भवन निर्माण, बिजली और उन अन्य सेवाओं के लिए निवेश किया

जाएगा। ऐसा अक्सर शहरों में किया जाता है जहां मध्य और उच्च वर्गों के लिए बड़े कार्यालय भवन और परिसर बनाए जाते हैं।

हमारे समाज में कमज़ोर वर्ग की, गरीबी के कुचक्के में फसी महिला अपनी बड़ी बेटी के भरोसे घर काम छोड़कर- जैसा कि अक्सर होता है- मीलों चलकर ईंधन और पानी इकट्ठा करती है। कितना ही अच्छा हो कि ऐसी महिलाओं को ऐसी सामुदायिक सेवा की सुविधा दी जाए। यहां वह अपने बच्चे को क्रेंच में छोड़ सकेगी, उसके लिए समान ईंधन स्रोत पर चपातियां बना सकेगी, अपने कपड़े धोएगी और फिर काम पर चली जाएगी।

सत्तर के दशक में हमने नीति निर्धारकों के सामने बेहद चौकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए। हमने प्रदर्शित किया कि महिलाओं की मृत्यु दर और उनकी श्रम भागीदारी दरों के बीच समानता थी। 20-35 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर सबसे अधिक थी। हमने पाया कि इसी आयु समूह की महिलाओं में मृत्यु दर भी अधिक है। यह विशेष रूप से भारत के सबसे गरीब क्षेत्रों में, जिन्हें बीमार राज्य भी कहते हैं- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अधिक था। आंकड़ों से पता चलता था कि महिलाओं पर किस प्रकार अपने परिवार को चलाने का दबाव होता है जो उनकी श्रम भागीदारिता बढ़ाता है लेकिन इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है क्योंकि उन्हें कई दूसरे कार्य भी करने होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम निर्धनतम वर्गों की बात करते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि किस प्रकार सामाजिक कल्याण की नीतियों को महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं से

होममेकर या चाइल्डकेयर प्रोवाइडर की बजाय अगर उन्हें श्रमिक माना जाएगा तो यह सच्चाई सामने आएगी कि वे अपने घरों और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं इसलिए उन्हें संबोधित करके आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

जोड़ा जाए।

हालांकि इन उपायों को प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब महिलाओं और

वर्चित समूहों की ओर ध्यान दिया जाए और सरकारी योजनाओं में उन्हें केंद्र में रखा जाए। उदाहरण के लिए योजना प्रक्रिया के सर्वेक्षणों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के विचारों को सुना जाए, विशेष रूप से समूह चर्चा के माध्यम से। समुदाय के महिला नेतृत्व को चिह्नित किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनी समितियों में उन्हें शामिल किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो कि सामाजिक विकास के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक भूमि के प्रयोगए प्राकृतिक संसाधनों और रोजगार के संबंध में योजना बनाते समय महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। □

संदर्भ

- एंटोनोपोलस, आर (2009): द अनपेड केयर

महिला नीति विकास के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान

प्रधानमंत्री ने हाल ही में महिला जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में समापन भाषण के दौरान महिला नेतृत्व से युक्त विकास के महत्व पर बल दिया और कहा एक राष्ट्र हमेशा ही महिलाओं से सशक्त होता आया है। उन्होंने कहा 'तकनीक को अपनाने में बेटों की तुलना में बेटियां बेहतर हैं। इस मामले में उन्हें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।'

उन्होंने महिला विकास की सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सोचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "एक राष्ट्र हमेशा ही अपने यहां की महिलाओं से सशक्त बनता है। वह मां, बहन और पत्नी की भूमिकाओं में अपने नागरिकों का पालन-पोषण करती हैं और तब जाकर ये सशक्त नागरिक एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।"

उनका विचार था कि मल्टी-टास्किंग क्षमता जिसे आज के समय प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, महिलाओं में स्वभाविक रूप से विद्यमान होती है। उन्होंने इसमें आगे जोड़ा, "प्रबंधकीय दुनिया में मल्टी टास्किंग होना एक विशेषज्ञता है और हमारे यहां की महिलाएं तय समय सीमा में एक साथ विभिन्न कार्यों को संचालित करने में दक्ष होती हैं।"

वर्क- पेड कनेक्शन (वर्किंग पेपर 86), पॉलिसी इंटीग्रेशन एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय त्रम कार्यालय, जिनेवा

- भटटाचार्य, ए (2015):** केयर वर्क, कैपेटलिस्ट स्टूक्चर एंड वॉयलेंस अंगेस्ट विमेन: नेशनल कनवेशन ऑन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क नई दिल्ली में प्रस्तुत पेपर
- घोष, जे (2015):** विमेन्स बर्डन, जैन, डी और सुजया। सीपी (स) इंडियन विमेन, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
- घोष, जे विमेन्स:** वर्क इन इंडिया इन द ट्रेवेटी फर्स्ट सेंचुरी। कृपया देखें: <http://www.sundarayya.org/sites/default/files/papers/kzatayi.pdf>
- घोष, जे (2015):** केयर इन इंडिया इन द ट्रेवेटी फर्स्ट सेंचुरी। कृपया देखें: <http://www.sundarayya.org/sites/default/files/papers/kzatayi.pdf>
- घोष, जे (2015):** केयर इन इंडिया इन द ट्रेवेटी फर्स्ट सेंचुरी। कृपया देखें: <http://www.sundarayya.org/sites/default/files/papers/kzatayi.pdf>
- जैन, डी (1990):** डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस: इनसाइट्स इमर्जिंग फ्रॉम विमेन्स एक्सपरियंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 25 (27)
- जैन, देवकी (1979):** वैल्यूइंग वर्क: टाइम एस अ मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वॉल्यूम III, नंबर 43, 26 अक्टूबर 1996, और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट ऑन विमेन वर्क्स- महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना, आईएलओए जिनेवा द्वारा प्रायोरित एक अध्ययन।
- जैन, डी (2006):** विमेन्स इकोनॉमिक रीजिनिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स: कुछ वर्गों पर एक चर्चा।

भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रधानमंत्री का सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू किया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं यह बेटियों के जीवन की भीख मांगने वाला 'भिक्षुक' बनकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जब तक हम अठारहवीं शताब्दी की मानसिकता में हैं तब तक हमें अपने को 21वीं सदी का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए बेटों और बेटियों के बीच फर्क नहीं करने का आह्वान किया कि यह भ्रूण हत्या पर विराम लगाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भ्रूण हत्या जैसे कृत्यों को रोकने के लिए सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने चेताया कि भ्रूण हत्या के कारण न केवल हम वर्तमान पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी घोर आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं।

भ्रूण हत्या में शामिल डॉक्टरों को प्रधानमंत्री ने कठोर संदेश देते हुए उन्हें याद दिलाया कि उनकी चिकित्सकीय शिक्षा लोगों का जीवन बचाने के लिए है, न कि बेटियों को मारने के लिए।

प्रधानमंत्री ने पानीपत से प्रसिद्ध उर्दू विद्वान अलताफ हुसैन हाली के नाम का उल्लेख किया जिन्होंने कहा था, "ए मेरी बहनें, माताएं एवं बेटियों - आप संसार का गहना हैं, आप राष्ट्र का जीवन हैं, सभ्यताओं की आन हैं।" प्रधानमंत्री ने उन प्राचीन ग्रंथों का भी उल्लेख किया जिसमें लड़कियों को महत्व देने की बात कही गई है।

उन्होंने अंतरिक्षयात्री कल्पना चावला को याद किया और बताया कि कैसे महिलाएं स्वयं को निपुण बना सकती हैं और अपना नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं तथा यहां तक कि कृषि में भी उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है।



Preparing Civil Servants



In Association with
An Institute for IAS Exam...

Personalised. Powerful. Proven

Civil Services Examination 2017 postponed. Join now to prepare early !

New Batches Starting

General Studies (Pre + Main) English Medium

Batch 1 - Sep, 7.30 am to 10.30 am, 7 Days / Week

Batch 2 - Sep, 5 pm to 8 pm, 7 Days/Week

Batch 3 - Sep, Weekend (Saturday & Sunday)

General Studies (Pre + Main) Hindi Medium

Sep, 10 am to 1 pm, 7 Days / Week

Optional Subjects English Medium 12th September

History 11 am

Pud Ad 2.30 pm

100+ Ranks* in Civil Services Examination-2015



AIR-1
TINA DABI

Civil Service Examination - 2015



AIR-2
ATHAR AAMIR UL SHAFI KHAN

Civil Service Examination - 2015

*from the house of KSG

JOIN THE LEAGUE OF ACHIEVERS !

ETEN IAS Centers: Agra, Aizawl, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bareilly, Bhilai, Bhilwara, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Guntur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Rohtak, Salem, Tirupati, Trivandrum, Varanasi, Vijayawada, Vizag

Toll free: 1800 1038 362 • SMS IAS to 567678 • Call: 9654200517/23 • Website: www.etenias.com

Excellent Franchise opportunity of ETEN IAS KSG is available in following locations: Agra, Ahmedabad, Aligarh, Allahabad, Arunachal Pradesh, Bangalore, Bhubaneswar, Bikaner, Ernakulam, Guwahati, Imphal, Jaipur, Kanpur, Kohima, Kolkata, Kota, Mangalore, Mumbai, Patiala, Pune, Secunderabad, Shillong and Surat

For Franchise details, call Mr. Manav Aggarwal

Product Head: +91 9958 800 068 or email: manav.aggarwal@pearson.com

ALWAYS LEARNING

PEARSON



प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात, मानसिकता और सरकार की नीति

मेरी ई जॉन



भारत में, प्रतिकूल लिंग अनुपात का मुद्दा कम से कम औपनिवेशिक काल से हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है। यह 1970 के दशक में पुनः एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यह पता लगाने का प्रयास कि राजपूत और जाट क्यों अपनी बेटियों की मार देते थे या फिर आज़ाद भारत में जनसांख्यिकविदों द्वारा यह जानने की कोशिश करना कि क्यों आज़ादी के बाद भी महिलाओं की कुल संख्या में पुरुषों के सापेक्ष गिरावट आ रही है, का मामला हो, इसके तह तक जाने के लिए कभी भी कम गुणियों या मतभेदों का सामना नहीं करना पड़ा है।

19

80 के दशक के बाद, एक चौंकाने वाला नया आयाम प्रकाश में आया, जब यह पता चला कि दिल्ली, अमृतसर और बम्बई जैसे बड़े शहरों में भूषण विकास के दौरान भूषण के लिंग का पता लगाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि भूषण के मादा (लड़की) पाए जाने पर उस भूषण का गर्भपात करा दिया जाता है।

चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से पक्षपाती लिंग चयन में सहायता करने की वजह से, भारत सरकार ने पक्षपात और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम के जरिये इस व्यवस्था को आपाराधिक बना दिया। दोषी डॉक्टरों और रेडियोलॉजिस्ट को पकड़ कर लिंग चयन की प्रथा को रोकने के लिए लंबे समय से एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख क्लीनिक, चिकित्सा पेशेवरों और राज्य स्तर की निगरानी निकायों के बीच सांठगांठ के आम प्रसार के कारण इस अभियान को गति देना एक दुष्कर कार्य रहा है। इसके लिए बहुत अधिक उत्साह की आवश्यकता थी, जो कि केवल बहुत कम समर्पित सरकारी कर्मचारियों और जिला कलेक्टरों (उदाहरण के लिए फरीदाबाद में, हैदराबाद में) के बीच दिखाई दी या गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के लोगों (राजस्थान में और महाराष्ट्र के बीड

जिले में) द्वारा भूषण के लिंग बताने और इस प्रकार अपने पेशों को कलंकित करने वाले चिकित्सा पेशेवरों को अभिनव स्टिंग ऑपरेशन के जरिये बेनकाब किया गया। कुछ लोगों ने चेताया है कि इस तरह की वकालत, गर्भपात के खिलाफ एक अनजाने अभियान में बदल सकता है। गर्भपात (यह भारत में कभी भी महिलाओं का पूर्ण विकसित अधिकार नहीं रहा है, बल्कि इसे हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों से जोड़ा गया) महिलाओं के लिए ज्यादा सही मायने में आवश्यक होने पर भी इस सुविधा को पाने पर खतरा मंडराने लगा।

मानसिकता की समीक्षा

लोग लिंग निर्धारण के लिए जाते क्यों हैं, के कारणों के सबसे आम विश्वासों में से एक 'मानसिकता' का विचार है। कितनी बार लोगों से सुना जाता है कि लोगों की मानसिकता इस समस्या की जड़ है और इसलिए जरूरत है 'मानसिकता' बदलने की! मानसिकता का वास्तव में क्या मतलब है? शब्दकोश के अनुसार, मानसिकता शब्द से आशय 'किसी व्यक्ति के स्थापित नजरिए' से है, और शब्दकोश में इसके लिए जो उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, उसमें कहा गया है, "अमुक क्षेत्र एक मध्ययुगीन मानसिकता में फंस गया प्रतीत होता है"।

मुझे लगता है कि परिभाषा और उदाहरण दोनों बहुत अच्छी तरह से इस

लेखिका नयी दिल्ली स्थित महिला विकास अध्ययन केंद्र की वरिष्ठ फेलो हैं। वह महिला विकास अध्ययन केंद्र की निदेशक और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन कार्यक्रम की एसोसिएट प्रोफेसर और उप निदेशक रही हैं। महिला तथा लिंगभेद जैसे विषयों पर उनके अनेक आलेख प्रकाशित हैं।
ईमेल : maryejohn1@gmail.com

धारणा को समझने के संदर्भ में उपयोगी हैं और लिंग निर्धारण की प्रथा का विरोध कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस व्यवस्था के दोषी परिवार, बेटों और बेटियों के बारे में तय विचारों और उन्हें कैसे मान्यता दें, से पीड़ित हैं। उनके विचार 'अटके हुए हैं', क्योंकि यह सदियों पुरानी परंपरा से उपजा है जिसमें बेटियों का अवमूल्यन किया गया है। इसका यह भी मतलब है कि जब हम कहते हैं कि लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, हम उन्हें

वर्तमान समय में परिवार, बच्चों के होने और उनके लालन-पालन के लिए साधन जुटाने में सक्षम होने के विचार के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह एक बहुत गतिशील और जटिल रिश्ता है जिसमें परिवार व्यापक रूप से और गहराई से अपने आधुनिक परिवेश से प्रभावित हो रहे हैं।

कम पारंपरिक और विचारों में उन्हें और अधिक आधुनिक बनना चाहते हैं।

प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात पर हमारे शोध के आधार पर, मुझे विश्वास है कि यह इस समस्या की बहुत ही अपर्याप्त समझ है। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, हम पाते हैं कि लोग जिस समयकाल में रह रहे हैं, उससे उनका कोई तालमेल नहीं है। बल्कि आइए सवाधानी पूर्वक देखते हैं कि जब कोई परिवार बेटे की चाहत करता और बेटी के लिए अनिच्छा जाहिर करता है, तब आज के समय में वे क्या सोच रखते हैं। परिवार सिर्फ सदियों पुराने विचारों के आधार पर ही अपने भविष्य की योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे देखते हैं कि किन संसाधनों की बदौलत वे अपनी आशाओं को पूरे कर पाएंगे।

तो, हाँ, हम लोगों के व्यवहार और विचारों को परख रहे हैं, लेकिन ये विचार वही हैं जिसने उसी समकालीन सामाजिक और आर्थिक संदर्भ के भीतर आकार लिया है, जिसमें हम रहते हैं। दूसरे शब्दों में, (जॉन व अन्य 2008; यू एन वूमेन 2015)

इसका तात्पर्य यह भी है कि इस तरह के

सवाल पूछने होंगे कि, 1980 के दशक से नई प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के अलावा पिछले कुछ दशकों की किन परिघटनाओं ने निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाई है? विशेष रूप से किस प्रकार के परिवार अतिसंवेदनशील पाए गए हैं?

सबसे पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि शीघ्रता से आगे बढ़ने वाले बाल लिंग अनुपात की अवधि भी भारत की आर्थिक विकास में भारी उछाल की अवधि से मेल खाती है, जो कि 1990 के दशक के बाद का काल है। हालांकि भारी आर्थिक विस्तार और उसके पीछे परिवर्तन से यह तथ्य सामने आया है कि इस तरह के विकास का लाभ बहुत असमान रहा है और यह पुराने लोगों के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में नई नौकरियों के सृजन नहीं कर पा रही है। इस सब में, महिलाएं सबसे अधिक त्रस्त रही हैं।

हालांकि उनमें से कई का कहना है कि वे एक लड़का और एक लड़की की चाहत रखते हैं, जिसका सही मायने में आशय होता है, 'कम से कम एक बेटा और अधिक से अधिक एक बेटी।' इसके अलावा, इस तरह के परिवार अपने बच्चों के लिए पर्याप्त देखभाल और पोषण, अच्छी शिक्षा और उनके वयस्क होने पर उन्हें सफलतापूर्वक स्थायित्व - लड़के के लिए एक विश्वसनीय नौकरी और लड़की के लिए एक स्थिर वैवाहिक जीवन, देने की चाहत में, काफी 'आधुनिक' हैं। लेकिन यह कार्य कहने जितना आसान नहीं है और इसने बोझ और चिंता का एक विशाल भाव पैदा कर दिया है, खासकर जब आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर इतनी अनिश्चितता भरे माहौल में एक बेटी को जन्म देने की बात आती हो। अतः एक लंबी कहानी को संक्षेप में बताएं तो, परिवार जब बेटी नहीं पैदा करने का मन बनाते हैं, तो यह बहुत हद तक जिस समय में वे रह रहे हैं, उसी के मुताबिक उनकी 'मानसिकता' को परिलक्षित करता है।

सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार को

संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, राज्य और केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए जिसका उपयोग परिवारों के लिए सही संकेत देने के लिए किया जा सके। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ये ऐसे परिवार हैं जो गरीबी से ऊपर हैं, फिर भी अपने उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक ही अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, ऐसे परिवार एक बेटा और एक बेटी वाले पूर्ण परिवार सुनिश्चित करने के लिए लिंग चयन की व्यवस्था को अपनाने के प्रति सबसे अधिक अतिसंवेदनशील होते हैं। कई राज्यों में 2001 की जनगणना के बाद 0-6 साल के बच्चों के लिंग अनुपात में बड़े पैमाने पर का पता चला, जिसके बाद बालिका को कम महत्व देने की समस्या को दूर करने के लिए, विशेषकर राज्य स्तर पर कई योजनाएं शुरू की गई और मौजूदा योजनाओं में सुधार किया गया।

ऐसी योजनाओं में कुछ जैसे, अपनी बेटी अपना धन की रचना बाल विवाह को रोकने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने और 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी नहीं करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया। इन योजनाओं ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं का रूप ले लिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, लाडली, धनलक्ष्मी और इस प्रकार के अन्य योजनाओं को संशोधित किया गया ताकि परिवारों के बेटियों के जन्म के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन योजनाओं के तहत बच्ची के जन्म, टीकाकरण से लेकर स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में उसके नाम पर एक धनराशि बैंक खाते में डाल दिए जाते

परिवार जो अत्यंत गरीबी में नहीं हैं, कम बच्चे पैदा कर, परिनाम स्वरूप उन पर होने वाले निवेश को सीमित रखकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे परिवार लिंग चयन के प्रति सबसे अधिक अतिसंवेदनशील पाए गए हैं।

हैं, जिसकी एकमुश्त राशि बच्ची के 18 वर्ष के हो जाने और तब तक अविवाहित रहने पर उसे सौंप दिया जाता है। इन योजनाओं के पीछे यह विचार था कि वित्तीय आधार पर कोई अनचाही बेटी को बोझ न समझे, लेकिन इन योजनाओं के साथ भी बहुत सी शर्तें जोड़ दी गईं, जिससे इसके संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इन योजनाओं पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। (आईसीआरडब्ल्यू 2014; शेखर 2012) कुछ अध्ययनों में पता चला है कि पात्र बच्चों को जिन्हें इस योजना में दर्ज नहीं किया गया था, की तुलना में लाभार्थी परिवारों में स्कूल प्रतिधारण में मामूली सुधार हुआ है। दूसरे अध्ययनों से पता चला है कि कई शर्तों को लगा देना, योजना में एक प्रमुख बाधा बन गया है;

सबसे बुनियादी स्तर पर यह है कि विकास का ऐसा स्वरूप हो जो माता पिता को अपने बेटे और बेटियों को लेकर अलग-अलग तरह से सोचने पर मजबूर न करे। जैसे कि महिला और पुरुष दोनों के लिए रोजगार की संभावनाएं आदि। इसमें माता पिता के बीच अपनी बेटियों के यौन सुरक्षा के बारे में बढ़ते भय का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

विशेष कर बीपीएल परिवारों को लक्षित किए जाने से यह गरीबी रेखा के ऊपर बहुत-से ऐसे परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है, जिनमें लिंग निर्धारण करवाने की बहुत अधिक संभावना है। फिर भी कुछ लोगों ने इसका यह कहकर आलोचना की है कि इन योजनाओं से जनता में इस धारणा को मजबूत किया जा रहा है कि बेटियां परिवार पर बोझ होती हैं।

दो साल पहले केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की कुल बजट के साथ एक नई योजना बेटी बचाओ बेटी यढ़ाओ काफी धूमधाम के साथ शुरू की थी। हरियाणा जैसे राज्यों में जहां कई जिलों में लंबे समय से कम बाल लिंग अनुपात की समस्या चली आ रही है, नगरों में और

भारत में बालिका शिक्षा में प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस

- यूनिसेफ की सहायता से तैयार
- बालिकाओं (खासकर वंचित वर्ग की) की दृष्टि से निम्न प्रदर्शन वाले भौगोलिक खंडों की पहचान का माध्यम

कौशल, रोजगार व सशक्तीकरण में भारतीय महिलाओं की छलांग

- 2015-16 के दौरान मनरेगा के तहत महिलाओं की अब तक की सर्वोच्च भागीदारी (55 प्रतिशत महिलाएं)
- केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2015-16 के दौरान 7247 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया।

मुख्य राजमार्गों पर, बसों के पीछे विशाल होर्डिंग्स के जरिये और राज्य पदाधिकारियों द्वारा लगातार किए जा रहे घोषणाओं में, यह योजना व्यापक रूप से दिखाई पड़ रही है। हालांकि नेकनीयत वाली इन योजनाओं को अपनी सीमाओं के साथ ही सशर्त धन स्थानांतरण की प्रक्रिया से धक्का लगा है। इसका कारण यह है कि सारा धन, संचार अभियान के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि समस्या केवल और मुख्य रूप से ऐसे लोग हैं, जो लिंग निर्धारण परीक्षण में संलग्न हैं या अपनी बेटियों को पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं करने की गलत ‘मानसिकता’ से ग्रस्त हैं। लेकिन जैसा कि इस आलेख में पहले तर्क दिया गया है, लोग प्रथम दृष्टि में पारंपरिक मानसिकता से पीड़ित नहीं हैं। स्कूली बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में रीढ़ की हड्डी रहे सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रमुख सरकारी योजनाओं के बजट आवंटन में पिछले दो वर्षों बढ़ी कटौती की गई है, जिससे स्थिति कमजोर हुई है। ये शुरुआती योजनाएं हैं जो कि बुनियादी पोषण और बच्चों के आरंभिक समय में देखभाल सुनिश्चित करने के साथ ही सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, और उसके परिणामस्वरूप लड़कियों सहित सभी बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यदि वे लिंग चयन के प्रसार की समस्या का हल करने में और अधिक

प्रगति कर करना चाहते हैं, तो आम तौर पर, अभियान और विशेष रूप से राज्य की नीतियों को अपने कार्यों के परिणामों को पहचानना होगा। मानसिकता बदलने से परे समाज में उन परिस्थितियों को बदलना होगा, जो इस प्रकार की मानसिकता को जन्म देते हैं, और इसके लिए जागरूकता पैदा करने से शुरुआत करनी होगी। आज के युवाओं के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वे अपने परिवार के समर्थन के बिना भी अपने लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हैं। □

संदर्भ

- जॉन, मेरी ई, व अन्य: परिवार नियोजन, लिंग नियोजन: राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के चुनींदा जिलों में प्रतिकूल बाल लिंगानुपात। (बुक्स फॉर चेंज 2008)
- इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन विमेन (आईसीआरडब्ल्यू): क्वार्टिटेटिव केस स्टडी: रिसेंट ट्रेंड्स इन जेंडर, एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ गर्ल्स इन हरियाणा, दिल्ली, 2014।
- शेखर, टी. वी.: लाडली एंड लक्ष्मीज इम्प्रेशंस ऑन फिनांशियल इंसेर्टिव स्कीम्स फॉर द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली, 47 (34) 2012
- यूएनवूमेन: सेक्स रेशियोज एंड जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्शन: हिस्ट्री, डिबेट्स एंड फ्यूचर डाइरेक्शंस (नई दिल्ली, यूएनवूमेन एंड यूएनएफपीए, 2015)

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख महिला सेनानी: एक संक्षिप्त परिचय

अरुणा आसफ अली

इ नका जन्म 1909 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा था। उन्हें गांधी-इविन संघिका के कुछ महीनों बाद मुख्य आयुक्त द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 1941 में पुनः व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब सभी प्रमुख नेताओं को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, तब 9 अगस्त, 1942 को गोवालिया टैक मैदान में तिरंगा फहराने वाली वह पहली शतिख्यत थी। 26 सितंबर, 1942 को उनकी सारी संपत्ति और सामान जब्त कर लिया गया और सामानों को वापस पाने के लिए उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो उनके सभी सामानों को बेच दिया गया। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 'इंकलाब पत्र' मुहिम की शुरुआत की, जिसका परिणाम हुआ कि कई सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़कर और हजारों की संख्या में छात्रों ने अपना कॉलेज छोड़ कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और इसका नेतृत्व किया। उन्हें '1942 की रानी झांसी' पुकारा जाने लगा। वह दिल्ली नगर निगम की प्रथम महिला मेयर भी बनी। उन्होंने 'लिंक एंड पेट्रियोट' नाम से पत्रिका भी निकाली जिससे उनके महान कार्यों को मान्यता मिली। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुस्कार भी प्राप्त हुए।



में आई लेकिन 1932 के बाद ही उन्होंने क्रांतिकारी टीम में शामिल होने और सक्रिय रूप से आजादी के लिए लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने आमतौर पर खुद को पुरुषों के कपड़ों में तैयार किया और चुपके से सकारी इमारतों पर छापे मारे। पुलिस को उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य होने को लेकर शक होने पर, पुलिस उन पर नजर तो रखती थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने में विफल रही। जब पहाड़तीनी क्लब पर छापे मारा गया, तब पुलिस को भरोसा हो गया कि वह क्रांतिकारी समूह की ही हिस्सा हैं। धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई जिसके बाद वह फरार रही। हालांकि, तीन महीने बाद ही उन्हें पकड़ लिया गया और चट्टांव शस्त्रागार पर छापे के मामले में मामला दर्ज कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब 1942 में वह जेल से रिहा हुई तो वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई और 1943 में कम्युनिस्ट नेता पी. सी. जोशी से शादी कर ली।



रानी गाइडिनेल्यू

इ नहं नगारेंड की 'लक्ष्मी बाई' के रूप में जाना जाता है। महज 13 वर्ष की, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। जब वह मात्र 16 वर्ष की थीं तब उन्होंने केवल चार सशस्त्र नगा सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह छापेमार युद्ध और हथियार संचालन में अच्छी तरह से नियुण थीं। वह अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक नगा नेता के रूप में उभरी। उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भारत की आजादी के बाद जब वह जेल से बाहर आई तब उनकी उम्र 30 वर्ष थी। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए पर्डिट नेहरू ने 'रानी' कहकर पुकारा था। स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए उन्हें पदमभूषण से सम्मानित किया गया।



प्रीतिलता वाडेकर

इ नका जन्म मई 1911 में चट्टांव में हुआ था। वह एक होनहार छात्रा थीं और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिस्टंक्शन के साथ बी. ए. पास किया। उसके बाद उनका प्राशिक्षण लीला नगा की दीपाली संघ और कल्याण दास के छात्र संघ में हुआ, जिसके बाद वह नेता सूर्यसेन की क्रांतिकारी दल के साथ जुड़ गईं। वह चट्टांव शस्त्रागार पर छापा मारने वाले दल का हिस्सा थीं। पुलिस से सामना होने पर, वह अपने साथियों के साथ भाग निकलने में कामयाब रहीं। पुलिस की गोली से मरने वाले अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने नेता सूर्यसेन के साथ मिलकर अंग्रेज और यूरोपीय लोगों से भरे रहने वाले एक नाइट क्लब पर हमला करने की साजिश रची। प्रीतिलता वाडेकर ने 24 सितंबर, 1932 को, अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्लब पर हमला किया और पिस्टॉल और बम के साथ अंधाधुध गोली मारकर हत्याएं की। जब अंग्रेज की ओर से जवाबी कार्रवाई में बंदूक की एक गोली उन्हें लग गई और वह घायल हो गई, तब उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है और उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक पुलिस की गोली से मरने के बजाए अपनी जेब से पोटैशियम सायनाइड का एक पैकेट खाकर अपनी कुर्बानी देना बेहतर समझा।



सुचेता कृपलानी

इ नका जन्म 1908 में अंबाला में हुआ था। लाहौर में अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने एमए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रहण की। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्र भारत में रहने का सपना देखा था। उन्होंने 1932 में, सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश किया और 1939 में राजनीति में शामिल हुई। राष्ट्र की सेवा के लिए जन सेवा के उनके कार्यों से प्रभावित होकर 1940 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तारी तक देनी पड़ी। उन्होंने 1942-43 में भूमिगत होकर अपने कार्य को जारी रखा। उन्होंने आंल इंडिया महिला कांग्रेस की नींव रखी, जिसका उपयोग महिलाओं को देश के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में किया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने 1942 में एक 'भूमिगत स्वयंसेवक बल' का भी गठन किया, जिसने महिलाओं को डिल, हथियार संचालन, प्राथमिक उपचार और आत्मरक्षा तकनीकों में प्रशिक्षित किया। दो वर्ष बाद 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कारागार से बाहर आने पर 1945 में उन्होंने अपना अधिकार संभवतया समाज कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1946 में पूर्ण बंगाल में सांप्रदायिक दंगों और 1947 में पंजाब दंगों के समय अपहृत महिलाओं को शरण मुहैया कराया। वह मार्च 1963 से मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।



कल्पना दत्त

क ल्पना दत्त बंगाल में उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनरत छात्रा थीं जिन्हें अंग्रेजी शासन और उनकी भाषा से बैर था। वह स्कूल की प्रतिज्ञा तक को भी बदलना चाहती थीं, इसे वह 'परमेश्वर और राजा के प्रति बकादर होना' के स्थान पर 'परमेश्वर और देश के प्रति बकादर होना' के संपर्क

संकलन : वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल : vchandra.iis2014@gmail.com



‘भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका’

ज्योति अटवाल



भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की राह कई आयामों और जटिल चरणों वाली रही है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से लेकर 1947 तक समाज सुधार का प्रश्न सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रवादी चर्चाओं में बना रहा। सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्नों के संबंध में महिलाओं की समझ साथ-साथ बढ़ती रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरणों में विधिक सुधारों तथा राजसी विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किए जाने की मांग दिखी

भा

रतीय पुरुष एवं महिलाएं 1880 के दशक से ही समाज सुधार आंदोलनों की अगुआई कर रहे थे। समूचे भारत विशेषकर महाराष्ट्र तथा बंगाल से विभिन्न महिलाओं की आत्मकथाओं तथा लेखनी में ‘जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है’ (पर्सनल इज पॉलिटिकल) का नारा बुलंद किया जा रहा था। पुरुषों के प्रभुत्व वाले सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश अंतीत से नाता तोड़ने जैसा था। (कौशांबी, 2007)

1920 के दशक में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधीवादी आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। गांधी ने घर के भीतर और बाहर महिलाओं के स्थान के बारे में अपनी बात को बहुत कुशलतापूर्वक रखा था। आजारी के आंदोलन को 1920 के दशक के उत्तरार्द्ध में सामाजिक आधार प्राप्त हो चुका था। बाल विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर गांधी और स्थानीय सुधारक एक साथ बात कर रहे थे। ऐसा लगा मानो राष्ट्रवादी कल्पना में ‘आधुनिक जानूस’ (अंतीत और भविष्य को एक साथ देख सकने वाला युनानी देवता) और ‘भावी राष्ट्र’ के अंकुर पहले ही फूट चुके थे।

19वीं सदी के अंतिम चरण में शैक्षिक सुधारों तथा सामाजिक सुधारों ने पढ़ने-लिखने वाली नए किस्म की जनता तैयार की, जिसमें महिलाओं का अनुपात बहुत कम था। अखबारों के जरिये शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता ने शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया। इस सदी में पूरे भारत में महिलाओं के अपने संगठन आरंभ हो गए। 1908 में बंगाल की शिक्षाविद् एवं लेखिका रुक्या सखावत हुसैन ने सुल्तानाज डीम लिखी। इस लघुकथा ने पाठक को महिलाओं की स्व-प्रशासन प्रणाली का विचार दिया। बंगाल

में महिलाओं के अधिक उग्र समूह सामने आए। सरला देवी चौधरानी (रवींद्रनाथ ठाकुर की भानजी) ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल का गठन किया। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद को राजनीतिक विरोध से जोड़ दिया। उन्होंने हिंदू पर्व अष्टमी को वीराष्टमी में बदल दिया ताकि अंतीत के विजेता नायकों का उत्सव मनाया जा सके।

जब सदी करवट ले रही थी तो बंबई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा। बंगाल में अधिकतर गुप्त संगठन थे। महिलाओं को स्वदेशी अभियान जारी रखने के लिए अपने परिवारों से समर्थन मिला। इनमें आम तौर पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और शराब की दुकानों पर धरना देना शामिल था। बंगाल में भारत माता के प्रति राष्ट्रवादी भावना उभरने लगी थी। 1882 में बॉकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (1838-1894) ने मातृभूमि पर जीवन न्योछावर करने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को आधार बनाकर आनंदमठ लिखी। उनका लोकप्रिय गीत ‘वंदे मातरम्’ आने वाले सभी उपनिवेश विरोधी भारतीयों तथा संगठनों का गीत बन गया।

महिलाओं की प्रतिभागिता के दूसरे चरण में होम रूल और सविधानवाद का विचार प्रभावी हो गया। कुछ पश्चिमी महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयरिश एवं ब्रिटिश मूल की एनी बेसेंट (1847-1933) 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। ब्रह्मसमाजी एवं समाजवादी बेसेंट लंदन से आई प्रशिक्षित आंदोलनकारी थीं। उन्होंने आयरिश मॉडल पर आधारित होम रूल का अभियान आरंभ किया। आयरलैंड में नारी अधिकारों की समर्थक उनकी सहयोगी मार्गेट कजिंस (1878-1954) ने भारतीय

लेखिका जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (नयी दिल्ली) के स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र में आधुनिक भारतीय इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सुधारवादी, राष्ट्रवादी तथा समसामयिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं से जुड़े विषयों में उनकी विशेषज्ञता है। ईमेल : jyoti_atwal@mail.jnu.ac.in

महिलाओं के मताधिकार का विधेयक तैयार किया और वूमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1917 के आसपास सरोजिनी नायडू (1879-1949) प्रमुख राष्ट्रवादी बनकर उभरीं। वह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनीं। नायडू 1905 में बंग-भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ीं। उन्होंने 1915 से 1918 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा कर महिला सशक्तीकरण तथा राष्ट्रवाद पर भाषण दिए। वह वूमेंस इंडियन एसोसिएशन के गठन से निकट से जुड़ी रहीं और महिला मताधिकार प्रतिनिधिमंडल के साथ लदन गईं।

तीसरे चरण में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और 1919 के जलियांवाला बाग कांड ने देश का मन बदल दिया और पूरे भारत के लोगों को आजादी के लिए एकजुट कर दिया। अंग्रेजों ने 1919 के आरंभ में जनसभाओं/विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने वाला रैलीट एक्ट प्रेरित कर दिया और नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी। जब गांधी ने 13 अप्रैल को शांतिपूर्ण विरोध अर्थात् सत्याग्रह और असहयोग का आहवान किया तो अमृतसर (पंजाब) की जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हजार से कुछ अधिक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई और उनकी हत्या कर दी गई। औपनिवेशिक हिंसा की इस घटना ने 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन के अगले चरण का रास्ता तैयार कर दिया। आंदोलन अदालतों तथा स्कूलों के बहिष्कार पर केंद्रित था, जो स्वदेशी के विचार से आगे बढ़ चुका था। महिलाओं के स्वतंत्र संगठनों जैसे राष्ट्रीय स्त्री संघ को जिला कांग्रेस समितियों के साथ मिला दिया गया। असहयोग आंदोलन बंगाल से बाहर तक फैल गया और भारत भर की महिलाएं उससे जुड़ गईं। यह आंदोलन हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन गया। अहमदाबाद में अली बंधुओं की मां अम्मा ने 6000 महिलाओं के सामने भाषण दिया और उन्हें धरने में पुरुषों का साथ देने के लिए कहा। गांधी ने समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं से भी अपील की।

आंध्र प्रदेश में तेजस्वी दुर्गाबाई ने गांधी की बात सुनने के लिए 1,000 से अधिक देवदासियां (पारंपरिक रूप से मदिरों की वेश्या मानी जाने वाली) जुटा लीं। उन्होंने आभूषणों के रूप में 20,000 रुपये की दानराशि

जुटा ली। इसके बाद उन्हें हिंदू विधवाओं के बड़े वर्ग में सर्वाधिक संभावनाएं दिखीं। उन महिलाओं को सत्याग्रह के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी और गांधी के लिए वे आदर्श स्वतंत्रता सेनानी थीं। वे सबसे उपयुक्त प्रतिभागी थीं। इसीलिए यह निश्चित था कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त भारत में संघर्षरत विधवा मां इसके उपनिवेश-विरोधी अतीत तथा संपन्न भावी राष्ट्र की प्रतीक बन गई। (अटवाल, 2016) गांधी ने इन विधवाओं की त्यागपूर्ण भावना को नमन किया क्योंकि ब्रह्मचर्य के प्रण के बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी कामेच्छा को आध्यात्मिक शक्तियों में बदल लिया था।

विधवा के व्यक्तिगत त्याग को राजनीतिक विचारधारा में बदला जा सकता था। यद्यपि गांधी बड़ी संख्या में विधवाओं को प्रतिभागी नहीं बना सके किंतु उन्होंने वैधव्य के विचार का समर्थन किया। जिस हिंदू वैधव्य को राजनीतिक एवं आदर्श रूप दिया गया था, गांधी ने उसका प्रयोग जनता की चेतना को शांतिपूर्ण किंतु सतत संघर्ष के प्रति प्रेरित करने में किया।

राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण में महिलाओं की भारी प्रतिभागिता देखी गई। 1920 के दशक के बाद के राजनीतिक उत्तर-चढ़ाव वाले माहौल में दो वर्ष के लिए भारत धूम चुकी अमेरिकी कैथरीन मायो ने मदर इंडिया नाम की पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने हिंदू पुरुषों की कड़ी आलोचना की और परिवार में महिलाओं की दासियों जैसी स्थिति का वर्णन किया। यह पुस्तक भविष्य की 'वैश्विक सार्वजनिक घटना' बनने वाली थी (मृणालिनी सिन्हा, 2006)। इन घटनाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्नीसवीं सदी से ही 'हिंदू परिवार' की सार्वजनिक समीक्षा होती रही थी। राष्ट्रवादियों और सुधारकों के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी अभियान परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने तथा घरों को अहिंसक बनाने के लिए विवश हो गए। इस पुस्तक पर देश भर से असहमति भरी कठोर प्रतिक्रियाएं आईं। भारत के पुरुष और महिलाएं इसके कारण राष्ट्रीय सम्मान के लिए एकजुट हो गए। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ एक अन्य प्रमुख घटना थी। आरंभ में यह देश में बने नमक पर लगाए गए कर के विरोध में ही था।

इसमें साबरमती नदी के किनारे 24 दिन की पदयात्रा शामिल थी। महिला कार्यकर्ताओं को अब यात्राओं, बहिष्कारों तथा प्रभात फेरियों का नेतृत्व करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा।

महिलाओं ने अपने संगठनों के भीतर देशभक्त समूह बना लिए। उन्हें देश सेविका संघ कहा जाता था। महिलाओं ने गिरफ्तारियां दीं और परोक्ष विरोध दिखाते हुए शांतिपूर्ण यात्राएं भी निकालीं किंतु कुछ महिलाएं क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गईं और अथवा उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में क्रांतिकारियों का साथ दिया।

1930 के दशक में जेल जाने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं सरोजिनी नायडू, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, मारग्रेट कजिंस, कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं। 'उदार घरों और रुद्धिवादी परिवारों, शहरों और गांवों से कुंवारी और विवाहित, युवा एवं वृद्ध महिलाएं आगे आईं और उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया।' (फोर्ब्स, 2005)

उनमें से कुछ को सेविका अथवा स्काउट कहा गया। उदाहरण के लिए 1930 के आसपास सरकार ने लखनऊ में कांग्रेस को अवैध करार दिया था। प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी अपने संस्मरण में लिखती हैं कि जब महिलाएं पुलिस की लॉरी के भीतर बैठीं तो उन्होंने महात्मा गांधी और भारत माता की जय के नारे लगाए। लॉरी में सात महिलाएं, एक इंस्पेक्टर और सात कॉन्स्टेबल थे। सभी महिलाएं राष्ट्रगीत गाती रहीं। जब इंस्पेक्टर नीचे उत्तर गया तो उन्होंने अपने करीब बैठे कॉन्स्टेबलों की आंखों में आंसू देखे। शिवरानी की गिरफ्तारी से पहले इंस्पेक्टर ने लगभग 50 महिलाओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें जेल नहीं ले जाया गया। उन्हें शहर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर उतार दिया गया। 1,200 से कुछ अधिक लोगों के बीच महिला आश्रम की जनसभा में शिवरानी ने यह जानते हुए भी बेहद उग्र भाषण दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। नवंबर 1931 में विदेशी वस्त्रों का विरोध करने पर एक बार फिर शिवरानी को सात महिलाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। (अटवाल, 2007) शिवरानी देवी ने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। एक बार महिलाओं की राष्ट्रीय चेतना जगने के बाद उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके ढूँढ़ना आरंभ कर दिया।

एक अन्य महत्वपूर्ण देशभक्त संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में दुर्गावती देवी अथवा दुर्गा भाभी (1907-1999) ने योगदान किया। वह और उनके पति भगवती चरण बोहरा इस संगठन के सदस्य थे। सॉन डर्स की हत्या के बाद जब भगवती सिंह भेष बदलकर बच निकले थे तो उनके साथ ट्रेन में दुर्गा भाभी ही थीं।

1930 के दशक का चटगांव शस्त्रागार हमला क्रातिकारी प्रतिभागिता की एक और घटना थी। कल्पना दत्त (1913-1995) मई 1931 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चट्टग्राम शाखा से जुड़ गई, जो सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र प्रतिरोध करने वाला समूह था। प्रीतिलता वड्डेदार के साथ मिलकर 1931 में उन्होंने चटगांव में यूरोपियन क्लब पर हमला किया। हमले से एक हफ्ते पहले उन्हें इलाके की टोह लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह भूमिगत हो गई। 17 फरवरी 1933 को पुलिस ने उनके छिपने के ठिकाने को घेर लिया और सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कल्पना बच निकलने में कामयाब रहीं। चटगांव शस्त्रागार हमले के मामले में दूसरी पूरक सुनवाई के दौरान कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया।

1930 के दशक में कमलादेवी चट्टोपाध्याय (1903-1988) गांधीवादी आंदोलन विशेषकर नमक सत्याग्रह की बड़ी नेता बनकर उभरीं। बाद में स्वतंत्र भारत में उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और थिएटर को बढ़ावा देने में बहुत दिलचस्पी ली। कमलादेवी कांग्रेस के निर्णयों में प्रमुख भूमिका कभी नहीं निभा पाई क्योंकि वह गांधी, नेहरु तथा समाजवादियों के बीच 'त्रिकोणीय रिश्ते' में फस गई। भारत सरकार ने 1955 में उन्हें पदम भूषण से तथा 1987 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदम विभूषण से सम्मानित किया। ये दोनों भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसायसाय पुरस्कार (1966) से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 1974 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप, रत्न सदस्य भी प्रदान की गई, जो संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान होता है और आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है।

दूसरी ओर सरोजिनी नायडू को राजनीति में अधिक स्थान मिला। नायडू 1925 में ने कानपुर

में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारत में प्लेग की महामारी के दौरान उनके कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया।

1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान वह गुजरात के धरासणा नमक गोदाम पर प्रमुख महिला प्रदर्शनकारी थीं। अंग्रेजों के आरेश पर धरासणा में सत्याग्रहियों को जमकर पीटा गया। 1931 में उन्होंने गांधी और मदन मोहन मालवीय के साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा

पुरुषों के गिरफ्तार होने पर महिला संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखने तथा सभाएं करने का जिम्मा संभाल लेते थे। इसके अलावा उन्होंने सूत कातने और अनशन के जरिये शातिपूर्ण प्रतिरोध करने के गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। महिलाओं के ढेरों प्रसंग और संस्मरण हैं, जो 1930 के दशक से जुड़े हैं।

लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और गांधी तथा अन्य नेताओं के साथ जेल गई। 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में नायडू 1947 से 1949 तक आगरा तथा अवध के संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल बनीं।

एक अन्य राष्ट्रीय नेता अरुणा आसफ अली (1909-1996) ने कांग्रेस के भीतर तथा बाहर बहुत सम्मान अर्जित किया। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के गवलिया टैक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए प्रमुख रूप से याद किया जाता है। उन्हें 1958 में दिल्ली की पहली मेयर नियुक्त किया गया। 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आसफ अली से विवाह के बाद वह कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य बन गई और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने जन यात्राओं में हिस्सा लिया। उन्हें आवारागर्दी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और गांधी-इरविन समझौते के तहत 1931 में उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि उसमें केवल राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात थी। अन्य महिला बंदियों ने उनकी रिहाई से पहले जेल से बाहर

निकलने से इनकार कर दिया और अपनी मांग तभी छोड़ी, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने हस्तक्षेप किया। एक जनांदोलन के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1932 में उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा गया, जहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के साथ भेदभाव के विरोध में भूख हड़ताल की। उनके प्रयासों के कारण तिहाड़ जेल में स्थितियां बेहतर हो गई किंतु उन्हें अंबाला भेज दिया गया और अन्य बंदियों से अलग रखा गया। रिहाई के बाद वह राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रहीं। 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं की प्रतिभागिता की छवि और स्तर को भारत माता तथा विक्टोरिया काल की नैतिकता के बहुस्तरीय विचारों से तैयार किया गया। जिन महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व किया, उनमें से अधिकतर उच्च मध्य वर्ग की थीं किंतु हाल के वर्षों में दलित तथा आदिवासी महिलाओं ने भी राष्ट्र के इतिहास में प्रतिभागिता की है। ऐसे कई इतिहास अभी लिखे जाने हैं। □

संदर्भ

राधा कुमार: द हिस्ट्री ऑफ डूर्ङङ: एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट फॉर विमेंस राइट्स, 1800-1990, दिल्ली: काली फॉर विमें, 1993

मीरा कौशांबी: क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स: फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, दिल्ली: परमानेंट ब्लैक, 2007

जेराल्डिन फोर्ब्स: विमेन इन कॉलोनियल इंडिया: एसेज इन पॉलिटिक्स, मेडिसिन एंड हिस्ट्रियोग्राफी में 'द पॉलिटिक्स ऑफ रेस्पेक्टिविलिटी: इंडियन विमेन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस', दिल्ली: क्रॉनिकल बुक्स, 2005, पृष्ठ संख्या 11-62

मृणालिनी सिन्हा: स्पेक्टर्स ऑफ मदर इंडिया, डरहम एवं लंदन: ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006

ज्योति अटवाल: 'रीविजिटिंग प्रेमचंद: शिवारनी देवी औन कपैनियनशिप, रिफॉर्मज्म एंड नेशन', इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 42, संख्या 8, 5-11 मई, 2007, पृष्ठ संख्या 1631-7

ज्योति अटवाल: रियल एंड इमेजिन्ड विडोज: जेंडर रिलेशंस इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया, दिल्ली: प्राइमस, 2016

सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान

UPSC-2015



RANK 173

वत्सला गुप्ता

मैं निश्चय अकाडमी के यशस्वित सदृशी बहुत आश्रित हूँ। जिनके अशक्त प्रगति से रख गाइडेन्स से मुझे विडियो सेवा परीक्षा में जीमेस पेपर स्क्रॉल आपनल सक्लेक्ट वेपर की तैयारी में बहुत सहायता मिली। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू में छात्र सभी विभिन्न से बहुत जानकारी मिला एवं इनकी जाऊँकारी के खाने से मुझे विडियो सर्विस परीक्षा 2015 में सफलता प्राप्त हुई।

मैं उन : निश्चय अकाडमी के

श्री यशस्वित सदृशी का ज्ञान : हृदय से ज्ञान आंशुल्य करती है।

वत्सला गुप्ता

Roll No. 0340667

Rank - 173.

UPPCS




Rank 2

मंगलेश दुबे

मैं मंगलेश दुबे UPPCS 2015 में अंतिम 2 में से 6वें श्रेणी पर सफल होता हूँ। यदि आज मैं इस सफलता की समीक्षा करता हूँ तो ईच्छा, अधिकार, डेली, और युवांगों के अन्तर्मध्य के अन्तर्मध्य की ताकत निकल 195 / 2015 पर के यशस्वित सदृशी सर्विस रिक्त ने मैंने यही करने के लिए उन्होंने अपने दर्द दूर कर दिया है। अब मैं इन्हें अंगठी करते रहता हूँ। ये निश्चय अकाडमी द्वारा दिये गए विडियो विभिन्न रूपों वेबका जॉनी नुस्खे द्वारा दिये गए के समिक्षा में ही आपने हुई। मैंने इस यशस्वित सदृशी का उत्तम दर्द-

—



Nishchay I.A.S. Academy एक छात्रों के प्रति समर्पित संस्था है जहाँ 30-40 विद्यार्थी ही अध्ययन करते हैं उनमें से प्रत्येक वर्ष 8-10 विद्यार्थी सफल होते। जो सफलता के प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे उच्च है। यह एक चमत्कार नहीं है बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे की गयी मेहनत को दर्शाता है।

- साप्ताहिक ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन **Written Test** पर बल
- त्रुटियों में सुधार (व्यक्तिगत तौर पर)
- प्रत्येक प्रश्न की फोरिंग पर बल

- क्या आप अपने तैयारी से संतुष्ट हैं? क्या आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं। वहाँ की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं?
- क्या UPSC के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं?
- क्या आप को लगता है कि आप के साथ न्याय हो रहा हैं?
- यदि आप को सफल होना है तो निश्चय संस्थान इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। इसलिए इस साल निबंध के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के अनेक प्रश्न क्लास नोट्स से आये हैं।

दर्शनशास्त्र

द्वारा यशवंत सिंह

सामाज्य अध्ययन
द्वारा यशवंत सिंह एवं टीम

NEW BATCH
STARTS

13 SEP. 2016

102, 103, 1st Floor, Jaina House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9 (Near Police Chowki)

011-47074196, 9990158578



सामाजिक न्याय की धारणा और महिला विधेयक

बिपिन कुमार तिवारी



राजनीति में सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी स्त्रीवादी दृष्टि से एक चिरंतन अपूर्ण स्वरूप है। शासन प्रणलियां बदली, लोकतंत्र में सत्ता के अगुआ बदले लेकिन नहीं बदला तो स्त्री नेतृत्व के प्रति नजरिया। संवधान के मूल में समानता की अवधारणा स्थिति होने के बावजूद समानता के धरातल पर स्त्री की जगह बदारद ही दिखती है। आखिर क्यों? महिला आरक्षण विधेयक दशकों से लंबित है लेकिन यह सच है कि सामाजिक न्याय रास्ता वास्तव में विधायिका में स्पष्ट आरक्षण के रास्ते ही जाता है

सा

माजिक न्याय और महिला विधेयक पर चर्चा करना भूमि के ढेर से सूई खोजने की तरह है। वास्तव में समय सापेक्ष रखकर जब हम इतिहास में इस उत्स की खोज करते हैं तो कई चौंकाने वाले तथ्य निकलते हैं। केवल सामाजिक न्याय की धारणा पर ही चर्चा करें तो भारतीय समाज और महिलाओं के शोषण के अनगिनत चिह्न मिलते हैं। महिलाओं के अधिकार, हक, सुरक्षा, एवं भारतीय जनतंत्र में उनकी भागीदारी के सवाल हमेशा ठंडे बस्ते में डाले गये हैं। हालांकि इतिहास की धारा में महिलाओं ने अपनी सक्रिय हिस्सेदारी को दर्ज कराया है। अपाला, मुद्रालोपा से लेकर, अणाक, मीरा, महादेवी वर्मा, ज्ञांसी की रानी, दुर्गावती, कर्मवती इत्यादि साहित्य और राजनीति में अपनी गहरी पैठ रखती रही हैं। महिला विधेयक पर चर्चा करने से पहले थोड़ी-सी बहस सामाजिक न्याय की धारणा पर कर लें तो, विषय को समझने में सुविधा होगी।

सामाजिक न्याय: अवधारणा

सामाजिक न्याय की धारणा एक विवादित पद बंध है। भारत एवं पाश्चात्य देशों के चिंतन पद्धति में इस शब्द के अलग-अलग अर्थ लगाये जाते हैं। अरस्तु, प्लेटो, काण्ट, बेन्थम इत्यादि विद्वानों ने केवल राजनीतिक अधिकारों को लेकर पहली बार सामाजिक न्याय की गंभीर वकालत की। अगर तथ्यों पर ध्यान दें तो हमारे देश की स्थिति विश्वपटल 103 रैंक पर है यानी पूरी दुनिया 12 प्रतिशत ही महिलाओं की भागीदारी है। एशियाई देशों

के बीच हमारा 13वां स्थान है, जबकि स्त्री अधिकारों को लेकर शारिया कानून वाले देश भी हमसे ज्यादा प्रगति पर हैं।

उपरोक्त विद्वानों का मानना है कि सरकार (स्टेट) का यह दायित्व होगा कि वह व्यक्ति के राजनीतिक हितों की रक्षा करेगा। पश्चिम के देशों में व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण थे। इस व्यक्ति में 'स्त्री' के लिए कड़े संघर्ष के बाद विदेशों में उनके राजनैतिक हित सुरक्षित हुए। भारतीय संदर्भ में 'सामाजिक न्याय' की धारणा की स्थिति बहुत जटिल है। भारतीय समाज व्यवस्था में 'वर्ग' एवं 'जाति प्रथा' एक अनिवार्य घटक है, इस वर्ण एवं जीत के सवाल के अलावा कई 'सामाजिक कानून' हैं जिसके कारण स्त्री की राजनैतिक स्थिति कमजोर दिखलाई पड़ती है। एक स्त्री को धर्म, परम्परा, रूढ़िवादिता, कुल प्रतिष्ठा, इज्जत के नाम पर पग-पग पर बेड़ियां पहनाई जाती हैं, एक स्त्री जटिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था से लड़कर अपने राजनैतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। इस प्रसंग में मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास अल्मा कबूतरी की भारतीय अल्मा का चरित्र प्रशंसनीय है। अल्मा एक नेता की रखैल है तो समाज और उनके समर्थक को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब अल्मा के तथाकथित रक्षक नेताजी की मौत होती है तो तब अल्मा उनकी राजनैतिक वारिस बनती है। उपन्यास में अधिव्यक्त सभ्य समाज को परेशानी होने लगती है। भारतीय राजनीति में स्व. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी की सक्रियता पुरुष सत्तात्मक समाज के समक्ष एक चुनौती है। कहने को तो ये सभी सक्रिय महिला राजनैतिक हस्तियां हैं और भारतीय

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक हैं तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विकलांगजनों के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) भी हैं। राजनीतिक सामाजिक विषयों पर लेखन में इनकी गहरी रुचि है। ईमेल: bipintiwar@gmail.com

संसद की वर्तमान स्थिति में लोकसभा में 545 सीटों में 59 महिलायें तथा राज्य सभा में 233 सीटों में 21 महिलायें संसद सदस्य हैं। राज्य स्तर पर यदि महिलाओं के आंकड़ों को देखें तो स्थिति और भयावह है। अर्थात् राज्य की कुल 4090 सीटों में एस. सी. महिला 203, एस.टी. महिला 185 तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं की संख्या 797 है। यानी कुल महिलाओं के संख्या 1367 हैं जो कुल संख्या का मात्र 7 से 11 प्रतिशत तक ही सीमित है।

राजनीति की दशा और दिशा तय करती रही हैं। किन्तु इनके सामाजिक संरचना के विन्यास पर बात करें तो सामाजिक न्याय की धारणा बिल्कुल साफ दिखायी देती है। सवर्ण समाज की महिलाओं की राजनैतिक हिस्सेदारी बहुत मुश्किल से स्वीकार की जाती है। इसी संदर्भ में देखा जा सकता है राष्ट्रीय पार्टियां एवं क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष के पद पर अधिकांश पुरुष ही काबिज हैं। सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, एवं जयललिता जैसी सक्रिय, कर्मठ, विदुषी, एवं विचारशील महिलायें भारतीय राजनीति की आइकॉन हैं किन्तु यह देश का दुर्भाग्य है कि महिला विधेयक आज भी संसद के पटल पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है।

भारत की आजादी को 70 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में भारत ने ओने इतिहास में कई उत्तर चढ़ाव देखे। देश में कई सरकारों ने शासन किया, महिलाओं के लिए कई योजना, एवं नीतियां बनी और बहुत से प्रशासनिक सुधार हुए किन्तु उनके लिए महिला आरक्षण का सबाल आज भी जस का तस है। दिल्ली में 2012 में निर्भया सामूहिक बलाकार और हत्याकांड हो जाने के बाद सख्त कानून बनाने के बावजूद देश की राजधानी में यौन उत्पीड़न एक व्यापक समस्या है। हाल ही में ‘इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस रिव्यु’ में प्रकाशित हुए सर्वे के अनुसार 40 प्रतिशत महिलाओं के साथ पिछले साल बस या पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। जहां 33 फीसदी महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर जाना छोड़ दिया वहाँ 17 फीसदी महिलाओं को नौकरी छोड़ने पर

मजबूर होना पड़ा। यह स्थिति हमारे देश में सिर्फ एक राज्य की है यकीन बाकि राज्यों के आंकड़े भी चौकाने वाले होंगे। क्या यही महिला सशक्तीकरण है? प्रारंभिक समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने बाल-विवाह और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक काम किये। सरकार ने इसके संबंध में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में कानून बनाए जिसमें सतीप्रथा का उन्मूलन (1829), विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), कानूनी विवाह अधिनियम (1872)। बावजूद इसके अभी तक महिला स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। अगर कोई सुधार हुआ भी है तो वो सिर्फ नाम मात्र का है।

महिला आरक्षण की भूल भूलैया

इसी प्रकार महिलाओं को चुनावों में हिस्सा लेने और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिए जाने के बावजूद निर्वाचित और निर्णय लेने के बाले निकायों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में यह शून्य भी रहा है। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के लिए सन् 1988 में पहल की गई थी। सन् 1992 में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन पारित किया गया जिसमें पंचायती राज निकायों और नगरपालिकाओं में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। परंतु संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण का प्रस्ताव अभी तक संसद में विचाराधीन है जो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिह्न लगाता है या फिर राजनीतिक दल महिलाओं के लिए संविधान संशोधन करने का साहस नहीं जुटा पाएं हैं।

33 प्रतिशत महिला आरक्षण मुद्दा राजनीतिक विवादों में है। प्रत्येक सरकार हमेशा यही कहती है कि हम तो महिला आरक्षण का बिल पास करना चाहते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। इन क्षेत्रीय दलों का तर्क है कि जब तक महिला विधेयक में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की उचित सवैंधानिक व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक यह विधेयक

अपूर्ण और असंगत ही रहेगा। परंतु राष्ट्रीय दलों का मूल उद्देश्य यह है कि महिला विधेयक में 33 प्रतिशत आरक्षण मोटे तौर पर मान्य किया जाए न कि उनमें भी वर्चित वर्गों की महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, जिस कारण यह विधेयक हर बार पारित होने से रोका जाता है।

क्षेत्रीय पार्टियों के स्थानीय नेताओं की मूल चेतना में फुले, अम्बेडकर, लोहिया जैसे नेताओं का गहरा प्रभाव है। ये पार्टियां इन नेताओं को आदर्श मान कर चलती हैं (आरोही सिद्धांत में)। इन पार्टियों का अपने तर्क हैं, इनका मानना है कि संप्रभु पुरुषों की भाँति ही संप्रभु महिलाएं भी महिला विधेयक का लाभ ले सकती हैं, अतः इस महिला विधेयक में वर्चित वर्गों की महिलाओं के लिए स्थानों को सुनिश्चित किया जाए अन्यथा महिला आरक्षण कानून अप्रसारित ही रहेगा। वास्तव में भारतीय जनतंत्र की मजबूती तब तक नहीं होगी जब तक समाज के सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी और कर्तव्य सुनिश्चित नहीं किये जाते। क्योंकि जो भी महिलायें शीर्षपदों पर आसीन हैं वह पारिवारिक रूप से संपन्न

सोनिया गांधी, जयललिता, आनंदी बेन पटेल, ममता बनर्जी आदि महिलाओं को शीर्ष पदों पर देख कर हम खुश हो जाते हैं की महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है परंतु प्रश्न यह उठता है की क्या यह महिलायें समाज के अधीनस्थ वर्ग से संबंध रखती हैं? क्या यह महिलाएं सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका उत्तर है नहीं।

परिवार से संबंध रखती हैं जिनका साधारण जीवन से और जमीनी हकीकत से कोई संरोकार नहीं है। महिला जनसंख्या का बड़ा भाग अब भी समाज की मुख्य धारा से वर्चित है यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को तो महिला सशक्तीकरण का अर्थ ही नहीं ही पता है।

नारी जीवन: बहुआयामी संतुलन

थाकुरकथित परम्परागत आधुनिक समाज में महिला दोहरे भार तले दबी हैं। गृह का पृष्ठ 65 पर

याद करो कुबनी आजादी की कहानी किताबों की जुबानी

प्र०

प्रकाशन विभाग
मूल्या और प्रकाशन अंगालय
ग्राम अष्टकार

अपनी प्रति सुरक्षित करने के लिए businesswng@gmail.com, 011-24365609/24367260 पर संपर्क करें।

विकास पथ

स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए मां कार्यक्रम

ज

नसामान्य विशेषकर माताओं को स्तनपान के लाभ के विषय में पर्याप्त रूप से जागरूक करने के लिए हाल ही में प्रमुख कार्यक्रम मां (मदर्स एब्सॉल्यूट अफेक्शन) आरंभ किया गया।

मां-मदर्स एब्सॉल्यूट अफेक्शन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत स्तनपान के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने तथा स्तनपान में मदद के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम 'मां' यह

दर्शाने के लिए रखा गया है कि स्तनपान करने वाली मां को परिवार के सदस्यों तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना, आशा के जरिये अंतर वैयक्तिक संचार को मजबूत करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में आपूर्ति बिंदुओं पर स्तनपान में सहयोग के लिए दक्ष सहायक उपलब्ध कराना तथा निगरानी करना एवं सम्मान/मान्यता प्रदान करना मां कार्यक्रम के प्रमुख अवयव हैं।

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2013-16 के दौरान 42 करोड़ रुपये प्रदान किए गए एवं 18215 लोग लाभान्वित हुए।

म

हिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उज्ज्वला योजना में मानव तस्करी रोकने तथा देह व्यापार के लिए तस्करी कर ले जाई जा रही पीड़िताओं को बचाने, उनका पुनर्वास करने, पुनर्मिलन कराने तथा उनके देश भेजने के लिए विशेष प्रावधान हैं। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 2013 से 2016 के बीच राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 42 करोड़ रुपये जारी किए और उसी अवधि में लगभग 18,215 लोग इससे लाभान्वित हुए। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को 2016-17 में (30.06.2016 तक) 143.07

लाख रुपये जारी किए गए हैं।

महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किए जा रहे सरकारी उपायों में समुदाय निगरानी समूहों का गठन एवं कामकाज, स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं उनका संघटन, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से जनसंवाद आरंभ करना, जन माध्यमों के जरिये जागरूकता उत्पन्न करना तथा पैम्फलेट, लीफलेट एवं पोस्टरों जैसी जागरूकता उत्पन्न करने वाली सामग्री तैयार करना एवं छापना शामिल हैं।

आईजीएमएसवाई के अंतर्गत 2013-16 के दौरान 800 करोड़ रुपये से अधिक जारी

म

हिला एवं बाल विकास मंत्रालय सशर्त मातृत्व लाभ की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) चला रहा है, जिसके अंतर्गत 19 वर्ष तथा अधिक आयु की गर्भवती एवं स्तनपान करा रही माताओं को पहली दो जीवित संतानों के लिए 6,000 रुपये की राशि दो समान किस्तों में प्रदान की जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इस योजना का लक्ष्य गर्भवती तथा स्तनपान करा रही महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देकर उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। नकद प्रोत्साहन गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर बच्चे की आयु छह माह

होने तक की अवधि में माताओं के बैंक खातों/डाकघर खातों में डाल दी जाती है।

मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 2013-16 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 808 करोड़ रुपये जारी किए तथा उसी अवधि में लगभग 14,32,411 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। आईजीएमएसवाई को देश के 53 चुनिंदा जिलों में चलाया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि दी जाती थी, जिसे मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं को समान अवसर एवं अच्छी कामकाजी स्थितियां प्रदान करने की सरकारी योजनाएं।

स

रकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 लागू किया है, जिसमें रोजगार के मामले में समान कार्य के लिए अथवा एक जैसे कार्य के लिए महिला एवं पुरुष कर्मियों को एकसमान पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है तथा नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने पर भी प्रतिबंध है। केंद्र तथा राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू कर रही हैं ताकि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित सरकारी अधिकारी निरीक्षण करते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हैं। अधिनियम पूरे भारत में लागू है।

महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं का सुरक्षित निवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की योजना चला रहा है। वह कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना चला रहा है।

इनके अतिरिक्त मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश के प्रावधान किए गए हैं ताकि रोजगार नीतियों को महिला कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके।



भारत में महिला शिक्षा: समाज व सरकार की भूमिका

मुकुल कानिटकर



संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से बंचित बर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में ही पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतंत्रता के समय यह स्थिति अत्यंत विकट थी। पुरुषों में साक्षरता की दर 20 प्रतिशत थी वही महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। भारत का अतीत इस मामले में कहीं बेहतर था और इसका कारण था शिक्षा व्यवस्था का सरकार आश्रित न होकर समाजपोषित होना।

20

11 की जनगणना के अनुसार भारत में जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है। जहां केवल 51 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इस परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिये विशेष प्रयास करना आवश्यक है। (देखें तालिका 1 एवं 2)

नारी शिक्षा का सामाजिक ताना-बाना

विषय केवल साक्षरता का नहीं, पूरी शिक्षा का ही है। प्रवेश लेने के बाद विद्यालयीन शिक्षा से दूर जाने वाले- छिटके हुये (ड्राप आउट) में भी बालिकाओं की संख्या अधिक है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ना यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। विद्यालयों में महिलाओं हेतु शौचालयों की कमी तथा अपने घर से विद्यालय जाने हेतु साधनों की कमी इन दो भौतिक कारणों को चिह्नित किया गया। इनके निवारण हेतु केंद्र सरकार ने विशेष अनुदान की व्यवस्था की। जिन राज्य सरकारों ने इसका लाभ उठाया

वहां सभी विद्यालयीन छात्राओं को साइकिल प्रदान की गयी। मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार के गांवों की सड़कों पर साइकिल से विद्यालय जाती छात्राओं का मनोहर दृश्य दिखाई देने लगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु आह्वान किया गया था। सरकार के साथ ही निजी कंपनियों द्वारा अत्यंत सकारात्मक प्रत्युत्तर इस आह्वान को प्राप्त हुआ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार लगभग सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिये शौचालय का लक्ष्य इस वर्ष प्राप्त कर लिया है। (देखें तालिका 3)

तालिका 1: साक्षरता दर* (7 वर्ष से अधिक)

	2001			2011		
	कुल	अजा.	अजजा.	कुल	अजा.	अजजा.
योग	64.8	54.7	47.1	73.0	66.1	59.0
बालक	75.3	67.0	59.0	80.9	75.2	68.5
बालिका	53.7	42.0	35.0	64.6	56.5	49.4

(* % में)

स्रोत: जनगणना 2001 और 2011

तालिका 2: वयस्क साक्षरता दर* (15 वर्ष से अधिक)

	2001			2011		
	कुल	अजा.	अजजा.	कुल	अजा.	अजजा.
योग	61.0	44.1	40.8	69.3	60.4	51.9
किशोर	73.4	59.3	54.8	78.8	71.6	63.7
किशोरियां	47.8	28.5	26.7	59.3	48.6	40.2

(* % में)

स्रोत: जनगणना 2001 और 2011

लेखक शिक्षा संबंधी विषयों पर कार्य कर रही संख्या भारतीय शिक्षण मंडल के अधिकारी भारतीय संगठन मंत्री हैं। शिक्षा संबंधी नीतिगत पहलों में कई मौकों पर सक्रिय भूमिका में रहे हैं। ईमेल : madhyanchal@gmail.com

तालिका 3: विद्यालयों में पृथक् शौचालय निर्माण स्थिति

राज्य	बालक		बालिका		कुल		निर्माण %
	स्वीकृत	निर्मित	स्वीकृत	निर्मित	स्वीकृत	निर्मित	
अंडमान एवं निकोबार	36	36	35	35	71	71	100
आंध्र प्रदेश	27515	27515	21778	21778	49293	49293	100
अरुणाचल प्रदेश	2194	2194	1298	1298	3492	3492	100
असम	24379	24379	11320	11320	35699	35699	100
बिहार	28550	28550	28362	28362	56912	56912	100
छत्तीसगढ़	10520	10520	6109	6109	16629	16629	100
दादरा और नागर हवेली	51	51	27	27	78	78	100
दमन और दीव	11	11	5	5	16	16	100
गोवा	96	96	42	42	138	138	100
गुजरात	1229	1229	292	292	1521	1521	100
हरियाणा	1154	1154	689	689	1843	1843	100
हिमाचल प्रदेश	764	764	411	411	1175	1175	100
जम्मू और कश्मीर	8896	8896	7276	7276	16172	16172	100
झारखण्ड	7770	7770	8025	8025	15795	15795	100
कर्नाटक	367	367	282	282	649	649	100
केरल	252	252	283	283	535	535	100
मध्य प्रदेश	15704	15704	17497	17497	33201	33201	100
महाराष्ट्र	2696	2696	2890	2890	5586	5586	100
मणिपुर	656	656	640	640	1296	1296	100
मेघालय	4629	4629	4315	4315	8944	8944	100
मिज़ोरम	794	794	467	467	1261	1261	100
नागालैंड	431	431	235	235	666	666	100
ओडिशा	23893	23893	19608	19608	43501	43501	100
पट्टुचेरी	0	0	2	2	2	2	100
पंजाब	998	998	809	809	1807	1807	100
राजस्थान	6762	6762	5321	5321	12083	12083	100
सिक्किम	55	55	33	33	88	88	100
तमिल नाडु	5181	5181	2745	2745	7926	7926	100
तेलंगाना	19027	19027	17132	17132	36159	36159	100
त्रिपुरा	246	246	361	361	607	607	100
उत्तर प्रदेश	9750	9750	9876	9876	19626	19626	100
उत्तराखण्ड	1500	1500	1471	1471	2971	2971	100
पश्चिम बंगाल	20803	20803	21251	21251	42054	42054	

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट

भारत में महिलाओं की शिक्षा का विचार करते समय केवल भौतिक बाधाओं पर विचार करने से काम नहीं चलेगा। भारत की विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौती

पर भी विचार करना आवश्यक है। आज भी समाज में महिलाओं की ओर देखने का वृष्टिकोण भेदभावकारी है? परिवार में बालक -बालिकाओं को समान व्यवहार नहीं मिलता? बालकों को जहां परिवार का आधार

माना जाता है वही बालिका को माता-पिता एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। विवाह आदि में पनपी हुई कुछ कुरीतियों के चलते जन्म से ही कन्या का स्वागत पूरे मन से नहीं होता। यही भाव बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता कारण है। बालक की शिक्षा में धन लगाने को भविष्य का निवेश मानते हैं और बालिका की शिक्षा को निरर्थक व अनुपयोगी समझा जाता है। इस मानसिकता के कारण ही प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के शिक्षा से विरत (ड्राप आउट) होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। शिक्षित समाज भी यह नहीं समझ पाया कि बालिका को शिक्षा से वंचित करना कन्याध्रूण हत्या के समान ही महापाप है।

इस समस्या के उपाय हेतु सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा लगभग पूरी बालिका शिक्षा को निशुल्क किया गया। आज भारत के लगभग सभी राज्यों में सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं का कोई शुल्क नहीं लगता या नाममात्र का होता है। कुछ राज्यों में इसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। पर विडंबना यह है कि जिन राज्यों में शिक्षा का अनुपात कम है वहां पर सामाजिक कुरीतियाँ और भेदभाव अधिक हैं। सामाजिक विषमता है इसलिए महिला शिक्षा का अभाव है। घर की मां अशिक्षित है इसलिए सामाजिक भेदभाव है।

सरकार व समाज की सम्मिलित भूमिका

सरकार ने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से दुष्क्रिय को तोड़ने का प्रयास तो किया है किंतु वास्तव में यह सरकार का विषय ही नहीं है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सरकारी प्रयासों का वर्णन अगले पृष्ठ पर बॉक्स में किया गया है लेकिन सामाजिक विषमता और विभेद के विरुद्ध समाज को ही संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार इसमें प्रेरक और सहायक बन सकती है किंतु प्रत्यक्ष कार्य तो धार्मिक सामाजिक संगठनों को करना होगा। इन सेवाभावी संस्थाओं की शिक्षा के लोकव्यापीकरण में भूमिका को शिक्षानीति में प्रमुख स्थान प्रदान करने आवश्यकता है। एक और कार्य नीतिगत स्तर पर किया जा सकता है वो महिला शिक्षा को व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाना। बालिकाओं को केवल

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए योजनाएं

केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तीकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है। इनमें प्रमुख रूप से हैं बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं योजना जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सौ करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गई। खासकर उन जिलों में जहां लिंगानुपात बेहद कम था। इस योजना का असर भी देखने को मिला। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इन चयनित जिलों में से कई जिलों में उम्मीद के मुताबिक सुधार देखने को मिल रहा है।

इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की एक और लघु बचत योजना शुरू की गई— सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गई। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पादन का 38 प्रतिशत थी जो 2013 में घटकर 30 प्रतिशत रह गई। यह योजना माता-पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

साथ ही केंद्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 उपखंडों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का मकसद अनसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना हैं जो खराब आर्थिक हालत के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत पहले दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाज्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई थी। बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

महिला सामाज्या कार्यक्रम मुख्यतः: महिलाओं के आत्म-विश्वास व आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रयास है। समाज राजनीति व अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को रेखांकित कर इनके जरिए महिला जगत की सकारात्मक छवि स्थापित करना इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। इसके जरिए विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ायी जाती है। सूचना, ज्ञान व कौशल के माध्यम से उनमें आर्थिक स्वावलंबन स्थापित करना भी इस कार्यक्रम के लक्ष्यों में शामिल है।

संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो विशेष स्वरोजगार योजनाएं हैं उन्हें और अधिक व्यापक और सर्वसमावेशी बनाने में सामाजिक संस्थाओं की महती भूमिका है। वास्तव में यह एक समाज का सकारात्मक आंदोलन ही बन जाना चाहिए।

ऐतिहासिक भ्रम से निकलना जरूरी

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का उपाय करते समय उसके तथाकथित नैतिक एवं धार्मिक आधार को भी चुनौती देने की अवश्यकता है। गत 150 वर्ष में भारत के इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण महिला के प्रति भेदभाव को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार प्रदान किया गया। गलत इतिहास के कारण अपने स्वार्थ के लिए महिलाओं को पीछे रखने वाली बातों को पुरानी रुद्धियों के नाम पर चलाया जाता है। जबकि हमारी परंपरा में महिलाओं को केवल बराबरी का ही नहीं अनेक मामलों में ऊंचा स्थान दिया गया है। शिक्षा से वंचित रखने के

तालिका 5: उत्तर आर्कोंट शाला, महाविद्यालय विद्यार्थी संख्या

क्र	तहसील	पुरुष	महिला	कुल
1	चिन्तूर	2835	2698	5453
2	तिरुपति	1814	1536	3350
3	कावेरिपाक	5580	4578	10158
4	शोलंगीर	2575	1791	4366
5	तिरुवल्लम	2732	2314	5046
6	सातगुड	2172	1682	3854
7	कडप्पा	1001	780	1781
8	आर्कोंट	6254	5915	12169
9	पुलकोंडा	6064	5441	11505
10	तिरुवत्तूर	2986	2297	5283
11	पोलूर	2988	2335	5323
12	वन्दीवाष	2537	1807	4344
13	सातवायड	1906	1545	3451
14	बंगारी	748	638	1386
15	मोगराल	2196	1711	3907
16	वेंकटगिरी. कोट	72	63	135

स्रोत: द ब्लूटीफुल ट्री

स्रोत: द ब्लूटीफुल ट्री

प्रमाणपत्र और डिग्री के लिए शिक्षा देने के पैरों पर खड़ी हो अपितु परिवार का आधार स्थान पर ऐसे विशेष पाठ्यक्रमों की रचना भी बने। महिला औद्योगिक संस्थानों के साथ माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही की जाने की ही महिला उद्यमी प्रेरणा केंद्र भी स्थापित करने होंगे। सहकारिता और अन्य वित्तीय आवश्यक है जिससे बलिका न केवल अपने

तालिका 4: चेन्नई कलेक्टर का सर्वेक्षण 13 नवंबर, 1822

विभाग	शाला	ब्राह्मण			वैश्य			शूद्र		
मद्रास		पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
शाला	305	358	1	359	789	9	798	3506	113	3619
महाविद्यालय	17	52	-	52	46	2	48	172	-	172

लिए कोई भी ऐतिहासिक आधार है ही नहीं। इस मानसिकता को बदलने हेतु भारत की गौरवशाली परंपरा में महिलाओं को प्राप्त विशिष्ट स्थान के बारे में समाज को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ताकि कोई यह झूठ ना कह सके कि हमारे यहां तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था।

भारत में महिला शिक्षा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेद काल में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा के अवसर उपलब्ध थे। एक आकलन के अनुसार वेद की ऋचाओं में से 60 प्रतिशत मंत्रों की रचना महिला ऋषियों द्वारा की गई है। मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, लोपामुद्रा, अनुसूया, जाबाली आदि विख्यात नामों के अलावा अनेक अज्ञात विदुषियों ने वैदिक साहित्य में अमूल्य योगदान किया है। जीवन के अन्य विषयों में भी महिलाओं को पूर्ण शिक्षा प्रदान की गयी। भारत में महिलाओं की स्थिति पर विशेष अध्ययन करने वाली विदुषी कुमारी निवेदिता भिड़े के अनुसार रामायण एवं महाभारत में प्राप्त संदर्भों से यह कहा जा सकता है कि उस युग में महिलाओं को वे सारे विषय तो पढ़ाए ही जाते थे जिनकी शिक्षा पुरुषों को दी जाती थी। इसके अतिरिक्त भी कई विद्याओं तथा कलाओं पर महिलाओं का विशेषाधिकार था। आज की भाषा में कहा जाये तो कुछ पाठ्यक्रमों में महिलाओं को शत प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

विदेशी प्रवासियों द्वारा लिखे गये यात्रा वर्णनों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि मध्यकाल में भी भारत में स्त्रियों को सभी प्रकार शिक्षा प्राप्त होती थी। सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के कार्यकाल में महिला शिक्षा का लोकव्यापीकरण किया गया था। भगवान बुद्ध ने भी महिलाओं को आध्यात्मिक तथा लौकिक शिक्षा में समान स्थान प्रदान किया था। इतिहास के संघर्ष काल में विभिन्न चुनौतियों के चलते अनेक कुरीतियों का प्रादुर्भाव समाज में हुआ। समय-समय पर जिस सामाजिक परिष्कार की निरंतर आवश्यकता होती है, युद्ध की परिस्थिति में वह न हो पाने से महिलाओं को कुछ सीमा तक घर में सीमित रखा गया। फिर भी महिला स्वाधीनता के मामले में भारत की स्थिति उस समय के यूरोप,

अमेरिका सहित विश्व के अनेक भागों से अच्छी थी।

12वीं से 17वीं शताब्दी तक की शिक्षा व्यवस्था पर और अधिक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। इस कालखंड में भारत में शिक्षा का समाजव्यापी स्वरूप रहा होगा। ऐसा अनुमान 1823 में अंग्रेजों द्वारा किये गये शैक्षिक सर्वेक्षण के अध्ययन से किया जा सकता है। पूरे देश में लाखों गावों ने पटवारियों के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। अंग्रेजों ने इस महत्वपूर्ण रपट को भारत के इतिहास में अकित नहीं होने दिया। जिसके कारण

सभी वर्णों की महिलाओं को विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन शिक्षा देने का प्रावधान भारत में था। यद्यपि महिला सहभाग का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है किंतु फिर भी यह ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय इंग्लैंड सहित पूरे यूरोप में बालिकाओं को इतनी मात्रा में भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं थे। अंग्रेजों ने 1835 में भारतीय पाठशालाओं को बंद कर अपनी शिक्षा व्यवस्था थोपी।

समाज में यह भ्रम फैलाया गया कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सारा भारत अशिक्षित था और अंग्रेजों ने ही भारत के बहुजन समाज को शिक्षा प्रदान की। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। महात्मा गांधी के अनुयायी श्री धर्मपालजी ने 1966 में लंदन के अभिलेखागार से यह सर्वेक्षण खोज निकाला। अपनी पुस्तक 'द ब्लूटीफुल ट्री' में उन्होंने इस पूरे सर्वेक्षण को जस का तस प्रस्तुत किया। इस पुस्तक के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि अंग्रेजों द्वारा बंद किये जाने से पूर्व भारतीय विद्यालयों में सभी वर्णों की बालिकाएं अध्ययन करती थीं। उदाहरण के लिए इस सर्वेक्षण से संबंधित (देखें तालिका 4 एवं 5)

इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि इन कंपनी विद्यालयों में लोगों ने बालिकाओं को नहीं भेजा। अंग्रेजों ने अधोनियंदन सिद्धांत के नाम पर केवल ब्राह्मणों को ही छह वर्ष तक विद्यालयों में प्रवेश दिया। इस योजना ने 50 वर्षों में ही पूरे देश को निरक्षर बना

दिया। महिलाओं एवं तथाकथित निम्न वर्ग की शिक्षा को अंग्रेजों ने बंद किया और दोष तथाकथित सर्वणों पर मढ़ दिया।

1823 में जनसंख्या में शिक्षितों का अनुपात 76 प्रतिशत से अधिक था ऐसा सर्वेक्षण के ब्रिटिश संपादकों ने लिखा है। मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण के संकलनकर्ता थॉमस मुनरो ने कहा है कि हर ग्राम में शिक्षा की व्यवस्था है और हर घर में शिक्षा का प्रभाव। हर नागरिक साक्षर है 76 प्रतिशत से अधिक सुशिक्षित अर्थात् कम से कम मैट्रिक तक शिक्षित हैं। ये सारी पाठशालाएं समाजपोषित थीं और बिना किसी शासकीय अनुदान के शिक्षा दान का पुण्यकर्म किया कराती थीं। इस स्वावलंबी स्थिति से अंग्रेजों ने अपनी सरकारी शिक्षा में भेदभाव के द्वारा न केवल भारत को अशिक्षित और निरक्षर बना दिया अपितु हमारे एकात्म समाज में भेदभाव भी पैदा कर दिया। आज यह तथ्य समाज को बताये जाने चाहिए ताकि पुरातन रुद्धियों के नाम पर महिला तथा अन्य वर्चितों पर पक्षपात एवं भेदभाव का व्यवहार न हो।

भावी रूपरेखा

समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु ऐतिहासिक सत्य को समाज में रखना आवश्यक है। हम परंपरा से ही महिलाओं को समान अधिकार और शिक्षा देते रहे हैं यह बात वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा हेतु समाज को प्रेरित करने में कारगर होगी। शोषण की बातें बताने से समाज को प्रेरणा नहीं मिलती है। परंपरा के तथ्यों से अवगत करने से सहजता से बात आगे बढ़ती है। कुल मिलकर इस चुनौती को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। भौतिक संसाधन, सामाजिक जागरूकता और व्यवहारिक पाठ्यक्रम इस त्रिसूत्री पर सरकार और समाज दोनों समन्वय से कार्य करे तो शत प्रतिशत बालिका शिक्षा का लक्ष्य साकार करना सहज संभव है। संस्कृति और समृद्धि को साथ-साथ लक्ष्य करते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों में महिलाओं को भी साथ लिये बिना लक्ष्यप्राप्ति संभव नहीं। अतः महिला शिक्षा को समृद्ध परंपरा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। □



स्वस्थ बालिका ही बनेगी सशक्त बालिका

अनन्या अवस्थी



संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में 10 से 19 वर्ष के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। सामाजिक समुदाय के इकलौते प्रतिनिधियों के रूप में बच्चों तथा वयस्कों पर ऐतिहासिक रूप से इतना ध्यान केंद्रित रहा है कि परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण चरण को अनदेखा कर दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिए जाने से किशोरों के स्वास्थ्य एवं विकास के मुद्दों से ध्यान अनजाने में ही हट गया है। सौभाग्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय ने कुछ समय से किशोरावस्था को एक ऐसे चरण के रूप में महत्व देना आरंभ कर दिया है, जो केवल जीव-विज्ञान से जुड़ा हुआ ही नहीं है बल्कि जिसका व्यक्ति के भविष्य पर गहरा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

20

करोड़ से भी अधिक किशोरों के साथ दुनिया में लड़कियों की समूची जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत (10 करोड़) भारत में विकसित हो रहा है।¹ इस जनांकिकी का आयु तथा लिंग संबंधी विस्तृत विवरण नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1: किशोरवय जनांकिकी

	पुरुष	महिला	कुल
10-14 वर्ष	5.73	5.23	10.96
15-19 वर्ष	5.28	4.67	9.95
योग	11.01	9.90	20.91

(संख्या करोड़ में)

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

किंतु क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन 10 करोड़ किशोरियों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? कई लोगों की आंखें बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं आंदोलन से ही खुली होंगी। यदि हम अमेरिका या यूरोप में होते तो क्या हमें लड़कियों के लिए अलग से विशेष अभियान चलाने की जरूरत पड़ती? हम लड़कों और लड़कियों के लिए एक साथ बात क्यों नहीं कर सकते? क्या दोनों के बीच इतना फर्क है? इसीलिए पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हमें इस अभियान की जरूरत है या नहीं?


भारत में बाल का लिंगानुपात 914 प्रति 1000 है। अर्थात् प्रत्येक 1000 लड़कों की तुलना में 86 लड़कियां कम हैं। ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में यह अनुपात और भी खराब

है और आजादी के बाद से तो घटता ही जा रहा है। जो भूष्ण हत्या के प्रकोप से बच जाती हैं, उनमें 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग की 50 प्रतिशत लड़कियां कुपोषण और 53 प्रतिशत निरक्षरता का अधिकार होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चिंता यह है कि लगभग आधी लड़कियां रक्ताल्पता (एनीमिया) और अंडरवेट की शिकार हैं। छोटी लड़कियों के जीवन में आउटडोर गतिविधियों और स्वस्थ जीवनशैली को बहुत कम महत्व दिया जाता है और उनमें से अधिकतर घरों तक ही सीमित रहती हैं और भी अधिक खराब यह तथ्य है कि 4 वर्ष की होने से पहले ही 4 में से 1 लड़की यौन प्रताड़ना की शिकार बन जाती है। इन सबके कारण ही भारत में लड़की की मृत्यु की आशंका लड़के की अपेक्षा 75 प्रतिशत अधिक होती है।² जिस देश में 'कन्या' को सदैव देवी का स्थान दिया गया है, वहां हम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए कि लाखों देवियां कुपोषण, निरक्षरता, कमजोरी अथवा प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं?

सामाजिक एवं आर्थिक निर्धारक

लड़कियों के स्वास्थ्य की निराशाजनक स्थिति गहरे तक बैठे सामाजिक एवं आर्थिक निर्धारकों के कारण है। अगर वह भूष्णहत्या की शिकार होने से बच जाती है तो भी भारतीय घरों में हमेशा से होने वाले भेदभाव के कारण लड़के की तुलना में लड़की को टीके लगने, पोषण मिलने या चिकित्सकीय उपचार मिलने की

लेखिका दंत चिकित्सक एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय (सं.रा. अमेरिका) से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विषय में स्नातकोत्तर हैं। लोक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर शोध कार्य करती रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर कार्यरत संस्था स्वस्थ भारत के साथ शोध समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। ईमेल: ana121@mail.harvard.edu



संभावना कम होती है। मान लें कि भाग्य से उसे औपचारिक शिक्षा मिल भी जाती है तो दुखद बात यह है कि उसे ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है, जहां शौचालय की सुविधा भी नहीं होती! स्वच्छता और रजो स्वास्थ्य की तो बात ही मत कीजिए। क्या भारतीय समाज में पीढ़ियों से इसकी चर्चा को वर्जित नहीं माना गया है? लेकिन 48 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।³ ऐसी कमज़ोर, अशिक्षित और अशक्त लड़की और भी कमज़ोर तथा खराब सेहत वाले बच्चे को जन्म देती है और गरीबी, खराब सेहत तथा भेदभाव का चक्र चलता रहता है।


अब प्रश्न उठता है कि लैंगिक भेदभाव वाली यह मानसिकता पनपती कैसे है? इसका उत्तर सामाजीकरण की उस प्रक्रिया में छिपा है, जिससे हम गुजरते हैं। लड़कियों को जन्म से डरकर और दबकर रहना सिखाया जाता है, जबकि लड़कों को मजबूत होना और हावी होना सिखाया जाता है। मीडिया में भी हम देखते हैं कि लड़कियों को इतनी उदासीनता के साथ दिखाते हैं मानो वे सजावटी सामान हैं या बच्चों को जन्म देने की मशीन हैं, जबकि लड़कों से अधिक कामकाजी भूमिका की अपेक्षा की जाती है। ये दोहरे मानदंड ही

पोषक खुराक मिला काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि उनकी मां साक्षर हैं या नहीं, यदि मां निरक्षर होती हैं तो लड़कियों को अपने भाइयों की अपेक्षा बेहतर भोजन मिलने की संभावना बहुत कम होती है और साक्षर पिता भी इस लिंगभेद को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता।⁴

स्वास्थ्य संबंधी सदाचार

हम सभी जानते हैं कि मां को पोषण, शिक्षा और आवश्यकता पड़ने पर औपचारिक स्वास्थ्य सुविधा के मामले में कभी लड़के-लड़की में भेदभाव नहीं करता चाहिए लेकिन जब आप किसी ग्रामीण परिवार के मुखिया को दलील देकर यही बात कहते हैं तो उसे अनसुना कर दिया जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत उन्हें समझाता है कि लड़की आर्थिक बोझ है, इसीलिए उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि एक दिन वह उन्हें छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी और बदले में उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। गांधी जी ने एक बार काण्ट का तर्क दोहराते हुए कहा था कि मनुष्य को किसी साध्य तक पहुंचने का साधन नहीं माना जा सकता बल्कि वे स्वयं ही साध्य होते हैं। इसी विचारधारा से आज का मानवाधिकार का विचार पनपा है। हम लड़कियों के लिए समान अधिकारों को इसी आधार पर उचित नहीं ठहरा रहे

चित्र 2 : भारत में किशोरियों में अनीमिया (10-19 वर्ष)



चित्र 3 : बालिका स्वास्थ्य: मुख्य समस्याएं



हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाकर तथा अच्छा रोजगार दिलाकर आर्थिक एवं तार्किक भारतीय परिवार के लिए 'संपदा' बनाया जा सकता है। हम यह मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मानवाधिकार इतने स्वाभाविक हैं कि जन्म से ही उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा और युवा कामकाजी महिलाओं को मिलने वाले मौद्रिक लाभ ने नारी शक्ति की 'उपयोगिता' को सबके सामने ला दिया है।

बालिका स्वास्थ्य सुधारने के सरकारी कार्यक्रम

वर्तमान सरकार ने बालिका स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाए जाने की आवश्यकता को समझकर बेहतर काम किया है। हमेशा से बेहद कम लिंगानुपात के लिए कुछात रहे हरियाणा राज्य को राष्ट्रव्यापी बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओं अभियान आरंभ करने के लिए चुनकर एक मजबूत संकेत दिया गया। वास्तव में इतिहास में पहली बार हरियाणा ने बच्चों के लिंगानुपात में गिरावट के रुद्धान को पलटा है। प्रशिक्षण, संवेदीकरण, जागरूकता प्रसार एवं समुदाय को एकजुट कर सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए इस संदेश को कई अनूठे तरीकों से नया कलेवर दिया जा रहा है, जिसमें एक सरपंच द्वारा शुरू किया गया 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान भी शामिल है।

बेटी बच्चों, बेटी पढ़ाओं के तहत रणनीतियां

- बालिका और शिक्षा को बढ़ावा
- इस मुद्रे को सार्वजनिक विमर्शका विषय बनाना
- निम्न लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान कर ध्यान देते हुए गहन और एकीकृत कार्रवाई करना
- सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में स्थानीय महिला संगठनों/युवाओं की सहभागिता

सरकार देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का भी संपूर्ण कायाकल्प कर रही है और महिला एवं बाल विकास

आईसीडीएस की बढ़ी हुई मात्रा के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम के हितधारक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आईसीडीएस योजना के तहत पूरक पोषण के हितधारकों (छह मास से छह साल तक के बच्चे और गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली माताएं) की संख्या 956.12 लाख से बढ़कर 1030.14 लाख हो गई है और प्री-स्कूल वाले 3-6 वर्ष के बच्चों वाले हितधारकों की संख्या पिछले चार वर्षों के दौरान बढ़कर 353.18 लाख से 354.05 लाख हो गई है। इसी प्रकार, इस दौरान आंगनवाड़ी की संख्या 1338732 से बढ़कर 1349091 हो गई है। भारत सरकार ने हाल ही आईसीडीएस योजना के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी है। पुनर्गठित और सुदृढ़ आईसीडीएस के लक्ष्यों में (1) 0-3 वर्ष में युवा बच्चों में कुपोषण को रोकना और इसमें 10 प्रतिशत प्वाइंट की कमी लाना तथा छह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में आरंभिक विकास और अधिगम प्राप्ति को बढ़ावा देना (2) बच्चों और महिलाओं को बेहतर देखभाल और पोषण और युवा बच्चों, लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया की दर को घटाकर 1/5 तक कम करना और (3) तय समय सीमा में लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के साथ विभिन्न स्तरों पर सूचकों का परिणाम आधारित निगरानी करना शामिल है।

(1) शिशु एवं बच्चों में स्तनपान (आईवाईसीएफ) को बढ़ावा देना और काउंसलिंग, (2) मातृत्व देखभाल और काउंसलिंग, (3) देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य एवं पाचन शिक्षा और (4) समुदाय आधारित देखभाल और कुपोषित बच्चों का प्रबंधन सहित देखभाल और पोषण काउंसलिंग तथा 0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं (1) टी. काकरण और सूक्ष्म पोषण पूरकता (2) स्वास्थ्य जांच और (3) रेफरल सेवाओं आदि) को अब आईसीडीएस सेवाओं के कोर पैकेज में शामिल किया गया है।

एकीकृत शिशु विकास सेवाओं (आईसीडीएस) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासन द्वारा लागू किया गया है।

चित्र 4 : बालिका स्वास्थ्य के लिए विविध योजनाएं



मंत्रालय कुपोषण से युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए नीति आयोग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सबला जैसी योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनमें लड़कियों के पोषण पर बहुत ध्यान दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने धनलक्ष्मी योजना भी लागू की है, जिसमें लड़कियों की टीकाकरण, जन्म पंजीकरण, स्कूल में प्रवेश तथा कक्षा आठ तक सभी खर्च उठाने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उनके परिवार को नकद अंतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना भी आरंभ कर दिया।

प्रगतिशील कानूनों तथा बेहतर जन सेवाओं के माध्यम से सरकार ने बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा भी दिया है, जिनके अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान शिशु के लिंग की पहचान करना अवैध घोषित कर दिया गया है, विवाह के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल अनिवार्य कर दी गई है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के जरिये मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधान विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और समेकित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने का प्रयास है।

किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए सबला योजना (आरजीएसईएंजी): यह योजना उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए लाभ का एक पैकेज प्रदान करता है। इस योजना के तहत 11-18 वर्ष की किशोरियों को सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके तहत किशोरियों को सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके तहत किशोरियों को पोषक एवं

पूरक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के समय ही उनकी काउंसिलिंग, जीवन-कौशल प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था की जाती है।

कुपोषण प्रबंधन: कुपोषण जो बाल मृत्युदर का एक महत्वपूर्ण मूल कारण है इसके प्रबंधन पर इस योजना के तहत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 763 पोषण पुनर्वास केन्द्रों वहाँ कुपोषण प्रबंधन के उद्देश्य से 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। वहाँ आयरन और फॉलिक एसिड भी एनीमिया की रोकथाम के लिए बच्चों के लिए प्रदान की जाती है। गंभीर कुपोषण की समस्या वाले लाखों बच्चे यहाँ हर वर्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों को रेफर किया जाता है और उपचार के बाद उन्हें आईसीडीएस से जोड़ दिया जाता है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी): सात बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण यूआईपी के तहत सभी बच्चों को प्रदान की जाती है। यूआईपी का लक्ष्य हर सातों सात टीका निवारणीय रोगों से बचाव के लिए 2.7 करोड़ शिशुओं का टीकाकरण करना है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांगता सहित जन्म, रोग, कमियों, धीमा विकास के (4डी) दोष का जल्दी पता लगाने के माध्यम से 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और अनुवर्ती प्रबंधन और उपचार है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद से बाल एवं शिशु मृत्युदर में कमी देखी गयी है।

बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सेवा: यह मौजूदा स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं पर लक्षित है। इसके तहत समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य जांच दल हर ब्लॉक में उपलब्ध कराया जाता है। ब्लॉक स्तर समर्पित मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य टीमों को प्रशिक्षित डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ का समावेश होता है।

बालिका स्वास्थ्य सुधार में सामाजिक अभियानों की भूमिका

जैसा पहले ही बताया गया है, बड़ी समस्या चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है बल्कि सांस्कृतिक रीतियां और सामाजिक दृष्टिकोण हैं, जो लड़कियों और स्वास्थ्य तथा पोषण के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। रोचक बात है कि सामाजिक समस्याओं के संबंध में आज के अभियान और लेख अनगिनत समस्याओं और चुनौतियों के बारे में बेजा हल्ला मचाते रहते हैं। बैठकर यह बताना आसान हो सकता है कि क्या-क्या करना चाहिए लेकिन उन्हीं समस्याओं का व्यावहारिक एवं कामकाजी समाधान ढूँढ़ना तथा उस पर काम करना बहुत कठिन है। अगर मुझे हार्वर्ड में अपने मास्टर्स पाठ्यक्रम के दौरान सीखी गई कोई 'एक बात' रखने के लिए कहा

जाए तो मैं कहूँगी कि हमारी अधिकतर वैश्विक स्वास्थ्य एवं विकास समस्याओं के लिए 'संदर्भ आधारित समाधानों' की आवश्यकता है। लगभग दस हजार मील दूर बैठकर बिना किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की समझ के हम वास्तविक समस्याओं, जैसे लड़कियों के भेदभाव आदि, के लिए कृत्रिम समाधान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार समाधान समस्या से ही निकल कर आने चाहिए और इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ऐसी समस्याओं का समाधान केवल सरकार और अनुदानों से चलने वाले कार्यक्रम में न होकर सामाजिक मानसिकता और स्थितियों में स्थाई बदलाव से होता है। यह बदलाव घर से ही शुरू होता है, और यह शुरू होता है एक मां के अपने बेटे और बेटी में किसी भी तरह का भेदभाव न किए जाने के साथ।

भावी रूपरेखा

हालांकि नवजातों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम कई स्तरों पर संचालित हो रहे हैं, फिर भी कन्या शिशु की आवश्यकताओं को समझा जाना अभी शेष है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के पूर्ण सेट के रूप में स्वास्थ्य को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अंगीकार करने के लिए नीचे कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:⁵

- कन्या शिशु के संपूर्ण विकास के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के रूप में आईसीडीएस (आईसीडीएस) की पुर्नसंकल्पना करना
- स्कूल में कृपोषित और कम वजन वाली लड़कियों की जांच करना
- सुनिश्चित करना कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए एक अलग से शौचालय और सुरक्षित पेयजल हो
- पोषक खाद्य पदार्थों पर जानकारी फैलाने के साथ आइयार फोलिक एसिड संपूरक खाद्य पदार्थ
- बालिका योजनाओं के प्रयोग बेहतर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन
- विभिन्न स्थानों और सामाजिक क्षेत्रों से कन्या शिशु की विशेष

आवश्यकताओं को पहचानना और उन पर कदम उठाना

- किशोर लड़कियों की खास स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए सलाह सेवाओं का प्रावधान जैसे मानसिक स्वास्थ्य, मासिक स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और यौनिक विशेषता
- पोषण, सफाई, माहवारी स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली एवं योग सहित कम से कम चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक कन्या शिशु की स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देना
- लड़कियों के लिए समुदाय संसाधनों का निर्माण करना जो उन्हें जोखिम लेने और सुरक्षित सामुदायिक स्थानों को विकसित करने में सक्षम करे
- स्वास्थ्य प्रचार को बेहतर करने के लिए मीडिया का प्रयोग करना
- स्वास्थ्य में लैंगिक असमानताओं से उबरने के लिए और लिंग आधारित हिंसा और एचआईवी/एड्स को कम करने के कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कों और युवाओं को जोड़ना
- हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा में बदलाव लाना जिससे हम सफलतापूर्वक लड़कियों के प्रति होने वाले स्वास्थ्य में भेदभाव को कम कर सकें
- उन कई फोरम/संस्थानों का पता लगाने के लिए शोध और दस्तावेजीकरण करना जो कन्या शिशु के स्वास्थ्य में सुधार ला सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फोरम के द्वारा संलग्नता, प्रतिभागिता और व्यवहार में बदलाव ही हमारे और कन्या शिशु के बीच सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है

कन्याशिशु के सशक्तीकरण से ही समाज की जीत होगी

आइये इस लैंगिक भेदभाव से लड़ने के लिए और कन्या शिशु के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम एक साथ कदम बढ़ाते हैं। पहले कहा गया है कि किसी भी इंसान को अन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कह सकते हैं कि एक कन्या शिशु के अधिकारों और समाज को इससे होने वाले लाभों के बीच

संबंध है।⁶ एक सेहतमंद कन्या और एक शिक्षित कन्या समाज के एक उत्पादक सदस्य के रूप में बढ़ती है। वह अपनी आय से न केवल अपने परिवार और खुद की मदद करती है बल्कि वह रोजगार को अपने पूरे बौद्धिक एवं सामाजिक विकास के रूप में देखती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति का आवश्यक हिस्सा है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में बचत होती है, एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहां यौनिक हिंसा नहीं होती है, और एक मूल्यों से भरा ऐसा समाज बनता है जहां एक कन्या शिशु के पास स्वास्थ्य और विकास के लिए एक समान अवसर होते हैं। इस प्रकार काफी सालों तक किशोरियों के स्वास्थ्य में रणनीतिक रूप में किये गए निवेश से पीढ़ियों के लिए कई सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलेंगे, खराब स्वास्थ्य, लैंगिक भेदभाव और गरीबी का चक्र आवश्यक मानवाधिकार को बनाकर टूटेगा। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक सशक्त कन्या स्थाई सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। □

संदर्भ

1. यूनिसेफः एडोलसेंट्स इन इंडिया: ए डेस्क रिव्यू ऑफ एगिनसिट्स एविडेंसेस एंड बिहेवियर्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, यूनिसेफ़
2. एंथनी, डी (2011): द स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्डन 2011- एडोलसेंस: एनएज ऑफ ऑपर्चनिटी (यूनिसेफ़)
3. राज, ए, सेप्रति, एन, बलैया, डी एंव सिल्वरमैन जे.जी., (2009): प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इट्स इफेक्ट ऑन फॉर्टिलिटि एंड फॉर्टिलिटि-कट्रोल आउटकम्प्स ऑफ यंग वूमन इन इंडिया: अ क्रॉस सेक्शनल, आबर्जेबशनल स्टडी: द लासेंट, 373 (9678) पृष्ठ 1883-1889
4. बरूआ, वी.के. (2004): जेंडर बायस अमंग चिल्डन इन इंडिया इन केयर डाइट एंड इम्प्रूवाइजेशन अगेंस्ट डिजिज, सोशल साइंस एंड मेडिसिन, 58 (9), पृष्ठ 1719-1731
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ): के संविधान की प्रस्तावना (इंटरनेशनल हेल्थ कॉर्प्रेस द्वारा स्वीकृत) न्यूयॉर्क 19-22 जून, 1946
6. टिमेन, एम व लेविन, आर (2009): स्टार्ट विद अ गर्ल: अ न्यू एजेंडा फॉर ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ। वांशिगटन डीसी: सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान...

IAS

PCS

ISO 9001 : 2008 Certified

GS
World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

30
Booklets
₹ 12,500/-

Niraj Singh
(Managing Director)

Divyasen Singh
(Co-ordinator)

Our Faculty

मणिकांत सिंह | प्रो. पुष्पेश पंत | आलोक रंजन
डॉ. अभिषेक कुमार | दीपक कुमार | रामेश्वर
अभय कुमार | डॉ. एम. कुमार | डॉ. वी.के. त्रिवेदी
दिल्ली केन्द्र

सामान्य अध्ययन

IAS Mains Batch
'Achiever-2016'

6 SEP.
6:00 P.M.



GS हिन्दी/ English Medium
Advance Batch
Complete Preparation for IAS/PCS

9 SEP.
11:30 AM

IAS - 2017

Foundation Course

13 SEP.
6:30 PM

26 SEP.
11:30 AM

Hindi Medium	English Medium
6 SEP. 8:00 AM 11:00 AM 6:00 PM	8 SEP. 5:30 PM



RAS

मुख्य परीक्षा विशेष

4 SEP.
10:00 AM

DELHI CENTRE

705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE

1-A, Dayal Nagar, Near Narayan
Niwas, Gopalpura Bypass, Jaipur
Ph.: 7240717861, 7240727861

<http://www.gsworldias.com>

<http://facebook.com/gsworld1>

WhatsApp No.
9654349902



नारी के विरुद्ध अपराधः पूरी दुनिया की आपबीती

माशा



प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है। लेकिन यह एक विडंबना ही है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। एक तरफ तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है तो दूसरी ओर उसके खिलाफ अपराध और हिंसा की जाती है। इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई है। युगनायक स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले कहा था। 'किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति।' इस लिहाज से देखा जाए तो अधिकतर समाज इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते

महिलाओं के खिलाफ अपराध से कोई देश अछूता नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिसर्च के 2013 के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया भर की 35 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी स्थिति में अपने इनिटिमेट पार्टनर यानी अंतरंग साथी की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वह यौन या शारीरिक हिंसा कुछ भी हो सकती है। कुछ देशों में तो 70 प्रतिशत महिलाओं को यह यातना झेलनी पड़ती है। ऐसी महिलाओं की गर्भपात कराने या तनाव में जाने की आशंका दो गुनी और एचआईवी-एड्स का शिकार होने की आशंका डेढ़ गुनी ज्यादा होती है। मादक पदार्थों और मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएनओडीसी के 2014 के अनुमानों का कहना है कि साल 2012 में विश्व में महिलाओं की कुल हत्याओं में से आधी अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत करता है। संगठन कहता है कि हालांकि मनोवैज्ञानिक हिंसा पर आंकड़े कम ही मिलते हैं, फिर भी एक अनुमान के अनुसार, यूरोपीय संघ के 28 देशों में 43 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विश्व की 70 करोड़ महिलाओं की शादियां 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती हैं। इनमें हर तीन में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में होती है। इतनी उम्र में वे किसी यौन संबंध से इनकार नहीं कर पातीं जिसका नतीजा

कम उम्र में गर्भधारण और यौन संक्रमण होता है। यूएन वूमेन का आंकड़ा यह भी कहता है कि विश्व स्तर पर 12 करोड़ लड़कियों को जबरन यौन संबंध के लिए मजबूर किया जाता है। यह बलात्कार का ही एक दूसरा रूप है। इसका देह और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र तथ्य प्रस्तुत करता है। इसी साल जीरो टॉलरेंस फॉर वूमेन जेनिटल म्यूटिलेशन पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व की लगभग 20 करोड़ महिलाओं को यौन हिंसा के कारण अपनी देह, खासकर जननांगों के क्षति-विक्षत होने की यंत्रणा झेलनी पड़ती है। बहुत से देशों में पांच साल से छोटी लड़कियों को भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है।

भारत की स्थिति

भारत में महिलाओं की हालत बदतर है। इसके बावजूद कि यहाँ शक्ति के रूप की उपासना होती है और स्त्री के हर रूप को आदर से देखा जाता है- चाहे वह मां हो, बहन या बेटी। किंतु अपराध और हिंसा का शिकार भी उन्हें सबसे ज्यादा होना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2014 के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने हुए हैं। पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए हैं। इस आंकड़े के आधार पर इंडिया स्पैंड के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में हर घंटे में महिलाओं के खिलाफ 26 हिंसक मामले दर्ज होते हैं जिसका एक मायने यह भी है कि हर

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। पूर्व में लगभग दो दशक तक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के साथ कार्यरत रहीं। नारीवादी विषयों पर लेखन में विशेष रुचि। ईमेल: mashashri@gmail.com

दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है।

देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले मुख्य अपराधों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत पति या संबंधियों द्वारा की गई क्रूरता का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाला यह सबसे बड़ा अपराध है। पिछले दस वर्षों में ऐसे 9,09,713 मामले दर्ज किए गए यानी हर घंटे ऐसे 10 मामले दर्ज हुए।

यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेर्स की 2015 की द वर्ल्डस वूमेन रिपोर्ट यह पता चलता है कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति, जैसे विकलांगता या उनकी जाति भी उनके खिलाफ हिंसा की आशंका बढ़ाती है। हिंसक झड़पों, दंगों के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और उनके खिलाफ अपराध बढ़ते हैं।

महिला के शील को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा अपराध है। इसके 4,70,556 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अपहरण तीसरा बड़ा अपराध है जिसके 3,15074 मामले दर्ज हुए हैं। बलात्कार और दहेज उत्पीड़न का नंबर उसके बाद आता है। पिछले 10 वर्षों में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 66,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आंकड़े दर्ज अपराधों के हैं। जहां तक घरेलू हिंसा का सवाल है, अक्सर सामाजिक और परिवारिक सम्मान की दुहाई देकर ऐसे मामलों को दर्ज ही नहीं किया जाता। उसे घर में ही सुलझाने की बाबत, परिवार के बीच छिपा दिया जाता है।

एनसीआरबी के क्षेत्रवार आंकड़े भी हैं। इनमें राजस्थान (31,151) और उत्तर प्रदेश (38,467) में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर्ज संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र (26,893) और

मध्य प्रदेश (28,678) का स्थान आता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे कम है। इसका कारण उच्च साक्षरता दर और कई समुदायों में पितृसत्त्वक परिवारिक संरचना का न होना भी है।

हिंसा का बढ़ता दायरा

महिलाएं ही सबसे अधिक मानव तस्करी का शिकार होती हैं। यूएनओडीसी का एक सर्वेक्षण बताता है कि तस्करी का शिकार होने वाले हर तीन बच्चों में से दो लड़कियां होती हैं। मूलभूत अधिकारों पर यूरोपीय संघ एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 में से एक महिला साइबर हिंसा से पीड़ित है। यह हिंसा का एक आधुनिक रूप है जो बदलती तकनीक के साथ अपने पैर जमा रहा है। लड़कियों को 15 वर्ष की उम्र से ही भद्र ईमेल या एसएमएस का शिकार होना पड़ता है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अश्तील संदेश भेजना भी शामिल है। इस प्रकार का जोखिम 18 से 29 वर्ष की महिलाओं को सबसे अधिक है।

हिंसा के कितने ही रूप और प्रभाव हैं। इस बात का अंदाजा एक सर्वेक्षण से लगाया जा सकता है। विश्व भर के युवाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण में हर चार में से एक लड़की ने कहा कि स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल करना उन्हें सुविधाजनक नहीं लगता। स्कूलों में लड़कियों को लड़कों के मुकाबले यौन हिंसा का अधिक खतरा महसूस होता है इसीलिए यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है।

जैसे विश्व की 34 प्रतिशत विकलांग-शारीरिक या मानसिक- महिलाओं को अपने जीवन काल में यौन या शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा।

रिपोर्ट कहती है कि विश्व भर में केवल 40 प्रतिशत महिलाएं हिंसा होने की स्थिति में किसी से मदद लेती हैं। इनमें से भी अधिकतर अपने परिवार या मित्रों की मदद मांगती हैं और किसी औपचारिक संस्थान या तत्र जैसे पुलिस या स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता नहीं लेतीं। इनमें से केवल 10 प्रतिशत ही पुलिस में शिकायत दर्ज करती हैं। इससे भी खराब बात यह है कि दुनिया के केवल 119 देशों घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाए हैं

और केवल 52 देशों में वैवाहिक संबंध में बलात्कार को अपराध माना है और उसके खिलाफ कानून बनाए हैं। पूरी दुनिया की सरकारें इस मामले को लेकर कितनी संजीदा हैं, इसे भी आसानी से समझा जा सकता है। द वर्ल्डस वूमेन रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1995 से 2014 तक सिर्फ 40 देशों ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर औसत दो सर्वेक्षण किए हैं।

यौन अपराध

बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीभत्सतम रूप है जिसकी त्रासदी समूचे विश्व में महिलाओं को झेलनी पड़ती है। यहां तक कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि अधिकतर बलात्कार किसी अपरिचित नहीं, परिचित द्वारा किया जाता है। विश्व में बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं इथोपिया में होती हैं। वहां लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं। इसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है जहां सालों साल चले गृहयुद्ध ने बलात्कार को एक सामान्य घटना बना दिया। संयुक्त राष्ट्र की पुरुष और हिंसा जैसे विषय पर की गई एक मल्टी कंट्री स्टडी में सैंपल में शामिल 14.5 प्रतिशत श्रीलंकाई पुरुषों ने माना था कि उन्होंने किसी न किसी स्त्री का यौन शोषण किया है। श्रीलंका के बाद कनाडा और फिर फ्रांस का नाम आता है।

एनसीआरबी का कहना है कि वर्ष 2014 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में तीन अन्य प्रकारों को जोड़ा गया है। इनमें आईपीसी की धारा 306 के तहत बलात्कार की कोशिश (4,234 मामले) और महिला को आत्महत्या करने के लिए उक्साना (3,734 मामले) शामिल है। इसके अलावा घरेलू हिंसा से संरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे 426 मामले दर्ज किए गए हैं।

फ्रांस में महिला अधिकारों पर कानून हाल ही में बने हैं। वहां 1980 से पहले तक बलात्कार को अपराध माना ही नहीं जाता था। इससे पहले उनीसवीं सदी के मॉरल कोड्स के आधार पर फैसले होते थे। इसके बाद

जर्मनी, ब्रिटेन, फिर भारत, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का नाम आता है। जहां तक भारत का सवाल है, यहां 2012 में निर्भया कांड के बाद कम से कम पीड़िताओं ने मामले दर्ज करने की हिम्मत दिखानी शुरू की है। इसके बाद लगभग तीन महीने तक ऐसे दर्ज मामलों की संख्या दोगुनी हुई थी।

वैवाहिक संबंध में बलात्कार

कुछ समय पहले तक इस विषय पर लोग चुप ही रहा करते थे। विवाह में कैसा जबरन यौन संबंध या बलात्कार... इसे समझना कुछ मुश्किल था। अब लोगों में, खास तौर से महिलाओं में इस रिश्ते में जबरन संबंध बनाने के खिलाफ बोलने की साहस हुआ है। वैसे स्कैंडेनेविया और यूरोप में पूर्व कम्युनिस्ट ब्लॉक के कुछ देशों ने 1970 से पहले ही इस पर आपराधिक कानून बना दिए थे, अधिकतर पश्चिमी देशों ने 1980-1990 के बाद वैवाहिक संबंध में बलात्कार को अपराध घोषित किया है। यह दुखद है कि इस कानून को लागू करने के संबंध में कोई बहुत अधिक गंभीर नहीं है।

वैसे हम किसी को कोई दोष नहीं दे सकते। भारत में वैवाहिक संबंध में बलात्कार कोई अपराध नहीं है। इसके खिलाफ अलग से कोई कानून भी नहीं है। जबकि इससे जुड़े आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। तीन साल पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग 10,000 पुरुषों पर एक सर्वेक्षण किया जिनमें से हर तीन में से एक पुरुष ने यह माना कि वह अपने संगी या पत्नी पर जबरन खुद को थोप चुका है। हां, इस सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन हजार औरतों ने यह बात स्वीकार की। जाहिर बात है, महिलाएं इस सच को बताने में संकोच करती हैं। अभी हाल ही में महिला व बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने इस पर कानून बनाने की बात की है।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा पर आंकड़े ऊपर दिए जा चुके हैं। कई बार इसके पीछे आर्थिक कारण भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं की आर्थिक ताकत उनके खिलाफ घरेलू हिंसा को कम करने में सहायक होती

है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों के संयुक्त अध्ययनों में यह पाया कि फिनलैंड में महिलाओं की आर्थिक स्तर पर समानता से उन्हें अन्य प्रकार की समानताएं नहीं मिलतीं। वहां घरेलू हिंसा के आंकड़े ऊंचे थे। वैसे दुनिया में इथोपिया में घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं।

भारत में एनएफएचएस के सर्वेक्षण कहते हैं कि देश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हर नौ मिनट में ऐसा कोई न कोई मामला जरूर दर्ज होता है जिसमें महिला को उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

ऑनर किलिंग

महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक स्वरूप यह भी है। पूरी दुनिया में लाखों औरतें पतियों, पिता, किसी रिश्तेदार या भाई द्वारा सिर्फ इसीलिए मार दी जाती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने परिवार को नाम

बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट हाउ मैनी एसिड अटैक्स आर देयर में कहा गया था कि लगभग 72 प्रतिशत एसिड हमले के मामलों में महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। इनमें से 34 प्रतिशत सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि महिला शादी या संबंध बनाने से इनकार करती है।

बदनाम किया है। शादी से मना करने, अपनी पसंद से शादी करने या कपड़े पहनने, घर छोड़कर चले जाने, जैसे मामलों के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, जोर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की, यमन, सीरिया से लेकर भारत तक में यह आम बात है।

एसिड फेंकना

अपनी इच्छा थोपने के बहुत से तरीके पुरुषों ने खोजे हैं। इनमें से एक है- एसिड फेंकना। हालांकि इसके खिलाफ भी कानून है लेकिन वह इतना सख्त नहीं है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इसका अधिक शिकार होती हैं। भारत के अलावा एसिड हमले जिन देशों में सामान्य घटनाएं हैं, वे हैं बांग्लादेश,

पाकिस्तान और कंबोडिया।

पीछा करना या स्टॉकिंग

हालांकि इस व्यवहार को अब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इससे बड़े अपराधों को शह मिलती है। अमेरिका में नेशनल वॉयलेंस अगेंस्ट वूमेन सर्वे में कहा गया है कि महिलाओं का पीछा करने वाले ज्यादातर लोग परिचित ही होते हैं। केवल 23 प्रतिशत पीड़ित महिलाओं का पीछा कोई अपरिचित व्यक्ति करता है। ऑस्ट्रेलिया के पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि पीछा करने वाले 87.7 प्रतिशत पुरुष होते हैं और 82.4 प्रतिशत महिलाएं उसका शिकार होती हैं।

भारत में स्टॉकिंग के खिलाफ दंड बहुत सख्त नहीं है। हालांकि यह बहुत गंभीर अपराध बन सकता है। कुछ महीने पहले चेनई में इनफोसिस की एक कर्मचारी की हत्या करने वाला व्यक्ति तीन महीने से उसका पीछा कर रहा था। एनसीआरबी के वर्ष 2014 के आंकड़े कहते हैं कि देश में स्टॉकिंग के 47,00 मामले और वायुरिज्म के 674 मामले दर्ज किए गए। वायुरिज्म का मतलब है, किसी स्त्री के अंतः अंगों को चोरी छिपकर देखने की लत।

तस्करी

वर्ष 2011 से 2012 के दौरान दूसरे देशों से भारत में तस्करी करके लाई जाने वाली लड़कियों की संख्या कम हुई तो देश से दूसरे देश भेजी जाने वाली लड़कियों की संख्या में बढ़ोतारी हुई। हालांकि इसके पक्के आंकड़े मिलने मुश्किल हैं क्योंकि यह काम अवैध है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि तस्करी का शिकार होने वाले ज्यादातर पीड़ित वेश्यावृत्ति में लगा दिए जाते हैं या घरेलू नौकर बना दिए जाते हैं।

डायन बताकर हत्या

यह कोई अंधविश्वास नहीं, अमानवीय साजिश है जिसमें महिलाओं को कभी जादू टोने के नाम पर तो कभी डायन बताकर उनका शोषण किया जाता है। इतने पर भी मन ना भरे उनकी जान ही ले ली जाती है। महिलाओं को डायन और चुड़ैल मान लेने की अंधी सोच का फायदा कुछ ऐसे तत्व उठाते हैं जो

सुरक्षित नारी, सशक्त नारी

- मोबाइल फोन हैंडसेट नियम 2016 में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शामिल किया गया है; यह संकट का संकेत भेजने और मौजूदा स्थिति की पहचान करने में सक्षम है।
- 181 सार्वभौमिक महिला सहायता नंबर है जो 24*7 सक्रिय रहेगा।
- हिम्मत ऐप: एसओएस एलर्ट के लिए। तत्काल सहायता के लिए पीड़ित/कॉलर्कर्ट की स्थिति पुलिस कंट्रोल रूप में तत्काल पहुंच जाएगी।
- 2015-16 और 2016-17 के लिए सीआरपीएफ में दो पुरुष बटालियों के स्थान पर दो महिला बटालियों को शामिल किया गया है।
- महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनों और महिला कंपार्टमेंटों को सुरक्षा गार्डों द्वारा सुरक्षा दी जाएगी।
- ट्रेन यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षा सहायता नंबर 182 और ट्रिविटर अकाउंट को सक्रिय किया गया।
- ट्रेनों में सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए जाने हैं। निगरानी कैमरों से युक्त होने वाली 'अमृतसर-दिल्ली-शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस' देश की पहली ट्रेन है।
- ट्रेनों में मिडल बे को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
- महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शयननान के प्रत्येक कोच में आरक्षित सीटों के कोटे को दो से बढ़ाकर चार किया गया है।

उन महिलाओं को प्रताड़ित करने और उनका हक छीनने में किसी और तरीके से कामयाब नहीं हो पते। ऐसे मामले सिर्फ भारत में नहीं, अफ्रीका के कई देशों, पापुआ न्यू गिनी में खूब आम हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 1987 से लेकर 2003 तक 2,556 महिलाओं की हत्या इस कारण से कर दी गई थी क्योंकि लोगों को लगता था कि वे चुड़ेल हैं।

आपदा व दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित

यह भी सच है कि आपदा कोई भी हो, सूखा, बाढ़, भूकंप या फिर दंगा-फसाद, जातीय हिंसा। उसका सबसे अधिक शिकार भी औरतें ही होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में शरणार्थी शिकियों में औरतों के

हिंसा, यौन उत्पीड़न का शिकार होने की सबसे ज्यादा आशंका होती है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अध्ययनों में यह बात सामने आई कि ऐसी हालत में औरतें किसी भी तरह के काम के लिए राजी हो जाती हैं। इससे उनके उत्पीड़ित होने, तस्करी का शिकार होने की आशंका भी होती है। उत्तराखण्ड की बाढ़ में ऐसे कई मामले सामने आए थे। इसके अलावा, जातीय हिंसा, दंगों या सामाजिक आंदोलनों में भी महिलाओं को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हरियाणा का मुरथल सामूहिक बलात्कार इसका हाल का उदाहरण है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात दंगों के भयावह सच को कौन नहीं जानता।

समाधान के कदम

केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराधों को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं। वैसे इस संबंध में कई कानून पहले से हैं। लेकिन उन्हें और कठोर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में संशोधन की बात की जा रही है। संशोधन में बलात्कार की परिभाषा बदलकर

यूएनडीपी ने 140 देशों की स्टडी में यह पाया है कि आपदाओं की स्थिति में औरतों की जीवन संभाव्यता पुरुषों के मुकाबले बहुत कम होती है। उनकी मौत की आशंका भी पुरुषों की अपेक्षा 14 गुना अधिक होती है। अगर आपदाओं की स्थिति में वे बच भी जाती हैं तो उन पर शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव सबसे ज्यादा होता है।

यौन हमला किया जाएगा और बलात्कार की सजा सात साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाएगी। इसके अलावा एसिड हमले, यौन उत्पीड़न, छिपकर देखने और पीछा करने, महिला को निर्वस्त्र करने जैसे नए अपराधों को भी भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। इस कानून में पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए चिकित्सकों और सरकारी अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार

सेलफोन में एक 'पैनिक बटन' लाने की योजना भी बना रही है जो कि जीपीएस से जुड़ा होगा। फोन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस प्रस्ताव को कुछ माह में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। फोन में लगा पैनिक बटन कुछ नंबरों पर एक एसएमएस भेज देगा। इसमें बटन दबाने वाले व्यक्ति की स्थिति से जुड़ी जानकारी भी आ जाएगी।

पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए सरकार ने एक निर्भया फड़ की स्थापना की है। इसके तहत कई कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है जैसे मेडिकल सुविधा, कानूनी परामर्श और अदालती मामलों के संबंध में पीड़ित को सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, महिला को अस्थायी आश्रय देना, 24 घंटे की महिला हेल्पलाइन, रेलवे कोचों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना, नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ), महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) आदि।

पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। जमीनी स्तर पर महिलाओं और पुलिस बल के बीच एक कड़ी बनाने के लिए महिला पुलिस स्वयं सेवकों (एमपीवी) की भर्ती की जा रही है। एमपीवी का उद्देश्य आस-पास के इलाकों में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों की रिपोर्ट करना है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा, आज मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। दमन की दास्तां किसी एक देश की आप बीती नहीं है। इसका हल क्या है? इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि औरतों को आत्मनिर्भर बनने दीजिए। उनकी संवेदनशीलता कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे घर से बाहर निकलें और काम करें। बाहर की दुनिया से संपर्क बढ़ेगातों वे खुद को संभालने में सक्षम होंगी और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर होंगी। □



महिलाओं के विधिक-सामाजिक अधिकार: वर्तमान परिदृश्य

सुरेश के तिवारी



स्वामी विवेकानन्द ने कहा
था- ‘जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती है तब तक विश्व कल्याण की बात सोचना बेमानी होगी, क्योंकि किसी पक्षी के लिए केवल एक डैने से उड़ना संभव नहीं होता।’
 लेकिन भारत के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आये हैं। महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किये जा रहे भेदभाव की वजह से आधी आबादी को उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिन्हें संविधान प्रदत्त प्रावधानों के अलावा समय-समय पर बनाये गये कानूनों एवं उनमें किये गये संशोधनों के जरिये उपलब्ध कराये गये हैं।

भा

रतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला-पुरुष दोनों को समान रूप से दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर नर-नारी में किसी प्रकार का भेदभाव असंबैधानिक माना गया है। हालांकि आवश्यकता महसूस होने पर महिलाओं और पुरुषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद-15 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता-समानता और न्याय के साथ-साथ महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल और पोषक की योजना, मध्यप्रदेश में लड़कियों के लिए ‘लाडली लक्ष्मी’ योजना और दिल्ली में मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था आदि करना इसके उदाहरण है।

अनुच्छेद-19 में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ-जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकती है। महिला होने के कारण कोई भी कार्य करने के लिए उनको मना करना उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा और ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती हैं।

अनुच्छेद-23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन

जीने का अधिकार देता है। महिलाओं की खरीद-बिक्री, वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती लाना, भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 पारित किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361, 363, 366, 367, 370, 372, 373 के अनुसार ऐसे अपराधी को सात साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनुच्छेद-24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल-अपराध है।

घरेलू हिंसा रोकथाम कानून

घरेलू हिंसा (प्रतिशोध) अधिनियम, 2005 जिसके तहत वे सभी महिलाएं जिनके साथ किसी भी तरह घरेलू हिंसा की जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे सभी पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा सकती हैं और पुलिसकर्मी बिना समय गवायें प्रतिक्रिया करेंगे।

दहेज निवारक कानून

दहेज लेना ही नहीं, देना भी अपराध है। अगर वधू पक्ष के लोग दहेज लेने के आरोप में वर पक्ष को कानूनी सजा दिलवा सकते हैं तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधू पक्ष को दहेज देने के जुर्म में सजा

लेखक विधिक मामलों के जानकार पत्रकार हैं। गत लगभग दो दशक से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। संप्रति अग्रणी संवाद समिति यूएनआई-वार्ता में वरिष्ठ संवाददाता हैं। ईमेल : suresh.tiwary@gmail.com

करवा सकता है। 1961 से लागू इस कानून के तहत वधू को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है।

नौकरी/स्व-व्यवसाय का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा।

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद-21 व 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी देह व प्राण की सुरक्षा करना हरेक का मौलिक अधिकार है।

राजनीतिक अधिकार

प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्व विवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान सम्मत योगता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

समानता के अधिकार की वास्तविकता

वर्ष 2011 की जनगणना तथा एक मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी, जिसमें कुल जनसंख्या का 48.5 प्रतिशत महिलाएं थीं। विविधता हमारे देश की ताकत है, फिर भी देश के भीतर विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां और अलग-अलग भौगोलिक स्थितियां नीति-निर्माताओं के समक्ष लगातार चुनौतियां पेश करती हैं।

महिलाओं के प्रति सम्मान भारतीय सभ्यता की प्राचीन परंपरा रही है और अब इन्हें युवा और विविधतापूर्ण आधुनिक भारत के संविधान तथा विधियों में प्रतिष्ठापित किया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए

सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है और किया जा रहा है। भारतीय महिला जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जहां महिलाएं राज्य के और सरकार के शीर्षस्थ पदों पर विराजमान रही हैं। तथापि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण सहित अनेक चुनौतियां हमारे सामने हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की हाल की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने हमारा ध्यान खींचा। ऐसी घटनाएं हर तरह से निंदनीय हैं और एक सभ्य समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं हैं।

शिक्षा, खान-पान, रहन-सहन और उन्मुक्त जीवनशैली के आधार पर भले ही हम यह कहें कि शहरी इलाकों में महिलाओं

महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक कानून संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक संशोधन करते हुए आपराधिक कानून संहिता संशोधन अधिनियम, 2013 बनाया है।

की स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति कमोबेश वैसी ही है। इक्कीसवें सदी में भी महिलाएं हाशिये पर हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला है, लेकिन ये हक ज्यादातर संविधान एवं कानून की किताबों में ही सिमटकर रह गयी हैं।

कार्यस्थलों पर सुरक्षा संबंधी कानून: खासकर विशाखा गाइडलाइन्स

कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून बनाकर एक और बड़ा कदम उठाया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान तैयार करने के लिए उपबंध किये गये हैं। यह अधिनियम कार्यबल

के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। यह अधिनियम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में कार्यरत महिलाओं के लिए है और यह उनकी शिकायतों तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय शिकायत समिति के रूप में एक निवारण कार्यतंत्र स्थापित करता है।

एसिड हमला, यौन उत्पीड़न, महिला के कपड़े उतरवाना, छिपकर पीछा करना, नगन घुमाना जैसे विशिष्ट अपराधों को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। यही नहीं, बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाकर इसमें मौत हमले को भी शामिल किया गया है। अति निकृष्ट बलात्कार के प्रावधानों को विस्तारित करके इसमें रूतबेदार व्यक्तियों द्वारा किये गये, सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा किये गये बलात्कार, सामुदायिक अथवा साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान किये गये अथवा सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ किए गए बलात्कार को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, गैंग रेप तथा पीड़ितों को निष्क्रिय अवस्था में पहुंचा देने वाली गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बलात्कार के लिए शारीरिक दंड सहित अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। इन संशोधनों से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े दंडों को और अधिक कठोर बना दिया गया है।

इस संशोधन में एसिड हमले, महिला के शील भंग और बलात्कार के तहत अपराधों के संबंध में किसी लोक सेवक को कोई सूचना दिए जाने पर यदि वह सूचना दर्ज नहीं करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। सरकारी अथवा निजी अस्पतालों के लिए यह आदेश दिया गया है कि वे एसिड हमले सहित यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा अथवा उपचार प्रदान कराएंगे।

अर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी प्रावधान

अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियां, योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। महिलाओं

क्या हैं विशाखा गाइडलाइंस?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट भटेरी गांव की एक महिला भंवरी देवी ने बाल विवाह विरोधी अभियान में हिस्सेदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। वर्ष 1992 में उनके साथ बलात्कार किया गया साथ ही अन्य मुसीबतें भी उन्हें झेलनी पड़ीं। उनके मामले में कानूनी फैसलों के आने के बाद विशाखा और अन्य महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत कानूनी प्रावधान किए जाएं।

महिला समूह विशाखा और अन्य संगठनों की ओर से दायर इस याचिका को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मामले के तौर पर जाना गया। इस मामले में कामकाजी महिलाओं को यौन अपराध, उत्पीड़न और प्रताड़ना से बचाने के लिए कोर्ट ने विशाखा दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराया और अगस्त 1997 में इस फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बुनियादी परिभाषाएं दीं। शीर्ष अदालत ने वे दिशा-निर्देश भी तय किए, जिन्हें आमतौर पर विशाखा दिशानिर्देश के तौर पर जाना जाता है। इसे तब भारत में महिला गुटों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर माना गया था।

हाल ही में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिनमें महिलाओं और विशेष रूप से उच्च शिक्षित युवा महिलाओं ने इस आशय के मुकदमे दर्ज कराए हैं कि उन्हें यौन प्रताड़ना का शिकायत बनाया गया। कार्य स्थल या अन्य स्थानों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या प्रताड़ना रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं, लेकिन या तो इन कानूनों को लेकर जागरूकता नहीं है या फिर खुद महिलाओं को ऐसी किसी घटना के बाद बातचीत या गपशप का विषय नहीं बनाना चाहती है। इसलिए वे ऐसे मामलों को या तो खुद ही अपने स्तर पर निपटाना पसंद करती हैं या वे अनुभव करती हैं कि केवल कानूनों के बल पर यौन स्वेच्छाचारिता को नहीं रोका जा सकता, परिणामस्वरूप अपराधियों के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हो पाती है, पर अब स्थिति बहुत बदल गई है। तेजपाल मामले और लॉ इंटर्न की शिकायत के जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह महसूस किया जाने लगा है कि देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को अमलीजामा पहनाया जाए। हालांकि इन्हें लेकर अभी भी पर्याप्त जागरूकता पैदा करने और इनके कठोरता से क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उन बातों को रेखांकित कर चुका है, जिनका पालन करवाकर किसी भी कार्यस्थल का वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा सकता है, लेकिन जहां तक इन नियम कानूनों के पर्याप्त क्रियान्वयन का प्रश्न है तो अब भी ऐसा नहीं लगता कि कार्यालयों, संयंत्रों, कारखानों और अन्य तरह के कार्यस्थलों में इनका क्रियान्वयन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है या ऐसा किया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता तो महिलाओं की कोई शिकायत ही नहीं होती। जबकि महिलाओं की आए दिन नई-नई शिकायतें सामने आ रही हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्कप्लेस बिल, 2012 भी लाया गया जिसमें लिंग समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। यह कानून कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन

कानूनों के तहत यह रेखांकित किया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं, युवतियों के सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो उसे कहां और कैसे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए? अगर किसी भी कार्यस्थल पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने वरिष्ठों के सामने इस स्थिति को विचार के लिए रख सकती है या फिर समुचित कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

कार्यस्थल कानून, 2012 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में एक महिला कार्यस्थल पर किन स्थितियों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, यह स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं:

- यदि किसी महिला पर शारीरिक संपर्क के लिए दबाव डाला जाता है या फिर अन्य तरीकों से उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है या बनाया जाता है।
- यदि किसी भी सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा उससे यौन संबंध बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है या फिर उस पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाता है।
- किसी भी महिला की शारीरिक बनावट, उसके वस्त्रों आदि को लेकर भद्दी, अशालील टिप्पणियां की जाती हैं तो यह भी एक कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन है।
- किसी भी महिला को किसी भी तरह से अशालील और कामुक साहित्य दिखाया जाता है या ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाती है।
- किसी भी तरह से मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अशालीन व्यवहार किया जाता है।
- ये स्थितियां संख्या में और भी अधिक हो सकती हैं, क्योंकि इस मामले में विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 2 (डी) के अंतर्गत वर्णित मानवाधिकारों को परिभाषित किया था।

विशाखा मामले पर विचार करते हुए न्यायालय का यह भी मानना था कि भारत में वर्तमान सिविल और दंड कानूनों (पीनल लॉज) को देखते हुए महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही ऐसे किसी दूरगामी और प्रभावी कानून को बनाने में समय लग सकता है, इसलिए जरूरी है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

कोर्ट का मानना है कि ऐसी स्थिति में यह जरूरी और आवश्यक होगा कि नियोक्ता, अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं को कुछ निश्चित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर नियोक्ता और अन्य जिम्मेदार लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पीड़ित या इस तरह की कोई आशंका रखने वाली महिला को अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पડ़े। कार्यस्थल पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो कि अपने खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला को यह लगे कि इससे उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यह सुरक्षा आर्थिक, सामाजिक से लेकर शारीरिक कारकों को भी प्रभावित कर सकती है। उसके आरोपों, शिकायतों से उसे रोजगार, नियुक्ति, प्रोन्ति आदि में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इसलिए अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए कुछ रोधी कदम उठाए जा सकते हैं।

के आर्थिक सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 27 योजनाएं और कार्यक्रम हैं। उदाहरणार्थ- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना (ट्रेड), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) की योजनाएं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों को सहायता की योजनाएं।

संपत्ति का अधिकार

वह भी पिता द्वारा बेटी को उसके भाई और मां को नजरअंदाज कर संपत्ति का वारिस और मालिक घोषित करना साहसिक फैसला है। यह मामला उत्तराधिकार के कानून में संपत्ति के बटवारे से इतर किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार की भी स्पष्ट व्याख्या करता है, खासकर सोसाइटी एक्ट के तहत एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को पत्नी और बेटे को नजरअंदाज कर मकान का मालिकाना हक अपने जीते जी ही सौंप सकता है।

अदालत ने कोलकाता की पक्षकार ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की उस दलील को भी अस्वीकार कर दिया था कि पिता ने बेटी को फ्लैट के मालिकाना हक में हिस्सेदारी या वारिसों की सूची में शामिल नहीं किया था। दरअसल प्रतिवादी पक्षकारों पत्नी और हाउसिंग सोसायटी का सोसाइटी एक्ट के हवाले से दावा था कि संपत्ति के मालिक ने मकान के अंशधारकों और वारिस की सूची में पत्नी और बेटे को शामिल किया था। इसीलिए वसीयत या किसी अन्य माध्यम से संपत्ति मालिक पत्नी और बेटे के बजाय बेटी को मकान का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है।

अल्पसंख्यक समाज में महिलाएं

अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय कही जा सकती है। वैवाहिक मामले ही देखें तो केवल तीन बार तलाक शब्द बोल देने से ही शादी टूट जाती है, जबकि पुरुष एक से अधिक विवाह करने के लिए स्वच्छंद है। यह बात और है कि हाल के महीनों

में ट्रिपल तलाक के मसले पर मुस्लिम समाज बंटता नजर आ रहा है। हमेशा से दबाकर रखी गई मुस्लिम महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति नवचेतना जागृत हुई है और कुछ ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर इन अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई। जहां एक महिला ने ट्रिपल तलाक की परंपरा की कानूनी वैधता को चुनौती दी है, वहां जयपुर निवासी महिला ने डाक के जरिये उसे भेजे गये तलाक का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट एक साथ ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई कर रही है।

ट्रिपल तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की तकरार के बाद पूरे देश में भी उक्त सवालों पर बहस शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज बंटता नजर आ रहा है। ज्यादातर मौलाना, उलेमा और अल्पसंख्यक संगठन तीन बार बोलकर तलाक देने की प्रथा को जारी रखने के पक्ष में हैं तो महिलाएं और उनके हितों के लिए काम करने वाले संगठन इस प्रथा को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए इसके खाते के पक्ष में।

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर के बाद मुस्लिमों की आबादी के मामले में असम और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। असम की आबादी में लगभग 34 फीसदी मुस्लिम हैं तो बंगाल में 30 फीसदी। एक गैर-सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की ओर से हाल में किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस तबके की 92.1 फीसदी महिलाएं तीन बार बोल कर तलाक की इस प्रथा पर पाबंदी के पक्ष में हैं। देश के 10 राज्यों में किए गए इस अध्ययन में शामिल ज्यादातर महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े तबके की थी। इस अध्ययन में महाराष्ट्र, बिहार और झारखण्ड के अलावा पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी शामिल थीं। उनमें से लगभग आधी महिलाओं का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हो गया था और उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा था। □

पाठकों से

योजना में प्रकाशनार्थ आलेख व प्रतिक्रियाएं yojanahindi@gmail.com पर ईमेल के द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। आप हमारे फेसबुक पेज योजना हिंदी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय, सुझाव व सहयोग का इंतजार रहेगा।

-संपादक



आंकड़ों में उलझा स्त्री स्वतंत्रता का मिथक

रवि शंकर



स्त्रियों की स्वतंत्रता, एक आधुनिक विषय है। वास्तव में स्वतंत्रता ही एक आधुनिक राजनीतिक विषय है। इस व्यक्तव्य यदि हम और शुद्ध करना चाहें तो कहेंगे कि सामाजिक स्वतंत्रता, अंग्रेजी में इसके लिए लिबर्टी शब्द प्रयोग किया जाता है, का विचार यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का विषय है। यह भारतीय राजनीतिक चिंतन का विषय नहीं रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रख लें तो पूरे विषय पर चिंतन करना सरल हो जाता है। विषय की सप्रसंग और संदर्भसहित व्याख्या संभव हो पाती है

स्त्री

स्वतंत्रता को समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर उसे परतंत्र बनाया किसने है? पहला उत्तर है पुरुषों ने। कहा जाता है कि समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्रियों को परतंत्र बनाया है। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारक फ्रेडरिख एंजल्स अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि संपत्ति को अपने रक्त के पुत्र को हस्तांतरण करने की कामना ने मातृसत्तात्मक व्यवस्था को उलट दिया। मातृसत्ता का विनाश स्त्री जाति की वैश्विक-ऐतिहासिक पराजय थी। अब घर के अंदर भी पुरुषों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। स्त्री अपने पद से वंचित कर दी गई, जकड़ दी गई, पुरुष की वासना की दासी, संतान उत्पन्न करने का यंत्र मात्र बन कर रह गई। (परिवार, निजी संपत्ति व राज्य की उत्पत्ति, पृष्ठ 64) सवाल उठता है कि पहले का समाज मातृसत्तात्मक था, इसके क्या प्रमाण उपलब्ध हैं? वैश्विक स्तर पर स्त्री-पुरुषों में सत्ता की लडाई होने और उसमें स्त्रियों के पराजित होने के क्या प्रमाण उपलब्ध हैं? उत्तर है कोई प्रमाण नहीं। तो क्या स्त्रियों ने अपनी सत्ता की रक्षा के लिए कोई लडाई लड़ी ही नहीं? वास्तव में यह सब कोरी लफकाजी है। वैसे भी मानव समाज बुद्धिसंपन्न समाज है। पूरी दुनिया में कोई एक कृत्रिम व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। जो स्वाभाविक रूप से स्त्रीकार्य हो सकता है, वही व्यवस्था समाज में चलेगी। इसलिए मातृसत्ता के पराजय और पितृसत्ता के उदय की कहानी कारूणिक और रोमांचक होते हुए भी नितांत मिथ्या है।

समझने की बात यह है कि परिवार कोई आर्थिक इकाई है ही नहीं। यह एक भावनात्मक और सामाजिक इकाई है। इसका निर्माण

आर्थिक साझेदारी से न तो कभी हुआ है और न ही कभी हो सकता है। यह स्त्री-पुरुष के स्वाभाविक आकर्षण से बनी एक व्यवस्था है। संतान के प्रति मोह इसे और दृढ़ बनाता है। इसलिए नालायक से नालायक संतान को पिता अपनी संपत्ति दे देता है। इसलिए बीमार पत्नी के लिए पति अपना सारा धन खर्च कर देता है। इसलिए पति और संतान के लिए पत्नी अपना सब कुछ लुटा देती है और इसलिए मां परिवार में सभी के भोजन कर लेने के बाद भोजन करती है। इसमें कहाँ भी आर्थिक व्यापार नहीं है। घर कोई होटल नहीं है। यह एक व्यवस्था है और प्राकृतिक व्यवस्था है। तो मातृसत्ता और पितृसत्ता की बात ही पूरी की पूरी झुट और हवाई कल्पनाओं पर आधारित है। माता और पिता संतान के लिए बनते हैं। ये आर्थिक सत्ता को पाने के पद नहीं हैं।

मिथकों की स्थापना

तो क्या अतीत में स्त्री के ऊपर कोई बंधन नहीं था? क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र थी? क्या स्त्रियां अपनी मनमर्जी के काम करने के लिए स्वतंत्र थीं? क्या वे पढ़ सकती थीं या फिर क्या वे अपनी मनमर्जी के व्यक्ति से विवाह कर सकती थीं? क्या वे समाज के अन्य व्यवहारों में अपने मन के अनुसार निर्णय ले सकती थीं? इसका उत्तर हां में भी है और नहीं में भी। देखा जाए तो स्त्री हो या पुरुष कोई भी अपनी मनमर्जी चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। परिवार और समाज की व्यवस्थाओं का पालन करना उसके लिए बंधनकारी होता है। यही यूरोपीय और भारतीय अवधारणा का अंतर है। यूरोपीय अवधारणा जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उन्मुक्तता की

लेखक सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज में शोध निदेशक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर सभ्यतामूलक शोध में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने पंचवटी फाउंडेशन के लिए गौसंपदा के आर्थिक वैज्ञानिक-पर्यावरणीय आयामों पर पांच खंडों में शोध ग्रंथ का संकलन व संपादन भी किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रवादी पत्रकारिता विषय पर पुस्तक प्रकाशित। ईमेल: ravinoy@gmail.com

बात करती है, वहीं भारतीय अवधारणा परिवार और समाज की मर्यादा में व्यक्ति के कर्तव्यों का चिंतन करती है। यूरोपीय अवधारणा अधिकारों पर आधारित है तो भारतीय अवधारणा कर्तव्यों पर। हालांकि इसके कुछ कारण भी हैं। यूरोप की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार रही है कि लगभग हजार-बारह सौ वर्षों तक वहां अंधकार युग रहा है। उस अंधकार युग में स्त्रियों आदि पर जो अमानवीय अत्याचार किए गए और जिस अमानवीय सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसके कारण वहां यह विद्रोह पैदा हुआ है, यह इस लेख का विषय नहीं होने के कारण यहां उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, परंतु यूरोप की ये अवधारणा एं वहां की उस विशेष परिस्थिति की उपज हैं, स्वाभाविक नहीं हैं।

आर्थिक भागीदारी पर मिथक

भारतीय अवधारणा और समाज में देखा जाए तो स्त्रियों पर कई प्रकार के बंधन रहे हैं। परंतु वे स्त्रियों के हित के लिए ही रहे हैं। उदाहरण के लिए स्त्रियों को आर्थिक उपार्जन के काम से मुक्त रखने की बात है। इसमें उनके अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि उन्हें यह अतिरिक्त सुविधा दी जाती है कि चूंकि वे परिवार के पालन का नितान ही आवश्यक और कठिन कार्य करती हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक उपार्जन से निश्चिंत रखा जाए। परिवार के पालन के लिए धन कहां से आएगा, इसकी चिंता किए बिना वे परिवार का पालन कर सकें, इसलिए यह व्यवस्था बनी। इसलिए आपात स्थिति में स्त्रियों को भी धनोपार्जन करने का अधिकार तो मनुस्मृति ही देती है। धनोपार्जन करने के लिए कुछ विद्या या फिर योग्यता का होना काफी आवश्यक होता है जो बिना पढ़े नहीं आ सकता। क्योंकि मनु ने शिल्प कार्यों से अर्थोपार्जन करने की बात कही है, इसका अर्थ है कि स्त्रियों को शिल्प कार्य की जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वह अर्थोपार्जन करें या फिर नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि उसे शिक्षा तो देनी ही होगी। तभी तो आवश्यकता पड़ने पर वह अर्थोपार्जन कर सकेगी।

नारी शिक्षा: भ्रम व यथार्थ

भारतीय व्यवस्था माता को बच्चे का पहला गुरु मानती है। गुरु वह होता है जो शिक्षा देता है। एक अशिक्षित व्यक्ति तो कभी शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए माता का शिक्षित

होना आवश्यक है। इससे भी साबित होता है भारतीय व्यवस्था में स्त्रियों के शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से थी। मैं यहां पर इसके उदाहरणों की चर्चा नहीं करूंगा, परंतु इसके पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हैं।

बहरहाल, अक्सर यह कह दिया जाता है कि मध्य काल यानी कि भारत में पिछले एक हजार वर्षों के काल में जब देश में इस्लामिक आक्रमणों का प्रतिरोध चल रहा था, स्त्रियों को अनेक प्रकार के अधिकारों से वर्चित कर दिया गया था। जैसे कि उनकी शिक्षा बंद कर दी गई थी, वे अर्थोपार्जन नहीं कर सकती थीं, उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था। घूंघट और पर्दाप्रथा जोरों पर थी। उनका घरों से निकलना वर्जित था। आदि, आदि। परंतु क्या यह पूरे भारतवर्ष की स्थिति थी? क्या पूरे भारतवर्ष में बालविवाह, घूंघट आदि की प्रथाएं थीं? क्या पूरे भारतवर्ष में स्त्रियों का शिक्षण बंद था? क्या पूरे भारतवर्ष में स्त्रियों का घरों से निकलना वर्जित था।

इसका उत्तर भी नकारात्मक ही है। ऐसी स्थिति पूरे भारतवर्ष में नहीं रही है। बालविवाह और घूंघट की प्रथाएं अधिकांशतः उत्तर भारत में मिलती हैं और वह इस्लामिक आक्रमण कारियों के स्त्रियों को लूटने की प्रतिक्रिया में बनी व्यवस्थाएं थीं। यह बात भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी कही थी। यह तो हम आज भी देख सकते हैं कि आतंकवादग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा आदि की व्यवस्थाएं सबसे पहले ध्वस्त हो जाती हैं। जम्मू-कश्मीर में शिक्षा की क्या स्थिति है? वहां से कोई एक स्त्री आईएस अधिकारी बन जाती है तो वह राष्ट्रीय खबर बनती है। स्वाभाविक ही है पूरे उत्तर भारत में पिछले एक हजार वर्षों तक इस्लामिक आक्रमणों के कारण विशेषकर स्त्रियों के लिए काफी संकट का काल रहा है। इस्लामिक लुटेरे केवल धन नहीं लूटते थे, वे स्त्रियों का भी अपहरण किया करते थे। इसलिए स्त्रियों की रक्षा के लिए उन्हें छिपाया जाने लगा। इसलिए घूंघट और घरों में छिपे रहने की प्रथाएं पैदा हुईं। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कथा तो विश्वप्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की सुंदरता की कहानी भर सुन कर आक्रमण करने चला गया था। उसने जब रानी को देखना चाहा था तो उसे पर्दे में और शीशों में रानी को दिखाया गया था। वास्तव में पर्दा और घूंघट इस्लामिक आक्रमणकारियों से स्त्रियों को बचाने के तरीके मात्र थे।

इसके बाद भी स्त्रियों को शिक्षा से भी

कभी वर्चित नहीं किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई होल्कर जैसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सामान्य से लेकर राजपरिवार तक की स्त्रियों को युद्ध कौशल जैसी कठिन शिक्षा भी दी जाती थी। इसी प्रकार दक्षिण भारत सहित भारत के अनेक भागों में संगीत आदि कलाओं की शिक्षा भी स्त्रियों को हमेशा दी जाती रही। परिवार चलाने और थोड़ा बहुत आर्थिक व्यापार करने योग्य गणित आदि भी उन्हें सिखाया जाता था। प्रसिद्ध गांधीवादी धर्मपाल ने अपनी पुस्तक 'द ब्यूटीफुल ट्री' में वर्णन किया है कि स्त्रियों को घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। समझने की बात यह है कि भारत में आज की भाँति प्रमाणपत्रों वाली औपचारिक शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर जोर देती रही है और इसलिए इसमें व्यक्ति का किसी विद्यालय में जाना आवश्यक नहीं माना जाता था। भारत में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति पर विस्तृत विवरण इसी अंक में भी मुकुल कानिटकर के आलेख में उपलब्ध है।

भ्रूणहत्या: मिथकों को आँड़ा

बहरहाल, यदि हम आधुनिक मापदंडों पर ही जांचें तो भी पाएंगे कि स्त्री स्वतंत्रता की बात नितांत ही भ्रामक और वास्तव में उन्हें और परतंत्र बनाने वाली है। इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षित समाज आंकड़ों के भ्रमजाल पर अधिक विश्वास करता है। सबसे पहले कन्याभ्रूण हत्याओं को देखते हैं। क्या कन्याभ्रूण हत्या का शिक्षा से कुछ लेना-देना है? देश में सकल लिंगानुपात की बात की जाये तो यह वर्ष 2001 में 933 था जो 2011 की जनगणना में 940 हो गया है परंतु शिशुओं के लिंगानुपात में खासी कमी आई है। भारत में 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 2001 में 927 था जो 2011 में घटकर 919 रह गया है। यदि हम इन आंकड़ों को राज्यों में बांट कर देखें तो वास्तविक समस्या का आंकलन हो पाएगा। राज्यों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में यह समस्या कम है। समस्या अधिक है यह उत्तर भारत के राज्यों में। सबाल उठता है कि ऐसा क्यों है? आखिर क्यों उत्तर भारत में लिंगानुपात घट रहा है? उसमें भी विशेषकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इन तीन राज्यों में ही यह समस्या सबसे विकट बनी हुई है। सबसे

तालिका 1: राज्यवार स्त्री-पुरुष शिक्षा दर

राज्य	1991			2001			2011		
	स्त्री	पुरुष	योग	स्त्री	पुरुष	योग	स्त्री	पुरुष	योग
अंडमान एवं निकोबार	65.5	79.0	73.0	75.2	86.3	81.3	82.4	90.3	86.6
आंध्र प्रदेश	32.7	55.1	44.1	50.4	70.3	60.5	59.1	74.9	67.0
अरुणाचल	29.7	51.5	41.6	43.5	63.8	54.3	57.7	72.6	65.4
असम	43.0	61.9	52.9	54.6	71.3	63.3	66.3	77.8	72.2
बिहार	22.0	51.4	37.5	33.1	59.7	47.0	51.5	71.2	61.8
चंडीगढ़	72.3	82.0	77.8	76.5	86.1	81.9	81.2	90.0	86.0
छत्तीसगढ़	27.5	58.1	42.9	51.9	77.4	64.7	60.2	80.3	70.3
दादरा और नागर हवेली	27.0	53.6	40.7	43.0	73.3	60.0	64.3	85.2	76.2
दमन-दीव	59.4	82.7	71.2	70.4	88.4	81.1	79.5	91.5	87.1
दिल्ली	67.0	82.0	75.3	74.7	87.3	81.7	80.8	90.9	86.2
गोवा	67.1	83.6	75.5	75.4	88.4	82.0	84.7	92.6	88.7
गुजरात	48.6	73.1	61.3	58.6	80.5	70.0	69.7	85.8	78.0
हरियाणा	40.5	69.1	55.9	45.7	78.5	67.9	65.9	84.1	75.6
हिमाचल	52.1	75.4	63.9	67.4	85.4	76.5	75.9	89.5	82.8
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	43.0	66.6	55.5	56.4	76.8	67.2
झारखण्ड	-	-	-	38.9	67.3	53.6	55.4	76.8	66.4
कर्नाटक	44.3	67.3	56.0	56.9	76.1	66.6	68.1	82.5	75.4
केरल	86.1	93.6	89.8	87.9	94.2	90.9	92.1	96.1	94.0
मध्य प्रदेश	72.9	90.2	81.8	80.5	92.5	86.7	87.9	95.6	91.8
महाराष्ट्र	29.4	58.5	44.7	50.3	76.1	63.7	59.2	78.7	69.3
मणिपुर	52.3	76.6	64.9	67.0	86.0	76.9	75.9	88.4	82.3
मेघालय	47.6	71.6	59.9	60.5	80.3	70.5	72.4	86.1	79.2
मिज़ोरम	44.9	53.1	49.1	59.6	65.4	62.6	72.9	76.0	74.4
नागालैंड	78.6	85.6	-	86.8	90.7	88.8	89.3	93.3	91.3
ओडिशा	54.8	67.6	61.7	61.5	71.2	66.6	76.1	82.8	79.6
पुडुचरी	34.7	63.1	49.1	50.5	75.4	63.1	64.0	81.6	72.9
पंजाब	65.6	83.7	74.7	73.9	88.6	81.2	80.7	91.3	85.8
राजस्थान	50.4	65.7	58.5	63.4	75.2	69.7	70.7	80.4	75.8
सिक्किम	20.4	55.0	38.6	43.9	75.7	60.4	52.1	79.2	66.1
तमिलनाडु	46.7	65.7	56.9	60.4	76.0	68.8	75.6	86.6	81.4
तेलंगाना	51.3	73.8	62.7	64.4	82.4	73.5	73.4	86.8	80.1
त्रिपुरा	49.7	70.6	60.4	64.9	81.0	73.2	82.7	91.5	87.2
उत्तर प्रदेश	24.4	54.8	40.7	42.2	68.8	56.3	57.2	77.3	67.7
उत्तराखण्ड	41.6	72.8	57.8	59.6	83.3	71.6	70.0	87.4	78.8
प. बंगाल	46.6	67.8	57.7	59.6	77.0	68.6	70.5	81.7	76.3
भारत	39.3	64.1	52.2	53.7	75.3	64.8	65.5	82.1	74.0

स्रोत: भारत की जनगणना, विविध संस्करण

अधिक इन्हीं तीन राज्यों में कन्याभूषण की हत्या हो रही है।

आमतौर पर समझा जाता है कि इसका प्रमुख कारण है अशिक्षा। अनपढ़े लोग बेटियों का महत्व नहीं समझते। परंतु यह सच नहीं है।

तालिका 2: राज्यवार लिंगानुपात

राज्य	2011		2011	
	एसआर	सीएसआर	एसआर	सीएसआर
भारत	943	919	933	927
केरल	1084	964	1058	960
पुडुचरी	1037	967	1001	967
तमिलनाडु	996	943	987	942
आंध्र प्रदेश	993	939	978	961
छत्तीसगढ़	991	969	989	975
मेघालय	989	970	972	973
मणिपुर	985	930	974	957
ओडिशा	979	941	972	953
मिज़ोरम	976	970	935	964
गोवा	973	942	961	938
कर्नाटक	973	948	965	946
हिमाचल	972	909	968	896
उत्तराखण्ड	963	890	962	908
त्रिपुरा	960	957	948	966
असम	958	962	935	965
प. बंगाल	950	956	934	960
झारखण्ड	948	948	941	965
लक्ष्मीपुर	946	911	948	959
अरुणाचल	938	972	893	964
नागालैंड	931	943	900	964
मध्य प्रदेश	931	918	919	932
महाराष्ट्र	929	894	922	913
राजस्थान	928	888	921	909
गुजरात	919	890	920	883
बिहार	918	935	919	942
उत्तर प्रदेश	912	902	898	916
पंजाब	895	846	876	798
सिक्किम	890	957	875	963
जम्मू-कश्मीर	889	862	892	941
हरियाणा	879	834	861	819
अंडमान निकोबार	876	968	846	957
दिल्ली	868	871	821	868
चंडीगढ़	818	880	777	845
दादरा नागर हवेली	774	926	812	979
दमन-दीव	618	904	710	926


एसआर=लिंगानुपात, सीएसआर=बाल लिंगानुपात

स्रोत: भारत की जनगणना

देखा जाए तो पढ़े-लिखे लोग भी कन्याभूषण नष्ट करवाते हैं और उनकी संख्या कहीं अधिक ही है। इस बात को देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़ों से समझा जा सकता है जहाँ अभी भी शिशुओं का लिंगानुपात 871 है जो राष्ट्रीय

औसत 919 से काफी कम है। इसलिए आज की शिक्षा इस समस्या को दूर करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। यदि हम स्त्री शिक्षा का अनुपात देखें तो दिल्ली जैसे राज्य बिहार से काफी आगे हैं। साफ है कि स्त्रियों में शिक्षा

मानचित्र 1: महिलाओं के विरुद्ध अपराध



का स्तर बढ़ने के साथ-साथ कन्याभूषण हत्या भी बढ़ी है। यह विरोधाभास तालिका 1 और तालिका 2 के समेकित अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है।

दूसरा कारण माना जाता है कि दहेज की प्रथा के कारण भी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और इस कारण भी लोग बेटी नहीं चाहते और कन्याभूषण की हत्या करवाते हैं। परंतु एक बार फिर यह बात भी गलत साबित होती है कि हम बिहार जैसे राज्य के आंकड़े देखते हैं जहां दहेज की प्रथा हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की तुलना में कहीं अधिक वीभत्स रूप में वर्तमान है। बिहार में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत और हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों से काफी अधिक 935 है। दहेज जैसी कुप्रथा के बावजूद कन्याभूषण हत्या की दर बिहार में कम रही है। परंतु इसमें

यह देखना रोचक है कि जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ी है बिहार में कन्याभूषण हत्याएं भी बढ़ी हैं। वर्ष 2001 में शिशु लिंगानुपात 942 था जो वर्ष 2011 में घट गया है। उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और बंगाल के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। इससे यह साफ होता है कि कम से कम आज की शिक्षा से बेटियों के प्रति समाज का स्नेह नहीं बढ़ पाया है। साथ ही दहेज जैसी कुप्रथा भी लिंगानुपात में छास का बड़ा कारण नहीं है।

शिक्षा और स्त्री के प्रति अपराध का सच

तो क्या बढ़ी शिक्षा और स्वावलंबन के साथ स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है? आंकड़ों की यदि हम बात करें तो यह बात भी दूठी साबित होती है। देश में जहां-जहां शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है और स्त्री अधिक स्वावलंबी हुई है, वहां पर ही उनके साथ होने

वाले अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। (देखें मानचित्र 1, महिलाओं के प्रति अपराध एक बार फिर बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश जैसे कम पढ़े-लिखे और पिछड़े राज्यों में स्त्री के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाएं केरल, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे कहीं अधिक शिक्षित और स्त्री-स्वावलंबन में बढ़े-चढ़े राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। यह आंकड़ा भी स्त्रियों की स्वतंत्रता की वर्तमान अवधारणा के मिथक को बताता है।

क्या होना चाहिए रुख

ये आंकड़े बताते हैं कि स्त्रियों की स्वतंत्रता का उनकी शिक्षा और स्वावलंबन से काफी कम लेना-देना है। मुख्य बात है स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, जिसे बदलने में आधुनिक शिक्षा भी बहुत प्रभावी नहीं है। वास्तव में स्त्रियों के विकास का मामला यूरोपीय फेमिनिस्ट आंदोलनों की नकल में फंस गया है। यूरोपीय फेमिनिस्ट आंदोलन यूरोप में स्त्रियों की बेहद खराब अवस्था से पैदा हुआ था। यूरोप में चर्च की सत्ता स्थापित होने के बाद स्त्री की लैंगिकता को बड़ी ही धृणा और तिरस्कार से देखा जाता था, उन्हें पाप का कारण माना जाता था। चर्च के मत में स्त्रियों की मुक्ति संभव ही नहीं थी। इसलिए उन पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। उसके विरोध में यूरोप में स्त्री की स्वतंत्रता की बात की गई, जो कि उचित ही थी। भारत में ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं रही। इसलिए यहां स्त्री-स्वतंत्रता की बजाय उनके सामाजिक विकास की बात की जानी चाहिए थी।

बात होनी चाहिए थी कि पिछले हजार वर्ष के आक्रमणकारियों से संघर्ष के कारण स्त्रियों की रक्षा हेतु बनाए गए उन सामाजिक रिवाजों तथा नियमों को समाप्त करने की जिनकी आवश्यकता अब नहीं रही। इसमें घूंघट प्रथा, घर से बाहर न निकलने देने की प्रथा, विद्यालय नहीं भेजने का रिवाज, बाल विवाह, अर्थोपार्जन नहीं करने देना आदि सभी शामिल हैं। यदि समाज के साथ संवाद करके इन विषयों को समझाने और हल करने का प्रयास किया जाता तो बिना किसी संघर्ष के यह सारे काम हो सकते थे। दुर्भाग्य यह है कि स्त्री स्वतंत्रता की बकालत करने वाले लोगों को न तो भारत के इतिहास का सही ज्ञान है और न ही यूरोप के इतिहास का। इसलिए स्वतंत्र बनाने के नाम पर हम स्त्रियों को और भी अधिक परतंत्रता की बेड़ियों में बांधे दे रहे हैं। □



भारतीय महिला खेल जगतः उम्मीदों के खुलते दरवाजे

राजेश राय



भारतीय खेलों को पीटी

ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, एमसी मैरीकाम, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, दीपिका कुमारी और अब दीपा करमाकर, पी वी सिंधु, साक्षी मलिक जैसे नामों से ज्यादा जाना जाता है लेकिन

भारतीय खेलों का इतिहास गवाह है कि खेलों में महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिये, वह आज तक नहीं मिल पाई है। हालांकि धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है और लड़कियां बड़ी संख्या में खेलों में आगे आ रही हैं जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है

ब्रा

जील के रियो में यदि 31वें ओलंपिक खेलों को देखा जाये तो भारत के 118 सदस्यीय दल ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी 54 की रही जबकि पुरुष खिलाड़ियों की रही 104 थी। यह संख्या इस बात का संकेत है कि खेलों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और यदि इस बदलाव को ईमानदारी से आगे बढ़ाया जाये तो भारत में महिलायें खेलों में एक शक्ति बन सकती हैं।

पिछले लंदन ओलंपिक को ही देखा जाये तो भारत ने कुल छह पदक हासिल किये थे जिसमें से दो पदक महिला मुक्केबाज मैरीकाम और बैडमिंटन खिलाड़ियों सायना नेहवाल ने दिलाये थे। इस बार भी पहले दो पदक महिलाओं (सिंधु व साक्षी) ने ही दिलाये। यानि छह पदकों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के हिस्से में रहा था। ओलंपिक में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी कामयाबी ने समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण बदला है और ज्यादा माता-पिता अपनी बेटियों को खेलों में भेजने के लिये संकुचित मानसिकता से बाहर निकलकर तैयार हो रहे हैं।

हरियाणा जैसे राज्य में जहां लड़कियों का अनुपात लड़कों के मुकाबले कम है, वहां भी महिला खिलाड़ियों को जर्बर्दस्त बढ़ावा मिल रहा है। यदि पहलवानों की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा महिला पहलवान इसी राज्य से आगे निकलकर आती हैं। यानि यह बात भी साफ है कि हरियाणा जैसे परंपरागत राज्य ने लड़कियों को आगे लाने के लिये अपनी सोच बदली है।

आज़ादी के बाद से महिलाओं की खेल में

भागीदारी कभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रही जबकि भारत का सर्विधान महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्रदान करता है। आज़ादी के बाद राजकुमारी अमृत कौर जैसी नेताओं ने यह महसूस किया था कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी को उतना ही महत्व देना होगा, जितना पुरुषों को दिया जाता है।

हालांकि समय बदलने में दशकों लग गये। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता यूनान में महिलाओं को तो ओलंपिक खेलों में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता था। यदि कोई महिला खेलों को देखते हुये पकड़ी जाती थी तो उसे मौत तक की सजा दे दी जाती थी। दुनिया में ओलंपिक इतिहास में धीरे-धीरे इतना बदलाव आया कि आज महिलायें ओलंपिक खेलों का एक अभिन्न हिस्सा है। यूनान जैसी शुरुआती स्थिति आज़ादी के बाद भारत में महसूस की जा सकती थी जब लड़कियों को घरेलू कामकाज और घर तक ही सीमित रखा जाता था। हालांकि उस समय भी कुछ अपवाद थे लेकिन उंगलियों पर गिने जा सकते थे।

70 का दशक : बदलाव की शुरुआत

पुरुष प्रधान समाज की यहीं सोच थी कि महिलाओं को घर तक ही रखा जाना है। उन्हें न तो ज्यादा बाहर निकलने का हक है, खेलों में तो भाग लेना बड़े दूर की बात है। देश में 70 के दशक तक आते आते बदलाव आ चुका था। गीता जोशी, शाइनी विल्सन, अश्विनी नच्चा जैसी एथलीटों ने भारतीय खेलों के परिदृश्य को बदल डाला। केरल की पीटी ऊषा ने तो जैसे देश में क्रांति ला दी। उनका 1984 के लॉस एंजेलिस

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। इस क्षेत्र में उन्हें लगभग दो दशक का अनुभव हासिल है। फिलहाल संवाद समिति यूएनआई-वार्ता में वरिष्ठ संवाददाता हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि माध्यमों में खेल समीक्षाओं/वार्ताओं में सहभागिता रही है। ईमेल: rajeshraivarta@gmail.com

साक्षी, सिंधु, दीपा: खेलों में इतिहास रचती नयी तारिकाएं

ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर पहली बार उत्तरने वाले खिलाड़ियों में विलगे ही होते हैं जो अपना नाम और मुकाम दोनों बना जाते हैं। यह कहावत रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक, बैडमिंटन फाइनल में पहुंचकर पहला रजत पदक जीतने वाली दीपा सिंधु और चौथे स्थान पर रही त्रिपुरा की जिमनास्ट दीपा करमाकर पर खरा उत्तरती हैं जो एक झटके में पूरे देश की लालड़ी बन गयी हैं।

साक्षी ने रियो ओलंपिक में भारत का 12 दिन का पदक इंतजार समाप्त किया। वह इस तरह भारतीय ओलंपिक के इतिहास में कांस्य पदक जीतने वाली चौथी महिला खिलाड़ी बन गयी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारतीयों में कांस्य पदक, बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने 2012 के पिछले लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक और महिला मुक्केबाज एम सी मैरीकाम ने भी लंदन में ही कांस्य जीता था।

साक्षी ओलंपिक इतिहास में कुश्ती में पदक जीतने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी बन गयी है। के डी जाधव ने 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था जबकि सुशील ने 2008 के बीजिंग में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। योगेश्वर दत्त ने लंदन में ही कांस्य पदक हासिल किया था।

हैदराबाद की पीवी सिंधु ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुये जापान की नोजोमी ओकूहारा को लगातार गेमों में हराकर फाइनल में स्थान बनाने के साथ ही नया इतिहास रचा। सिंधु फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हालांकि पराजित हो गई लेकिन उन्होंने रजत जीतकर वह उपलब्धि हासिल कर ली जो अब तक कोई भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन में हासिल नहीं कर पाया था। सायना नेहवाल ने पिछले लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।

ओलंपिक में चौथा स्थान और फिर 1986 के एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक तथा एशियाई चौंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक जीतने की घटना ने देश में तहलका मचा दिया और समाज को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में आगे बढ़ना है तो महिलाओं को खेलों में आगे लाना होगा।

वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीयों में कांस्य पदक जीतकर इस बात का शंखनाद कर दिया कि महिलायें ओलंपिक स्तर पर देश का परचम लहरा सकती हैं। देश की शीर्ष और दुनिया की नंबर एक महिला युगल टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपनी किताब 'एस अगेन्स्ट ऑड़िस' को लांच

ओलंपिक खेलों के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट होने का गौरव हासिल करने वाली दीपा रियो में अपनी वॉल्ट स्पर्धा में पदक पाने से चूक गई लेकिन उन्होंने चौथा स्थान हासिल कर 125 करोड़ देशवासियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दीपा से पहले देश में जिमनास्टिक को कभी गौर से नहीं देखा जाता था लेकिन दीपा के प्रदर्शन के बाद जिमनास्टिक आकर्षण का केंद्र बन गया है।

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बॉटीनुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, निशनेबाज अभिनव बिंद्रा और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसी हस्तियों ने इन महिला खिलाड़ियों की ओलंपिक कामयाबी को सलाम किया है और इसे महिला शक्ति करार दिया है।

दीपा रियो ओलंपिक की जिमास्टिक की वॉल्ट स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल कर पदक पाने से चूक गई थीं लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से भारत के खेल इतिहास में अपना नाम स्वर्णक्षणों में दर्ज करा लिया। दीपा ओलंपिक में 52 वर्षों में उत्तरने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट और रियो के लिये क्वालीफाई करने वाली एकमात्र जिमनास्ट थीं।

त्रिपुरा की दीपा ने 15.066 के औसत स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपने मुकाबले के बाद कहा 'जिन तीन खिलाड़ियों को पदक मिला वे निश्चित तौर पर मुझसे बेहतर थीं। लेकिन यह मेरे पहले ओलंपिक है और मैं अपने अनुभव से खुश हूं। मैंने जो कुछ भी ट्रेनिंग में सीखा था उसे लागू किया। लेकिन देश को पदक नहीं दिला पाने से मैं दुखी हूं।'

23 वर्षीय दीपा ने लेकिन विश्वास जताया कि वह अगले ओलंपिक में पदक जरूर लेकर आएंगी। उन्होंने कहा 'मैं भविष्य में बेहतर करने की कोशिश करती रहूंगी और 2020 के टोक्यो

करते हुये इस बात का जिक्र किया था कि जब मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था तो वह छोटी थीं लेकिन मल्लेश्वरी की कामयाबी ने उन्हें कम से कम यह बात बता दी थी कि महिलायें भी ओलंपिक स्तर तक पदक जीत सकती हैं।

लांग जंपर अंजू बाबी जार्ज ने 2003 की विश्व चौंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास बनाया था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं। राइफल निशानेबाज अंजलि भागवत 2002 में विश्व की नंबर एक निशानेबाज बनीं। ज्योतिर्मय सिकदर ने 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीते। इन कामयाबियों ने महिलाओं के खेलों में आगे आने का रास्ता साफ कर दिया।

ओलंपिक में अपने देश के लिये पदक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। जीतना और हारना खेल का हिस्सा होता है। मैं प्रोदुनोवा में अच्छा करने को लेकर आश्वस्त थी। मैं अपने दोनों वॉल्ट अच्छे से करना चाहती थी। मैं इस बार रजत या कांस्य की ही सोच रही थी लेकिन अगली बार तो मेरा लक्ष्य सिर्फ स्वर्ण ही होगा और फिर शायद मुझे रजत या कांस्य ही मिल जाए। लेकिन मैं पूरे देश की मेरे लिये दिये गये समर्थन की आधारी हूं।'

सिंधु, साक्षी और दीपा ने इस प्रदर्शन से अपना नाम ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों पीटी ऊपर, कर्णम मल्लेश्वरी, अंजलि भागवत, सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा जैसी खिलाड़ियों में शुमार करा लिया है। दीपा ने इसके साथ ही आमतौर पर उपेक्षित रहने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार दीपा के प्रदर्शन से बहद गदगद हैं।

दीपा की यह उपलब्धि इसलिये भी मायने रखती है क्योंकि बाकी अन्य भारतीय एथलीटों की तरह दीपा ने विदेशों में जाकर महंगे और विदेशी कोंचों से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। वर्ष 2014 राष्ट्रपंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता और इस वर्ष विश्व चौंपियनशिप में पांचवें स्थान पर रहीं दीपा के कोंच ने विदेश में ट्रेनिंग लेने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, 'दीपा जब भारत में ट्रेनिंग से क्वालीफाई कर सकती है तो अब विदेश जाने की जरूरत क्या है।'

नौ अगस्त को 23 वर्ष की हुई दीपा ने साथ ही देश की लड़कियों को अपने संदेश में कहा, 'मेरा संदेश देश की सभी लड़कियों को है कि महिलाएं किसी चीज में पीछे नहीं हैं और मेहनत से वह सबकुछ हासिल कर सकती हैं।'

सानिया व सायना: शुरुआती आइकन

महिलाओं ने खेलों में आगे आने के लिये क्रांति लाने का पूरा श्रेय दो खिलाड़ियों सानिया मिर्जा और सायना नेहवाल को जाता है जिन्होंने टेनिस और बैडमिंटन में एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। सानिया और सायना अपने अपने खेल में नंबर बन बनी हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुये कई लड़कियां इन खेलों में आगे आ रही हैं।

सानिया और सायना के साथ अब एक नाम महिला जिमनास्ट दीपा करमाकर का जुड़ गया है जिन्होंने अपने चपटे पांव होने की कठिनाई के बावजूद जिमनास्टिक में अपने लिए एक ऐसा मुकाम बना लिया है कि उनका नाम भारतीय खेल इतिहास के पन्नों में

दर्ज हो गया है। दीपा 52 वर्षों बाद ओलंपिक जिमनस्टिक में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं और उन्होंने चौथा स्थान हासिल कर अपना नाम भारतीय खेलों के इतिहास में स्वर्णक्षणों में दर्ज करा लिया। त्रिपुरा की दीपा अब भारतीय खेलों में अब एक ऐसा नया नाम बन गयीं हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि एक मील का पत्थर है।

समाज का नजरिया:

बड़े बदलाव की जरूरत

लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं सायना का कहना था कि उनकी सफलता से देश को नई प्रेरणा मिलेगी जो लड़कियों को खेलों में लाने के लिए आदर्श स्थान नहीं माना जाता है। सायना ने तब अमेरिकी

महिलाओं की खेलों में भागीदारी
बेशक बढ़ रही है लेकिन उनके प्रति नजरिये में जो क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिये, वह अभी नहीं आया है। कई खेल ऐसे हैं जहां महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पैसा नहीं मिलता है। बात चाहे क्रिकेट की हो या फिर हॉकी, कुश्ती और कबड्डी की। इन सभी और अन्य कई खेलों में पुरुष हावी रहते हैं। सानिया, सायना और मैरीकाम कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने पुरुष श्रेष्ठता में घुसपैठ लगाई है और खुद को साबित किया है। ये खिलाड़ी अपनी शर्तों पर चलती हैं और इनका रुतबा पुरुष खिलाड़ियों से भी ज्यादा है।

पत्रिका टाइम को दिए साक्षात्कार में कहा था, ‘भारत में मुझे लगता है कि लड़कियां कुछ शर्मली होती हैं। वे घर से बाहर नहीं आती हैं और खेलों में नहीं उतरती हैं लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी इस सफलता से सोच बदलेगी और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खेलों में आगे आने के लिए तैयार होंगी। मैं जिस अकादमी में प्रशिक्षण लेती हूं, वहीं पर मैं इस बदलाव को महसूस कर रही हूं। वहां ज्यादा लड़कियां आने लगी हैं जो मेरे जैसा खेलना चाहती हैं।’

भारत में महिला आधिकारिकता की ब्रांड एंबेसेडर बनीं सानिया मिर्जा की छवि एक विद्रोही खिलाड़ी जैसी है। उन्होंने अपने खेल,

महिला खिलाड़ियों के लिए सुझाव

भारत में महिला खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर किये गये एक अध्ययन में काफी बातें सामने निकलकर आई हैं और इस अध्ययन के निष्कर्ष में महिला खिलाड़ियों की स्थिति को सुधारने को लेकर काफी सुझाव दिये गये हैं। इनमें प्रमुख हैं:

1. भारतीय महिला खिलाड़ियों के दूसरे देशों की खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह घर से लेकर स्टेडियम और वहां से लेकर टूर्नामेंटों तक कहीं भी हो सकती हैं।
2. महिला खिलाड़ियों के लिए समस्यायें ज्यादातर पुरुष खिलाड़ी की तरफ से ही पैदा की गयी हैं और इसके लिए भारतीय खेलों के सिस्टम को जिम्मेदार माना जाता है।
3. लड़कियां खेलना चाहती हैं और खेलों में करियर बनाना चाहती हैं। वे अच्छी सुविधायें और उपकरण चाहती हैं। उन्हें साफ सुधरी और पारदर्शी चयन प्रक्रिया चाहिये।
4. उन्हें अच्छे और अनुभवी कोच चाहिये, खासतौर पर महिला कोच।
5. अच्छा चिकित्सा सपोर्ट भी जरूरी है, खासतौर पर स्वास्थ्य के मामले में।
6. परिवार के सहयोग के बिना उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है।
7. साथ ही उन्हें नौकरी के मौके और सुरक्षा भी चाहिये।
8. लड़कियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी माहौल और मौके चाहिये लेकिन सरकार और खेल महासंघों का भी पूरा समर्थन होना चाहिये।
9. समानता सबसे ज्यादा जरूरी है और उन्हें खेलने के तमाम मौके मिलने चाहिये।

अपनी शैली और अपनी बेबाक टिप्पणियों से पुरुष प्रधान समाज को हमेशा निशाने पर रखा है। सानिया के इस तेवर का पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। हालांकि इस बात को लेकर देश में काफी विरोध भी हुआ। सानिया आज एक रोल मॉडल हैं और देश की लाखों लड़कियां उनके जैसा बनना चाहती हैं।

राष्ट्रमंडल खेल 2010:

नये सफर की शुरुआत

खेलों में बदलाव का पता इसी बात से चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कितनी महिला खिलाड़ी शिरकत करती हैं। दिल्ली में 2010 में हुये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 100 से ज्यादा पदकों में 37 पदक तो महिला खिलाड़ियों ने ही जीते थे। यानि भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण तो नहीं मिल पाया लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में महिला खिलाड़ियों ने एक तिहाई पदक जीत लिये जबकि उससे दस वर्ष पहले यह स्थिति नगण्य थी।

एक आंकड़े के अनुसार, 1992 के बासिलोना ओलंपिक में भारत की छह महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। उसके बीस साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में यह संख्या 23 पहुंच गयी। उसके चार साल रियो ओलंपिक में 54 पहुंच

गयी। इस तथ्य से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले लगभग 25 वर्षों में भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति कितनी बदल चुकी है। केवल खेलों में ही नहीं, बल्कि खेलों के प्रशासन में भी महिलायें तेजी से आगे आ रही हैं साथ ही, राष्ट्रीय कोच, रेफरी, मैनेजर, अधिकारी और खेल पत्रकार बन रही हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:

अब बेटी को खेलने दो

प्रधानमंत्री ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की योजना शुरू की है जिसका समाज में असर देखने में आ रहा है। हरियाणा जैसे राज्य में लड़कियों का लिंगानुपात पहले के मुकाबले बढ़ा है। इसी योजना को खेलों में भी लाने की जरूरत है। यदि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूलों में लाया जाता है और उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिये प्रेरित किया जाता है तो उसका सीधा असर खेलों में भी दिखाई देगा। खेलों में आने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है जो खेलों के बारे में सोचने और समझने की शक्ति देती है। इसी के साथ इस बात की भी बहुत जरूरत है कि स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को अहम हिस्सा दिया जाये। अगर जीवन की शुरुआत से ही लड़कियों को खेलों में दिलचस्पी होगी, वे इसे समझने लगेंगी तो निश्चित ही स्कूल स्तर पर लड़कियां ज्यादा संख्या में आगे आयेंगी और इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर नजर आयेगा। □

IAS IGNITED MINDS PCS

दर्शनशास्त्र, एथिक्स, निबन्ध का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमाणिक संस्थान

मुख्य मार्गदर्शक अमित कुमार सिंह के निर्देशन में इस वर्ष भी
शानदार परीक्षा परिणाम, कुल चयन 30⁺

ETHICS G.S. IV Paper

एथिक्स के मार्गदर्शन के लिए समर्पित भारत का एकमात्र संस्थान।

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम से सफल 55 अभ्यर्थियों में से 22 हमारे संस्थान से। हिन्दी माध्यम में पढ़ाने वाले संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ रैंक AIR-26 दिव्या ज्योति पारिदा इग्नाइटेड माइंड्स से।



AIR-26th
Divya Jyoti Parida

★ पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में एथिक्स पढ़ाने वाले किसी भी संस्थान और शिक्षक का सबसे बेहतर परिणाम, यह एथिक्स में हमारे विशेषज्ञता एवं गुणवत्ता को स्वतः प्रमाणित करता है।
★ हमारे एथिक्स के कक्षा कार्यक्रम के गुणवत्ता का आंकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि हिन्दी माध्यम के संस्थान होने के बावजूद अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी

हिन्दी माध्यम की दूसरी सर्वश्रेष्ठ रैंक



Gaurav Singh Sogarwal
AIR-99th

मेरी इस सफलता में Ignited minds के अमित सर का प्रकाशित नोट्स हैं। उपर्युक्त पेपर के लिये मैं भूमिका: सर की क्लासों पर निर्भर रहा हूँ। सर की क्लासों पर निर्भर रहा हूँ।

गौरव सिंह सोगरवाल
AIR- 99
UPSC Roll No- 0399914

दिल्ली केन्द्र

17 सितम्बर | 26 सितम्बर
7:15 PM | 10:00 AM

निबन्ध (हिन्दी माध्यम) में सर्वश्रेष्ठ अंक

श्रेयांश मोहन

150

केवल एक शिक्षक द्वारा 30 से अधिक हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को सफल बनाने का यह पूरे भारत में एकमात्र उदाहरण है।

A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Near Mukherjee Nagar, Delhi-09
9643760414. 8744082373

Ph.: 011-27654704, 0532-2642251

PHILOSOPHY

लगातार 7वें वर्ष भी दर्शनशास्त्र हिन्दी माध्यम में IAS टॉपर्स देने का सिलसिला जारी...

दर्शनशास्त्र से हिन्दी माध्यम की सर्वोच्च रैंक

पूरे परीक्षा के तीनों चरणों में मर से युक्त व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अमित सर ने केवल एक श्रेष्ठ शिष्य हैं, बल्कि एक प्रधारणार्थी भी हैं, जिससे मैं 'इसान' के रूप में बेहतर बन पाया। धन्यवाद सर!

Shreyansh Mohan
AIR-447th PHILOSOPHY

श्रेयांश मोहन



दर्शनशास्त्र से हिन्दी माध्यम के लगभग सभी विद्यार्थी-इग्नाइटेड माइंड्स से। हिन्दी माध्यम में पूरे भारत में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान।

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में किसी भी वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाले संस्थानों में सबसे अधिक परीक्षा परिणाम



हमारा संस्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि

* दर्शनशास्त्र का पर्यावरण माने जाने का दावा करने वाले तथाकथित एक संस्थान के सैकड़े अध्यार्थी हमारे यहाँ दोबारा कोरिंग ले चुके हैं। इसकी प्रमाणिकता की परीक्षा के लिए आपका स्वागत है।

* क्योंकि हम दर्शनशास्त्र के सबसे मुश्किल खण्डों को भी पढ़ाते हैं रटवाते नहीं।

* प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र पर समान अधिकार से पढ़ाने वाले एकमात्र शिक्षक।

* कक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। यह कहकर नहीं टालते कि ज्यादा पढ़ोगे तो

दर्शनशास्त्र का सफलता प्राप्ति 7.9% है जो हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन से अधिक है। देखें UPSC 65th Annual Report



केवल एक शिक्षक द्वारा 30 से अधिक हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को सफल बनाने का यह पूरे भारत में एकमात्र उदाहरण है।

H-1, First Floor, Madho Kunj, Katra, Allahabad

9389376518, 9793022444

Website: www.ignitedmindsias.com



नारी संवेदी अवसरंचनाएः समय की मांग

रिम्पी कुमारी



**नारी समानता का विचार
धरातल पर उतारने के लिए¹
केवल बौद्धिक विमर्शों से हल
नहीं निकलने वाला है बल्कि
जमीनी स्तर पर ठोस कदम भी
उठाने होंगे। दैनिक-सामाजिक
उपयोग की अवसरंचनाओं में
नारी के प्रति संवेदनशीलता का
ध्यान रखा जाना इस दिशा में
महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक जैसी
संस्थाएं भी इस दिशा में चिंतित
दिख रही हैं। अब इस विषय
पर शुरू हो गया है तो उम्मीद
करनी चाहिए कि जल्द ही
जमीनी परिवर्तन दिखाई देंगे**

एक दशक से अधिक का समय बीत चुका है जब देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। तब मेट्रो के हरेक डिब्बे में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। जैसे-जैसे मेट्रो की लोकप्रियता बढ़ी महिलाओं की दृष्टि से यह व्यवस्था नाकाफी लगने लगी और महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे की मांग की जाने लगी। राजधानी में बैठे नीति निर्माताओं को यह निर्धारित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए कि एक अद्द डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। तब मेट्रो ट्रेनें 4 डिब्बे की होती थीं। आगे चलकर इसके डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 6 और फिर 8 कर दी गई। लेकिन महिला डिब्ब 4 में भी एक 6 में भी एक और 8 में भी एक! मेट्रो का यह गणित स्पष्ट कर देता है महिलाओं के प्रति कि आखिर हम कितने संवेदनशील हैं।

जो तबका देश में लिंगानुपात 940 प्रति 1000 होने के बावजूद विधायिका में मात्र 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेता है, उसे भी यह सोचने की आवश्यकता कर्त्तई महसूस नहीं होती कि दैनिक जीवन के लिए आवश्यक इस परिवहन माध्यम में 25 प्रतिशत सीटें भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। वह भी तब जब इसमें यात्रा करने वाली अधिकांश महिलाएं या तो कामकाजी हैं या विद्यार्थी हैं। यदि दिल्ली मुंबई व कोलकाता में रेलवे महिला स्पेशल लोकल ट्रेनें चला सकता है तो दिल्ली मेट्रो के भी संदर्भ में ऐसी किसी संभावना पर विचार करने में बाधा क्या है?

उपरोक्त उदाहरण एक संकेतक भर है कि नारी संवेदी संरचनाओं के प्रति हमारा रवैया क्या है? महानगरों से आगे बढ़कर हम देखें तो लंबी दूरी की हजारों दैनिक ट्रेनों में से किसी में महिलाओं के लिए विशेष डब्बा शायद ही हो। कम से कम आरक्षित श्रेणियों में नहीं ही है। लंबी दूरी के लिए यात्रा करने वालों में एक बड़ी संख्या उन यात्रियों की है जो स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों को लेकर सुदूर क्षेत्रों से महानगरों का रूख कर रहे होते हैं। इन यात्रियों में एक ठीक-ठाक तादाद बीमार स्त्रियों व गर्भवती माताओं की भी रहती है। चलती ट्रेन में प्रसव के समाचार भी यदा-कदा देखे जाते हैं। इन सबके बावजूद रेलों में किसी विशिष्ट व्यवस्था की सोच हमें आवश्यक मालूम नहीं पड़ती है। यहां एकमात्र विकल्प आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग व्यवस्था में लेडीज कोटा के रूप में दिखाई देता है लेकिन इस कोटा के तहत बुकिंग में सफल रहे यात्री को सीटें नहीं मिलती हैं। दूसरे सीट पक्की होना और स्वतंत्र कोच की व्यवस्था होने में बहुत अंतर है। साथ ही 24 से 72 घंटे तक की एक दिशीय यात्रा करने वाली इन ट्रेनों में प्रसाधान आदि की दुर्दशा भी इस दिशा में काबिले गौर है। इनमें सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई इंतजाम नहीं दिखता है और महिला सुरक्षाकर्मी तो यदा-कदा ही दिखती हैं। कम से कम इन कोचों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर सतर्कता का स्तर तो थोड़ा बढ़ाया ही जा सकता है। चूंकि महानगरीय व्यवस्थाएं या भारतीय रेल संगठित परिवहन के व्यापक उदाहरण हैं अतः आलेख में मुख्यतया इनका उल्लेख किया जा रहा है,


लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं। सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि। ईमेल: rimpylejha@gmail.com

अन्यथा छोटे शहरों और जिला इकाइयों पर संचालित परिवहन व्यवस्थाओं में तो ऐसी विशेष सुविधाओं की कल्पना भी मुश्किल है।

परिवहन से आगे बढ़कर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नारी संवेदी सार्वजनिक व्यवस्थाओं में से एक है प्रसाधन संबंधी व्यवस्था। स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू किया गया तो यह तथ्य जोर-शोर से प्रचरित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के लिए मजबूर महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं घटती हैं लेकिन शहरों का क्या? छोटे-मोटे बाजारों से लेकर इंडिया गेट जैसे विशाल सार्वजनिक मनोरंजन केंद्रों तक, शौचालयों की समुचित व्यवस्था कहां दिखती है? इन सुविधाओं के अभाव में शहरी महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या उसकी कल्पना भी की गई है? इन समस्याओं की चरम परिणति बीमारियों के रूप में भी होती है लेकिन इन पक्षों पर तो विचार ही नहीं किया जाता। हाल ही में राजस्थान की एक महिला ने www.change.org के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि लंबी दूरी की बसों में या तो बस के अंदर ही या फिर रास्ते में आने वाले व्यवस्थित बस-पड़ावों पर सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। यह मुहिम इतना संकेत करने के लिए काफी है कि लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित व सुलभ प्रसाधन व्यवस्थाओं की आवश्यकता कितनी है और इनके प्रति हमारी संवेदनशीलता का स्तर क्या है।

जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं के पिछड़े होने की बात की जाती है, उनकी कमजोरियों को दिखाया जाता है, किंतु उन्हें मजबूत करने के लिए समुचित रास्तों की खोज के प्रयास कम दिखते हैं। मसलन हाल तक सेनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा था। पिछले एक दशक में यह प्रतिनिधित्व बढ़ा है लेकिन अब भी हजारों बालिकाएं अपनी तमाम चाहतों के बावजूद सैन्य बलों या पुलिस सेवाओं का रुख इसलिए नहीं कर पाती है। कि उनके माता-पिता उन्हें अभ्यास के लिए सड़कों के साथ भेजने से कतराते

आरेख 1: अवसंरचना परियोजनाओं में क्षेत्रवार जेंडर कवरेज (1995-2009)



- नारी लक्षित गतिविधियों के साथ परियोजनाएं
- जेंडर मेशेड वाली परियोजनाएं
- कुल परियोजनाएं

स्रोत: मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर वूमन एंड मेन, ए रिव्यू ऑफ वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (1995-2009)


हैं। कारण स्पष्ट है; नारी संवेदी संरचनाओं का अभाव और तो और, ऐसे अभ्यासों के लिए कुशल महिला ट्रेनरों का महानगरों में अभाव है, छोटे शहरों या ग्रामीण अंचलों की कौन कहें? इस कारण पुरुष वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में महिला प्रशिक्षकों के साथ छेड़-छाड़ की इका-दुक्का घटनाएं भी सैकड़ों बालिकाओं के लिए घर से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देती हैं। खेल व शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समुचित प्रोत्साहन देकर इस समस्या का समाधान ढूँढ़ा जा सकता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कई केन्द्र

स्थापित किये हैं जहां महिला खिलाड़ियों के भी अलग से रहने की व्यवस्था की जाती है। इन नवीन प्रयासों के बावजूद महिला प्रशिक्षकों की भारी कमी व कुछ संरचनागत समस्याएं यहां तक नयी खिलाड़ियों को पहुंचने से रोकती हैं। दूसरे, ये केन्द्र बड़े शहरों तक सीमित हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए यहां तक पहुंचने का विचार करना भी बेमानी सा मालूम पड़ता है।

परिवहन या खेल संरचनाओं के अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए भी हालात दुर्ख


आरेख 2: अवसंरचना परियोजनाओं में क्षेत्रवार जेंडर कवरेज (1995-2009)



- नारी लक्षित गतिविधियों के साथ परियोजनाएं
- जेंडर मेशेड वाली परियोजनाएं
- कुल परियोजनाएं

स्रोत: मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर वूमन एंड मेन, ए रिव्यू ऑफ वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (1995-2009)

आरेख 3: महिला शिक्षकों वाले विद्यालयों का प्रतिशत



स्रोत: यूडीआईएसई आंकड़े

दायी ही हैं। सबसे बड़ी बात है सेवाओं/संरचनाओं के विकास की अवधारणा में से ही नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का विचार नदारत दिखता है और सामान्य संरचनाओं को ही नारी के लिए भी मान लिया जाता है।

यह केवल भारत की समस्या नहीं है बल्कि दुनिया भर के हालात कमोबेश विभेदकारी ही हैं। स्वयं विश्व बैंक ने अपने कोष से समर्थक दुनिया भर की विकास परियोजनाओं का एक अध्ययन जारी किया तो पता चला कि 1995 से 2009 के 15 वर्ष की अवधि में चयनित 1246 संचालित इन परियोजनाओं में महिलाओं के लिए

लक्षित अवसंरचनाएं नगण्य ही हैं इसमें भी क्षेत्रक व भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तामाम विविधताएं हैं। इन विविधताओं को आरेख 1 एवं आरेख 2 में देखा जा सकता है।

विश्व बैंक के उपरोक्त आंकड़े तो भौतिक (स्थूल) अब संरचनाओं पर केन्द्रित हैं लेकिन जरूरत इससे कही आगे बढ़कर मानव संसाधन जैसे सूक्ष्म अवसंरचनाओं के बारे में भी सोचने की है। यूडीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों में आधे से कहीं कम हिस्सेदारी महिलाओं की है और शायद इसी कारण अब तक देश

के शत प्रतिशत विद्यालयों में कम से कम एक महिला शिक्षक की उपस्थिति निश्चित नहीं हो पायी है देखें आरेख 3 इस तस्वीर को बच्चियों की उच्च ड्रॉप आउट दर से भी जोड़कर देखा जा सकता है। गर्ल्स कॉमन रूम या पृथक शौचालय का अभाव की ही तरह शिक्षिकाओं का अभाव (खासकर माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में) भी ड्रॉप आउट के लिए बेहद जिम्मेदार कारक है।

क्षेत्रकर विवरण देखें दक्षिण एशिया की स्थिति नारी लक्षित असंसरचनाओं के मामले में पूरी दुनिया से कहीं बेहतर है जबकि पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

उपरोक्त बहुआयामी विवरणों से निष्कर्ष लिया जा सकता है कि नारी के अनुकूल अवसंरचनाओं की रफ्तार तेज करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हाल के वर्षों में गति बढ़ भी है। मसलन स्कूलों में शिक्षिकाओं का अनुपात व पृथक शौचालयों की संख्या जैसे मानकों के संदर्भ में सकारात्मक बदलाव दिखें हैं लेकिन इन बदलावों में निरंतरता बनाये रखने की आवश्यकता होगी साथ ही स्थूल अवसंरचनाओं की ओर तेज सुधार करने की जरूरत है तभी हम नारी को उसके स्वतंत्र अस्तित्व का अहसास लेने दे पाएंगे वर्ना दिल्ली मेट्रो जैसा गणित तो बस हाथी के दिखावटी जैसा साबित होगा □

में नये-नये भेदभावों का शिकार होना पड़ता है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही है कि हमारे समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है परंतु इसी समाज में ही महिलाओं को सबसे अधिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। दरअसल महिलायें वर्षों से जुर्म और शोषण का शिकार हो रही हैं जिस कारण महिलाओं ने इसे स्वीकार कर लिया है। समाज में जब किसी भी प्रथा, शोषण और अत्याचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिस समाज में महिला रह रही हैं उन्हें यह ही नहीं पता की उनका शोषण हो रहा है और वह आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं।


महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए आवश्यकता इस बात है कि पहले महिलाओं को यह एहसास दिलाना होगा की उनका शोषण हो रहा है और वह आज भी मानसिक रूप से गुलाम है और उन्हें ही अपने सशक्तीकरण के लिए खुद संघर्ष करना है और समाज की मुख्यधारा में शामिल होना है। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ‘कोई भी परिवर्तन होने में समय लगता है।’ परंतु परिवर्तन की शुरुआत तो कहीं से होनी ही चाहिए और इस परिवर्तन की पहल हमें खुद अपने घर से करनी होगी तभी समाज में परिवर्तन होगा और समाज के विकास में हमारी भागीदारी बढ़ेगी तभी महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ भारत का भी सशक्तीकरण होगा! □

राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला का लोकार्पण


प्रकाशन विभाग की **राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला** में हाल ही में पांच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. ए वर्क ऑफ ब्यूटी: द आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप ऑफ द राष्ट्रपति भवन

इस विशाल खंड में सरकारी भवन के रूप में राष्ट्रपति भवन के निर्माण से लेकर 1911 में ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण और आगे तक के समय में चारों ओर के परिदृश्य और राष्ट्रपति भवन संपदा के वास्तुकला को समेटा गया है।



2. फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक: नेचर इन द प्रेसिडेंस इस्टेट




फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक में प्रत्येक ऋतु में राष्ट्रपति संपदा की केवनस्पति और जीवों का संकलन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मानव ने यहां आवास की रचना और निर्माण किया और यह दर्शाया कि कैसे पौधों और जीव-जंतुओं ने अपने को इसके अनुरूप बनाते हुए राष्ट्रपति संपदा को अपना बना लिया है। इन जीवित प्राणियों तथा इनके आवास के लिए आज की चुनौतियों को इसमें शामिल किया गया है।

3. अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल: डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग एट द राष्ट्रपति भवन

इस खंड में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन और मनोरंजन का ब्रिटिश वायसराय के समय से अब तक की परंपरा के बारे में बताया गया है। जब वायसराय को इस आलीशान डाइनिंग हॉल में फ्रेंच व्यंजन परोसा गया था, तब से लेकर गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में क्या व्यवस्था था और फिर क्रमिक रूप से कैसे पश्चिमी व्यंजनों की विदाई कर वहां भारतीय पाक शैली आई, इस का उल्लेख है। यहां किस प्रकार सावधानीपूर्वक पाक कला की योजना तैयार की जाती है, इसके उत्कृष्ट दृश्यों से पाठकों को रुबरु कराया गया है।




4. आर्ट्स एंड इंटेरियर्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन



इस खंड में विशाल राष्ट्रपति भवन संपदा के आलीशान आंतरिक भाग में प्रदर्शित कलाकृतियों को शामिल और चित्रित किया गया है। इसमें फर्नीचर, पैटिंग के इतिहास और कलात्मक पक्ष के बार में गहन चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति भवन को सुसज्जित करने वाले कपड़ों, भित्ति चित्रों और कालीनों के बारे में रोचक जानकारियों को भी शामिल किया गया है। कलाकृतियों के चित्रों के प्रदर्शन, योजनाओं की प्रतिकृति तथा विरल रूप में संग्रहित दस्तावेजों के अवलोकन से पाठक एक भव्य दुनिया में प्रवेश करता है और वह राष्ट्रपति भवन के सामान्य आंतरिक सज्जा से अवगत हो जाता है।

5. डिस्कवर ऑफ द मैग्निफिशेंट वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन

यह लघु खंड राष्ट्रपति भवन की रोचक कहानियों से बच्चों को अवगत कराने पर लक्षित है। इसमें कैसे भवन का निर्माण हुआ, यहां घटने वाली प्रमुख घटनाओं और राष्ट्र के जीवन में और वहां रहने वाले और कर्मचारियों के जीवन में इसकी भूमिका को रोचक कहानियों, आकर्षक तथ्यों और विवरणात्मक अध्यायों के जरिये बताया गया है।



राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला का विमोचन



उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी 25 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति भवन में “डिस्कवर दि मैगनीफिशेंट बल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन” पुस्तक का लोकार्पण करते हुए। इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को भेंट की गयी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

गत दो वर्षों में प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित एक पुस्तकमाला की प्रकाशित है, ताकि लोगों को इसकी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत से अवगत कराया जा सके।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल में इस पुस्तकमाला की पांच पुस्तकों का विमोचन किया गया जिसमें प्रत्येक पुस्तक की पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति को भेंट की गई थी।

जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया वे हैं- ‘दि फर्स्ट गार्डन ऑफ दि रिपब्लिकः नेचर ऑफ दि प्रेजिडेंट्स इस्टेट’, ‘आर्ट्स एंड इंटीरियर्स ऑफ दि राष्ट्रपति भवन’, ‘डिस्कवर

दि मैगनीफिशेंट बल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन’, ‘ए वर्क ऑफ ब्यूटीः दिन आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप ऑफ दि राष्ट्रपति भवन’ और ‘अराउंड इडियाज फर्स्ट टेबलः डाइनिंग एंड इंटरटेनिंग एट दि राष्ट्रपति भवन’।

कार्यक्रम में इन पुस्तकों की व्यापक तौर पर सराहना की गई। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर इसकी चर्चा करते हुए कहा कि ‘ये पुस्तकें ऐसे ग्रंथ हैं, जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ेंगे।’

प्रकाशन विभाग ने पहले भी राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला में चार अन्य पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनके नाम हैं- ‘राइट ऑफ दि लाइंसः दि प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड’, ‘आबोड अंडर दि डोम’, ‘द प्रेजिडेंशियल रिट्रीट’ और राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के चुनिंदा भाषण (तीन खंड में) हैं।

उपकार बैंक

प्रोबेशनली ऑफीसर्स/ मैनेजमेंट ट्रेनीज

Just Released

नवीन पाठ्यक्रमानुसार

IBPS
PO/MT



सम्मिलित लिखित प्रारम्भिक परीक्षा

(पिछला प्रश्न-पत्र एवं मॉडल प्रश्न-पत्र हल सहित)

अंग्रेजी भाषा

तर्कशिवित

संख्यात्मक अभियोग्यता

